खण्ड-198, अंक-9
सोमवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(22 सितम्बर, 1958 ई0)

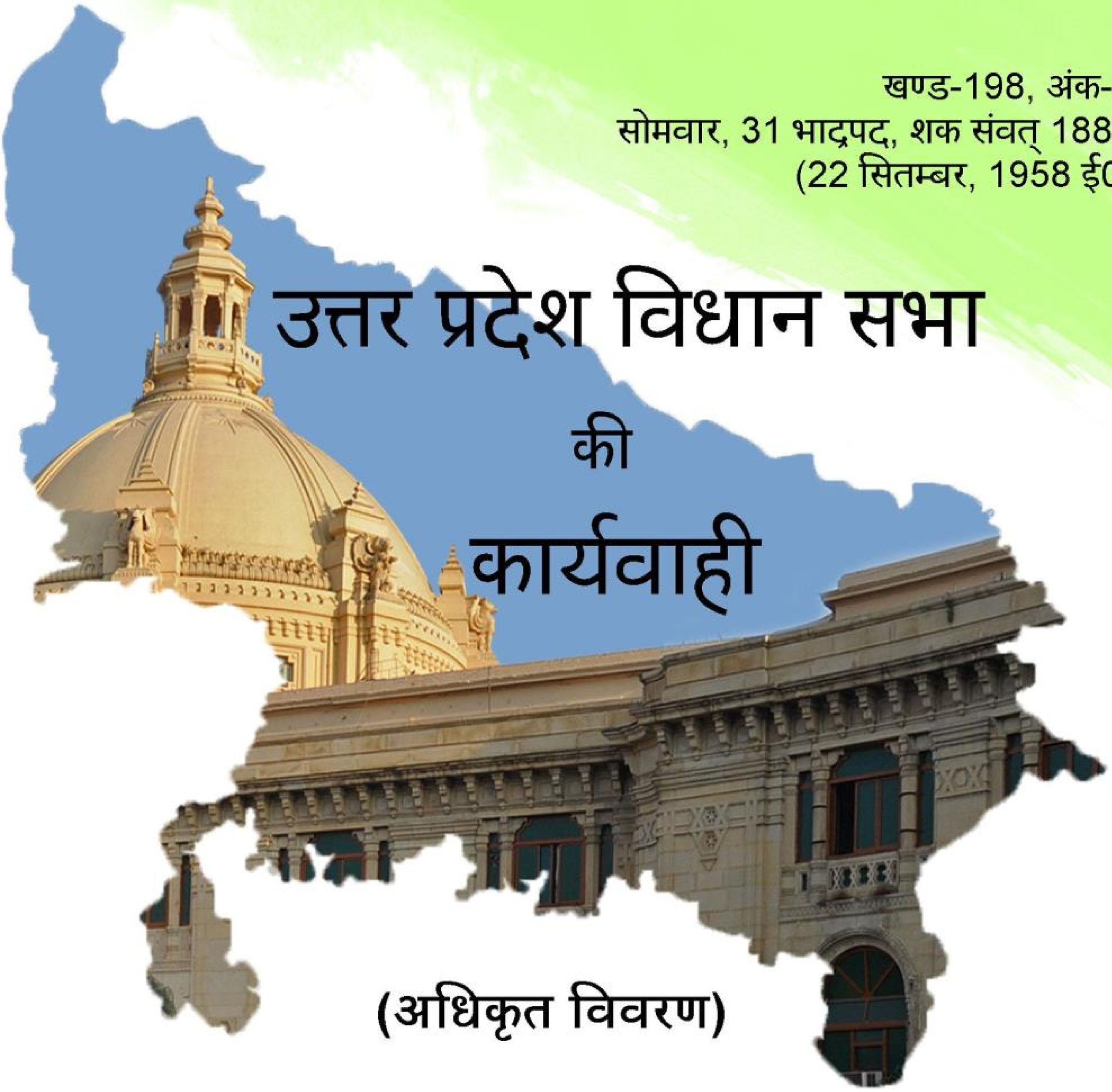

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—२५१

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री

जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यावतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री

अनुपूरक प्रदर्शन पत्रिका

हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्रमदान कार्य का मूल्यांकन करने के लिए जोनल कमेटियों की नियुक्ति

**१—श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि सन् १९५८ के श्रमदान कार्य का मूल्यांकन करने के लिये राज्य स्तर पर कोई जोनल कमेटियां बनाई गई हैं ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—जी हां।

**२—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन कमेटियों के सदस्यों को सफर खर्च अथवा भत्ता दिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

**३—श्री बुलाकी राम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कमेटियों को कब बनाया गया था और उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—यह कमेटियां ३१ मार्च, १९५८ ई० को बनाई गई थीं। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। वे अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करते ही समाप्त हो जायेंगी।

श्री बुलाकीराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन जोनल कमेटियों के टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन कमेटियों को यह बताना है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कौन से जिले, कौन ब्लाक और किन-किन ब्लाकों के अन्दर कौन-कौन गांव श्रमदान में अच्छे निकले हैं और इनकी सिफारिश के मुताबिक फिर इन अच्छे गांवों, ब्लाक्स और जिलों को पुरस्कार के रूप में कुछ पैसा देने की व्यवस्था है।

श्री बुलाकीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जोन्स बनाये गये हैं और प्रत्येक जोन में कौन-कौन से जिले शामिल हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह कहना मेरे लिये संभव नहीं है कि किस जोन में कौन-कौन से जिले हैं, लेकिन प्रदेश में चार जोन्स हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्यम।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटियां संविधान की किस धारा अथवा असेम्बली के किस नियम के मुताबिक बनायी गयी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन कमेटियों के बनने से न संविधान से ताल्लुक है और न असेम्बली के किसी नियम से। गवर्नमेंट को जो पावर है उसके मुताबिक ये कमेटियां बनी हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब प्रदेश के बजट में इन कमेटियों पर खर्च होने की व्यवस्था नहीं है, तो उनका खर्च किस प्रकार किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय सदस्य को सूचना कुछ कम है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि गलत है, लेकिन सूचना कुछ कम अवश्य है। इन पर जो खर्च होगा उसकी पूरी व्यवस्था है और माननीय सदस्य घबड़ायें नहीं, सब को टी० ए० मिलेगा।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कमेटियों में जो सदस्य मनोनीत किये गये हैं उनको मनोनीत करने का आधार क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता जिनको प्लानिंग विभाग के कार्य में दिलचस्पी हो और जिनका प्रदेश के जनहितकारी कामों में बड़ा हाथ रहा हो उसको मनोनीत किया जाता है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मूल्यांकन कमेटी में और गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसमें क्या सम्बन्ध है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है सिवाय इसके कि गोविन्द-सहाय जी की कमेटी यह देख रही है कि सारे प्रदेश में विकास का जो काम हो रहा है उसकी प्रगति के सम्बन्ध में क्या धारणायें हैं, क्या उसकी बुनियाद है और उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, जब कि यह कमेटी सिर्फ जनवरी, १९५८ में होने वाले श्रमदान के कार्य के सम्बन्ध में उन स्थलों को जानने के लिये बनायी गयी है कि जिनका काम सब से उत्तम रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इन कमेटियों के सदस्यों के नामों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---नार्दर्न जोन में श्री भगवान सिंह, एम० एल० सी०, पीलीभीत, श्री रामगुलाम जी, मुरादाबाद और श्री एस० सी० बोस, रिटायर्ड सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, लखनऊ। सदर्न जोन में श्री ए० के० बसु, एम० एल० सी०, इलाहाबाद, श्री चतुर्भुज शर्मा, ओरई, जालौन और श्री हर प्रसाद, चेयरमैन, जिला बोर्ड, फतेहपुर। वेस्टर्न जोन में श्री हरबंसलाल गुप्ता, रिटायर्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेरठ, श्री एन० वी० त्रिपाठी, सहारनपुर, और श्री रामहेत सिंह, एम० एल ए०, मथुरा। ईस्टर्न जोन में श्री भगवती प्रसाद दुबे, एम० एल० ए०, गोरखपुर, श्री विश्वनाथ राय, एम० एल० सी०, गाजीपुर और श्री कालीचरण टंडन, फर्रुखाबाद।

श्री बुलाकी राम---उक्त जोनल कमेटियों पर अभी तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---व्यय जारी है, उसकी कोई अलग से सूचना नहीं है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---इन कमेटियों के प्रतिवेदन कब तक सरकार के सामने आ जावेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ज्योंही वे अपना काम पूरा कर लेंगी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मंत्री जी के पास उनके दौरों की कोई सूचना आती रहती है ? यदि हां, तो उन्होंने किन-किन जिलों का दौरा किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मंत्री के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आती है। डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ उनका सम्बन्ध है।

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[हटा दिये गये।]

*३–५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी—[हटा दिया गया।]

*७–८—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

बलिया जिले में बैरिया पूर्वी नलकूप से सिंचाई

*९—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि बैरिया पूर्वी (बलिया) नलकूप से १९५७ खरीफ में कोई सिंचाई नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? यदि हुई है, तो कितनी भूमि की?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—खरीफ १३६५ फसली में बैरिया पूर्वी (East) नलकूप से ३ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है कि जिससे ज्ञात हो सके कि १३६५ खरीफ में इस नलकूप से कितने गैलन पानी निकला, सिंचाई में कितना व्यय हुआ और अन्य कामों में कितना व्यय हुआ?

श्री राममूर्ति—यह बहुत ब्योरे का सवाल है लेकिन १३६५ की रबी में ७७ एकड़ आबपाशी हुई और खरीफ में ३ एकड़ हुई। इस पर ३ मील नाली बनी थी लेकिन कच्ची थी। १९५८ में वह नाली १ मील पक्की कर दी गई है। इस एरिया में मक्का बोई जाती है जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिये पानी ज्यादा नहीं लिया जाता। अगर गन्ना बोया जाने लगे तो पानी ज्यादा लिया जा सकता है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है या शिकायत है कि जिस क्षेत्र में यह ट्यूबवेल लगा है और दूसरे भी लगे हैं, वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं है और सिंचाई की मालगुजारी में सरकार को घाटा पड़ रहा है?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—जैसी सिंचाई मंत्री जी ने रबी और खरीफ की बताई, इतनी कम सिंचाई होने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—पूरब के लोग पानी लेने के अभी कम आदी हैं, नाली कच्ची थी, १ मील पक्की बन गई है जैसी कि स्टैंडर्ड नाली हर ट्यूबवेल पर होनी चाहिये। पिछले साल जब बारिश नहीं हुई तो पूरब के ट्यूबवेल बहुत अच्छे चले। आशा है कि भविष्य में और अधिक पानी लिया जायगा।

*१०—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[हटा दिया गया।]

*११—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[हटा दिया गया।]

*१२—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१३–१४—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—[१८ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ५०–५१ के अन्तर्गत हटा दिये गये।]

*१५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—[हटा दिया गया।

जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्तियां

*१६--श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग की ओर से सन् १९५२ से १९५८ तक कितने जिला इन्स्पेक्टर आफ स्कूल की नियुक्ति की गई है और उनमें हरिजनों का प्रतिशत कितना है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--ग्यारह जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति हुई, उनमें से कोई भी हरिजन नहीं है।

*१७--श्री प्रतापसिंह [हटा दिया गया।]

*१८-१९--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--[हटा दिये गये।]

*२०-२२--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[नवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२३-२५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--[माननीय सदस्य का चुनाव अवैध घोषित होने के कारण हटा दिये गये।]

*२६--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[हटा दिया गया।]

जौनपुर जिले में एक ही स्थान पर ३ वर्ष से अधिक रहने वाले पुलिस इन्स्पेक्टर

*२७--श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जौनपुर जिले के किन-किन थानों पर ऐसे पुलिस इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर हैं जो ३ साल से अधिक से वहीं रह रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जौनपुर जिले के किसी भी थाने पर ऐसा कोई पुलिस सब-इन्सपेक्टर नहीं है जो तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर नियुक्त हो। ऐसे कोई इन्स्पेक्टर भी एक ही सर्किल के चार्ज में उक्त अवधि से अधिक समय से नहीं हैं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या किसी सब-इंसपेक्टर को एक थाने में ३ वर्ष से अधिक रहने की मुमानियत है ?

श्री कैलाशप्रकाश--साधारणतया ऐसा है कि थाने में ३ वर्ष और जिले में ६ वर्ष रह सके। लेकिन अगर प्रशासन की आवश्यकता हो तो अधिक भी रह सकता है।

*२८--श्री रामसमझावन--[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले की केराकत तहसील में अधूरे नलकूपों का कार्य पूरा करने की प्रार्थना

*२९--श्री रामसमझावन--क्या सिंचाई राज्य-मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर से कोई इस किस्म का प्रस्ताव आया है कि केराकत तहसील के मझगवां, मथुरापुर और नेवादा के जो नलकूप प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बन रहे थे पर बन्द कर दिये गये थे, बनवाये जायं ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।

श्री रामसमझावन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त स्थानों में प्रथम पंचवर्षीय योजना में नलकूप लगाये जाने की आज्ञा हुई थी ? और यदि नहीं लगाये गये तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न १६ श्री रामदास आर्य ने पूछा।

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन ३ स्थानों पर एक्सपेरीमेंटल ट्यूबवेल का फ्रेञ्च (French) कम्पनी के जरिये से बोरिंग हुआ था। लेकिन वह अधूरा रहा। सरकार ने उन ट्यूबवेलों को मंजूर नहीं किया और कोई पैसा नहीं दिया। वहां पर इस समय ट्यूबवैल की कोई योजना नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री की उन घोषणाओं को ध्यान में रखते हुये कि ट्यूबवेल पूर्वी क्षेत्रों के लिये उचित सिद्ध नहीं हुये, क्या सरकार मैशनरी वैल्स की योजना चलाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी बात नहीं है कि पूरब के हर जिले में, ट्यूबवेल सफल नहीं हुये। पक्के कुएं बनाने का प्रोग्राम खासतौर से उन जगहों के लिये है जहां पानी की सतह बहुत ऊंची है। जहां पानी की सतह नीची है, जैसे सुल्तानपुर, वगैरह वहां ट्यूबवेल बनना उपयुक्त होगा। जहां ये तीन ट्यूबवेल्स हैं वह इलाका मड़ियाहूं ब्रांच नहर के क्षेत्र में आ गया है, इसलिये वहां अब ट्यूववेल बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री रामसमझावन—क्या सरकार बतावेगी कि यह क्षेत्र दरिया के किनारे पड़ता है, नहरी क्षेत्र में नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी को पता है कि उस क्षेत्र में नलकूप के अलावा सिंचाई के और कोई साधन नहीं पहुंच पा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—मैंने अभी कहा कि मड़ियाहूं ब्रांच नहर की शाखायें उस इलाके में पहुंचेंगी। नदी के किनारे होने से पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। फाफामऊ का पुल गंगा के किनारे है इलाहाबाद में, लेकिन वहां तक नहरें जाती हैं।

बलिया जिले में चन्दाताल के पानी की निकासी के लिए प्रार्थना

*३०—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले की तहसील बांसडीह के अन्तर्गत किन-किन गांवों की कितने-कितने एकड़ भूमि तालचन्दा में एकत्र होने वाले बरसाती पानी से नष्ट होती है ?

श्री राममूर्ति—बलिया जिले की बांसडीह तहसील में चन्दा ताल में एकत्रित बरसाती पानी के कारण कोई भी हानि नहीं होती है।

*३१—**श्री जगन्नाथ चौधरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उक्त चन्दाताल के बरसाती पानी की निकासी के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति—एक नाले के द्वारा यह ताल घाघरा नदी से मिला हुआ है और इस प्रकार सरकार द्वारा इसके पानी निकालने की योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चन्दाताल के किनारे कौन-कौन से गांव पड़ते हैं ?

श्री राममूर्ति—यह मेरे पास इत्तला नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य की इत्तला के लिये यह बता देना चाहता हूं कि यह चन्दा ताल घाघरा नदी और तुर्तीपुर बांध के बीच में पड़ता है। जब घाघरा में बाढ़ होती है तब उसका पानी नहीं निकलता है लेकिन जब वाटर लेबिल उसकी नीची होती है तब उसका पानी निकल जाता है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चन्दा ताल के बरसाती पानी को निकालने के लिये सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की कोई योजना बनाने के लिये तैयार हैं कि इस ताल का पानी भविष्य में सिंचाई के काम में लिया जा सके ?

श्री राममूर्ति—इस समय कोई योजना नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह बतायेगी कि पूर्वी जिलों के बरसाती पानी को निकालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—हर जिले में पानी के निकालने की अलग-अलग योजनायें रही हैं । जहां पर सर्वे हुआ है वहां पर बहुत-सा काम भी हो चुका है । जहां-जहां कोई दिक्कत आती है और वह दिक्कत विभाग के नोटिस में लायी जाती है, उसका सर्वे हो जाता है । लकिन सदन की इत्तला के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस समय इस मद में सरकार के पास कोई रुपया नहीं है । केन्द्रीय सरकार से जो रुपया मिला था वह सब खर्च हो चुका है । इसलिये निकट भविष्य में इस तरह की कोई योजना लेने का विचार नहीं है ।

*३२–३३—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[नवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४–३५—**श्री रघुवीर राम** (जिला गाजीपुर)—[हटा दिये गये ।]

बस्ती जिले में पुलिस थानों के क्षेत्रों में परिवर्तन

*३६—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मथुरा प्रसाद पांडे के १५–१२–५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के सम्बन्ध में थानों के गांवों में परिवर्तन करने का जो आश्वासन दिया गया था, उसके सम्बन्ध में बस्ती जिला के किन-किन थानों में कौन-कौन से गांवों का परिवर्तन किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बस्ती जिले में कुल ११९ गांवों का स्थानान्तरण उनके थानों से दूसरे थानों के क्षेत्र में किया गया है जिसका विवरण संलग्न† सूची में दिया हुआ है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि दी हुई सूची के पेज नंबर ४ पर जो नंबर १०० से १०४ तक गांव हैं, उनके थाने क्यों बदल दिये गये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—उस समय ऐसा खयाल था कि इन गांवों को अगर दूसरे थानों में बदल दिया जायगा तो प्रशासन का काम अच्छी प्रकार से हो सकेगा । लेकिन उनके बदल देने के बाद कुछ ऐसी भी सूचनायें आयीं कि यह बदलाव उपयुक्त साबित नहीं हुआ । जिन गांवों का बदलाव उपयुक्त साबित नहीं हुआ है, उनका प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि थाने में नये ग्राम जोड़ने के लिये क्या तरीका है ?

श्री कैलाश प्रकाश—तरीका कोई विशेष तो नहीं है । हर गांव थाने से लगे हुए होंगे, एक थाने से दूसरे थाने में बदलने के विषय में अगर कोई यह महसूस करता है कि किसी गांव का एक थाने से दूसरे थाने में जाना उपयुक्त है तो वह विभाग को इसके लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि यहां के लोग इस थाने में रहने को तैयार नहीं हैं इसलिये इसको दूसरी जगह जाना चाहिये फिर उस पर विभाग द्वारा विचार होता है ।

*३७—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

---

†सूची छापी नहीं गयी ।

*३८—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[हटा दिया गया ।]

*३९-४१—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—[नवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२—श्री जंगबहादुर वर्मा—[हटा दिया गया ।]

*४३—श्री मुक्तिनाथ राय—[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिया गया ।]

*४५—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[हटा दिया गया ।]

मैनपुरी जिले में थाना कुरावली के अन्तर्गत चोरियां, डकैतियां व क़त्ल

*४६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में थाना कुरावली में १० अगस्त, १९५८ से २० अगस्त, १९५८ तक कितनी चोरियां, डकैतियां व कत्ल हुये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस अवधि में ४ चोरियां, १ डकैती तथा १ कत्ल की घटनाएं हुईं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १० दिन के अन्दर जसे कत्ल, डकैतियां और चोरियां हुई हैं, इसका कोई खास कारण था ?

श्री कैलाशप्रकाश—कोई विशेष कारण तो इसका है नहीं, जो व्योरा प्राप्त हुआ है वह यह है कि साधारण कारणों से ही ये घटनायें हुई हैं ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में अभी कुछ दिनों से बदमाशों का एक गिरोह अपनी सरगर्मी दिखा रहा है ? ये चोरी, डकैतियां क्या उसी नये गिरोह की कारगुजारी से हुई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १० दिन के भीतर जो ये चोरियां, डकैतियां और कत्ल हुए हैं, तो क्या कोई मुलजिम पकड़ा भी गया है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह न्यायालय में मुकदमा है ।

बदायूं जिले में बन्दूक के हर लाइसेन्सदार से पांच रुपये लेने की शिकायत

*४७—श्री मुबारक अली खां (जिला बदायूं)—क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत आई है कि बदायूं में बंदूक के हर लाइसेंसदार से पांच रुपया चन्दा लिया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

श्री मुबारक अली खां—क्या सरकार मुझे इजाजत देगी कि मैं उसकी रसीदें किसी दिन लाकर पेश करूं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यदि माननीय सदस्य को कोई सूचना है तो जरूर दें, उसकी दखभाल की जायगी ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार को यह पता है कि हर लाइसेंसदार से ५ रुपये चन्दा लेने के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया है, वह उनसे जबरन राइफल क्लब के नाम पर और बन्दूक चलाने की शिक्षा देने के नाम पर पुलिस अधिकारी वसूल करते हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, बन्दूक के लाइसेंस लेने वालों की इच्छा होती है कि वे राइफल क्लब के मेम्बर बनें। अपनी इच्छा से वे राइफल क्लब के मेम्बर बनते हैं और ५ रुपये उसका चन्दा देते हैं और उसकी रसीदें भी दी जाती हैं। किसी पर जबरदस्ती नहीं होती है कि आप राइफल क्लब के मेम्बर हो जाइये।

श्री जगन्नाथ लहरी--प्रश्न ४७ में पूछा गया है कि बदायूं में बन्दूक के हर लाइसेंसदार से ५ रुपया चन्दा लिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब राइफल क्लब का मेम्बर बनना हर लाइसेंसदार की इच्छा पर निर्भर है तो फिर बदायूं के हर लाइसेंसदार से ५ रुपया क्यों लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि इन्क्वायरी कर रहे हैं, इसलिये यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी--माननीय गृह मंत्री ने जो बाद में उत्तर दिया उससे संबंधित है कि वह उनकी इच्छा के ऊपर है। उन्होंने मंजूर किया था कि ५ रुपया राइफल क्लब के मेम्बर होने पर लिया जाता है लेकिन प्रश्न यह था कि हर एक से ५ रुपया लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है 'जी नहीं', तो यह प्रश्न उठता नहीं है। आपने एक नया सवाल सजेशन के तौर पर दिया कि ये लाइसेंसदार जो राइफल क्लब में ज्वाइन करके राइफल चलाना सीखना चाहते हैं, उनसे ही ५ रुपया लिया जाता है, तो जवाब मिला कि हां, लेकिन जो पहला सवाल था कि क्या हर एक लाइसेंसदार से लिया जाता है, उसका जवाब उन्होंने दिया था, नहीं।

डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, कम्पलेंट्स, जिला बदायूं द्वारा चलाये गये घूस के मुकदमे

*४८--**श्री मुबारक अली खां**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेन्ट्स) ने १९५७-५८ में कितने रिश्वत के केस चलाये ?

श्री कैलाश प्रकाश--१-१-१९५७ से ३१-८-५८ तक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (क) बदायूं ने २५५ शिकायती पत्रों में जांच की जिसके फलस्वरूप ५४ मामलों में लगाये गये आरोप सही पाये गये। इन सभी मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई और कोई मामला न्यायालय नहीं भेजा गया।

श्री कैलाश कुमार सिंह (जिला बदायूं)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २५५ मामलों में से कितने पुलिस विभाग के थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--जो २५५ मामले हैं इनमें से गृह विभाग के १२६ हैं।

श्री कैलाश कुमार सिंह--मेरा मन्तव्य यह था कि जिनमें कार्यवाही की गई उनमें कितने ऐसे थे जो पुलिस विभाग के थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--३३ और १६।

श्री कैलाश कुमार सिंह--क्या यह सही है कि यह मामले एक ही सी० ओ० के सर्किल के थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--इतना ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी--२५५ में से ५४ मामले रिश्वत के जबकि कम्प्लेंट आफिसर ने सही पाये तो क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने लिखा है कि विभागीय कार्यवाही की गई तो इन ५४ अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, मेरे पास पूरा ब्योरा है। यदि आपकी आज्ञा हो . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप प्रकार बता दीजिये ।

श्री कैलाश प्रकाश--नौकरी से अलग किये गये, इंटीग्रिटी सार्टिफिकेट उनका रोका गया, एंट्री खराब की गई, उनका वेतन भी कम किया गया, उन्हें अर्दली रूम में भी भेजा गया और चेतावनी भी दी गई ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इन ५४ में से कितने अधिकारी नौकरी से बरख्वास्त किये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश--अध्यक्ष महोदय, इसमें एक भ्रम है। उसे स्पष्ट कर दूं। ५४ अधिकारी नहीं हैं बल्कि ५४ मामले हैं। उसमें अधिकारी और कर्मचारी दोनों हो सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिश्वत जैसे जघन्य अपराध क लिये सिर्फ विभागीय कार्यवाही ही क्यों की गई ? उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अदालती कार्यवाही उन मामलों में की जाती है जिनमें हमारे पास इतने एविडेंस होते हैं कि अदालत में उसको सजा दी जा सके। अगर उनमें कुछ कमी दिखाई देती है पर मालूम होता है कि मामला सच्चा है तो फिर उसमें विभागीय कार्यवाही की जाती है ।

*४९--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--[हटा दिया गया ।]

*५०--**श्री गंगाप्रसाद**--[हटा दिया गया ।]

बलिया जिले की बांसडीह तहसील में नहरी जमीन का लगान बन्द करने की प्रार्थना

*५१--**श्री जगन्नाथ चौधरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला, तहसील बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम सिकिया देवकली गाहाडीह में सिंचाई के लिये जो नहर निकली है उसमें पड़ी जमीन का लगान अभी किसानों को देना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी हां। माल विभाग द्वारा मालगुजारी की रकम का हिसाब लगाया जा रहा है जो नहर विभाग से ली जानी चाहिये ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या माननीय मंत्री महोदय जो मालगुजारी किसानों से ली जा रही है उसे बन्द कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ? साथ ही जो किसानों से मालगुजारी ली जा चुकी है उसे वापस दिलाने या लगान में मुजरा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--वैसे तो गवर्नमेन्ट का जी० ओ० हो गया है, हर जिला मैजिस्ट्रेट के पास खबर भेज दी गई है कि जहां कोई जमीन नहर या किसी और मुहकमे के काम के लिये ली गई है और जिसका मुआवजा अभी नहीं दिया गया है उस जमीन के ऊपर मालगुजारी रोक दी जाय, लेकिन कहीं कहीं जिला मैजिस्ट्रेटों को कुछ आशंका हुई और उन्होंने कुछ क्वेरीज की हैं, कुछ सवाल पूछे हैं। तो कुछ जिलों में इस जी०ओ० की अमलदरामद नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य की इत्तला के लिये बता देना चाहता हूं कि जितना रुपया मालगुजारी में लिया गया है जब उसका कम्पेंसेशन दिया जायगा उस जमीन का तब वह सब रुपया वापस कर दिया जायगा। इस जमीन के बारे में जिसका कि सवाल किया गया है नहर मुहकमे की तरफ से सन् १९५६ में कागजात रकबा और खाते वगैरह के भेज दिये गये हैं। चूंकि पिछले जमाने में कुछ अफसरों की कमी थी, अब अफसर बढ़ा दिये गये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह कार्य जल्दी हो जायगा।

*५२--**श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह** (जिला गोंडा)--[हटा दिया गया ।]

बस्ती जिले में थाना इटावा तिलोकपुर तथा ढेबरुआ के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*५३--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९५७ ई० तथा १९५८ ई० में पिछले मास जुलाई तक थाना इटावा तिलोकपुर तथा ढेबरुआ, जिला बस्ती में कुल कितनी डकैती, हत्यायें तथा बलव हुय ह ?

श्री कैलाशप्रकाश--मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७७ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डकैती, हत्याओं और बलवों में अभियुक्तों की ओर से कितनों में फायर आर्म्स का प्रयोग किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, डकैती जो हुई है एक, उसमें बन्दूक इस्तेमाल की गयी । जहां तक कत्ल का ताल्लुक है उसमें तो गंडासे इत्यादि का इस्तेमाल हुआ है, फायर आर्म्स का नहीं, और बलवों का पूरा ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है । लेकिन प्रतीत यह होता है कि इनमें भी कोई फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्रामों में रक्षा समिति का निर्माण हुआ या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित डकैती में कितने व्यक्तियों का चालान हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश--२२ आदमी गिरफ्तार किये गये थे ।

सहारनपुर जिले में गंगा नहर शताब्दि स्मारक पुल की सीढ़ियों के नीचे सूचना केन्द्र न खुल सकना

*५४--श्रीमती शकुन्तला देवी (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में गंगा नहर शताब्दि स्मारक पुल की सीढ़ियों के नीचे एक सूचना केन्द्र स्थापित करन का सरकार का विचार था ? यदि हां, तो अब तक एसा क्यों नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । यह प्रश्न अब भी विचाराधीन है परन्तु वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण केन्द्र की स्थापना अब तक नहीं हो सकी है ।

*५५--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--[हटा दिया गया ।]

वाराणसी जिलान्तर्गत रामगढ़ ग्राम के पश्चिमी भाग से पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध न होना

*५६--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा रामगढ़, परगना बरह, जिला वाराणसी के पश्चिम तरफ सरकार द्वारा छोटी नहरें खोद कर परगना बरह तथा परगना बढ़वल के बरसात के पानी को रामगढ़ के पश्चिम तरफ वाली नदी में गिराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं ।

नोट--तारांकित प्रश्न ५३ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछा ।

श्री लोकनाथ सिंह--- क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आपके उत्तर से "जी नहीं" का आधार क्या है ?

श्री राममूर्ति---सवाल में लिखा है कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा रामगढ़, परगना बरह, जिला वाराणसी के पश्चिम तरफ सरकार द्वारा छोटी नहरें खोद कर परगना बरह तथा परगना बढ़वल के बरसात के पानी को रामगढ़ के पश्चिम तरफ वाली नदी में गिराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?"

मैंने लिखा है कि कोई पानी गिराने का प्रोग्राम या योजना इस वक्त सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री लोकनाथ सिंह---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अजगरा, चकिया, पलिया, मुहम्मदपुर होते हुए पहली नहर एक साल पहले और दूसरी नहर कैथी, सुनौला, चहनिया होते हुए दो वर्ष पहले उस रामगढ़ नदी में गिरायी गई ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसकी सूचना नहीं है; लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक पहले से ड्रेन वहां पर बनी हुई थी जो इस साल गहरी तथा चौड़ी कर दी गई । पिछले जमाने में वह पट गई थी, अब उसकी सफाई की वजह से पानी बाकायदा निकल रहा है । कोई नई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री लोकनाथ सिंह--- क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ड्रेन खोदने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति---पानी निकालने के लिये ।

श्री लोकनाथ सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २५ बीघे का पानी निकाल कर ५० बीघे डुबाया जाय, यह कौन-सी नीति है ?

श्री अध्यक्ष---आप अपनी तकलीफ ठीक से नहीं बयान कर रहे हैं ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--- क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ड्रेन करने के लिये नहर निकाली गई थी उसके बाद से अब तक किसी इंजीनियर ने देखभाल की है ?

श्री राममूर्ति---इंजीनियर लोग और उनके नीचे का जो अमला है वह हर साल चीजों का मुआयना करता रहता है, उसका काम ही यह है ।

श्री जगन्नाथ लहरी-- (मंत्री महोदय के उत्तर से संबंधित) मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया था लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में उन्होंने स्वीकार किया कि पुरानी ड्रेन थी, उसकी सफाई की गई और इसको पानी निकालने के लिये ठीक किया गया । तो उनके किस उत्तर को सही माना जाय ?

श्री राममूर्ति-- दोनों ही बातें सही हैं । जो योजना तैयार हो गई उसके जरिये से वहां का पानी निकाला जा रहा है । आगे कोई योजना बनाने का इस वक्त इरादा नहीं है ।

*५७---श्री धनुषधारी पांडेय---[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में राप्ती, बूढ़ी राप्ती और कूड़ा-घोंघी नदियों की बाढ़ को रोकने की योजना

*५८---श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने बस्ती जिले में राप्ती-बूढ़ी, राप्ती, वानगंगा-विलार-कूड़ा-घोंघी जमुआर तथा तेलार नदियों की बाढ़ रोकने के लिये कोई स्थायी या अस्थायी योजना बनाई है ?

श्री राममूर्ति--- जी हां, बस्ती जिले में राप्ती, बूढ़ीराप्ती और कूड़ा-घोंघी नदियों की बाढ़ रोकने के लिये इनके किनारे-किनारे बांध बनाने की योजना बनाई गई है, परन्तु बानगंगा, बिलार, जमुआर तथा तिलार नदियों के तटों पर बांध बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राप्ती-बूढ़ी नदी के किनारे जो बांध बनाने की योजना सरकार ने स्वीकार की है उसको कब कार्यान्वित करने का विचार है ?

श्री राममूर्ति---योजना तो स्वीकार की जा चुकी है, लेकिन अभी कोष की कमी होने की वजह से कार्यान्वित नहीं की जा रही है। कूड़ा और घोंघी नदियों के किनारे बांध बनने वाला था वह मार्च, १९५९ तक बन कर तैयार हो जायगा और १८ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बानगंगा, बिलार और जमुआर नदियों की बाढ़ से जो फसल की बरबादी होती है उसको देखते हुये इन नदियों पर बांध बनाने की योजना स्वीकार करेंगे ?

श्री राममूर्ति---बांधों का सर्वे हो गया है, लेकिन मैंने अर्ज किया कि पैसे की कमी की वजह से वह योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

श्री केशव पांडेय---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब तक यह बांध बन नहीं पाता है तब तक के लिये बाढ़ से बचने का क्या उपाय किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---अभी तो परमात्मा से ही प्रार्थना की जा सकती है।

*५९---श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६०---श्री गरीबदास---[हटा दिया गया।]

गढ़वाल जिले में बहुधन्धी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*६१---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गढ़वाल जिले के अन्दर अब तक कितने Multi-purpose Higher Secondary School (बहुधन्धी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) खोले गये और अब आगामी २ वर्षों के अन्दर ऐसे कितने विद्यालय और किस-किस स्थान में उक्त जिले के अन्दर खोले जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में पौड़ी-गढ़वाल जिले के अन्दर कर्णप्रयाग तथा श्रीनगर में स्थित दो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मल्टी-पर्पज स्कूलों में बदला गया। शेष दो वर्षों में खोले जाने वाले मल्टीपर्पज स्कूलों के स्थानों की सूचना देना अभी सम्भव नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले के सरकारी और गैरसरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुधन्धी विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्णय हो जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह तो तमाम प्रदेश के स्कूलों के विषय में मामला विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग हायर सेकेन्डरी स्कूलों की प्रबन्ध समितियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इन स्कूलों को सरकार अपने हाथ में ले ले और उन्हें बहुधंधी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह केवल गोपेश्वर या रुद्रप्रयाग के स्कूलों की ही बात नहीं है वरन् मेरा खयाल है कि हमारे पहाड़ी इलाके का शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जो इस बात का इच्छुक न हो कि सरकार उसको ले ले और पहाड़ी इलाके में प्रायः सब जगह से ऐसी मांग की गई है कि उन स्कूलों को सरकार चलाये। लेकिन सरकार का ऐसा विचार नहीं है कि सरकार सब स्कूलों को लेकर चलाये। इन दोनों स्कूलों का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, अगर सरकार उनको नहीं भी लेगी तब भी सरकार उनकी कोई समुचित सहायता करेगी ताकि वह स्कूल चलते रहें।

जे० टी० सी० के चुनाव में मैनपुरी जिले के अभ्यर्थी

*६२---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मई और जून, १९५८ ई० में जो जे० टी० सी० के लिये चुनाव हुआ है, उस में कुल कितने अभ्यर्थी लिये गये हैं और उनमें कितने हरिजन हैं और कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---मैनपुरी जिले से जे० टी० सी० के लिये दो अभ्यर्थी चुने गये हैं। इनमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का कोई नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसी हरिजन या पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश---इस कालेज में कई जिलों से विद्यार्थी लिये जाते हैं। यदि इनमें कोई उपयुक्त हरिजन विद्यार्थी नहीं मिलता तो कोई नहीं लिया जाता।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र आया था ?

श्री कैलाश प्रकाश---अगर यह मैनपुरी जिले का प्रश्न है तो मैं बता दूं कि वहां से एक हरिजन का प्रार्थना-पत्र आया था, इस कालेज में कुल २४ विद्यार्थी हैं जिसमें से ४ हरिजन और २ पिछड़े वर्ग के हैं।

*६३---श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---[हटा दिया गया।]

बलिया जिले में घाघरा और टोंस के किनारे ऊंचे किये गये ग्राम

*६४---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सिंचाई राज्य-मंत्री कृपया बलिया जिले में घाघरा और टोंस के किनारे पूरी तौर से ऊंचे किये गये गांवों की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राममूर्ति---बलिया जिले में घाघरा और टोंस नदी के किनारे पूरी तौर से ऊंचे किये गये गांवों की अलग-अलग सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७८-७८० पर)

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि डूंहाबिहरा ग्राम जो रिंग बांध के अन्दर था, वह उसके टूटने से खतरे में पड़ गया है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति---इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को सूचना मान कर इसकी जांच कराकर व्यवस्था कराकर, गांव को बचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो इसकी जांच करा ली जायगी।

*६५---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---[हटा दिया गया।]

जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में ऊंचे किये गये गांवों पर व्यय

*६६---श्री नागेश्वर प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि योजना के प्रारम्भ से अब तक तहसील मछलीशहर, जौनपुर के किन-किन बाढ़ पीड़ित गांवों का स्तर ऊंचा किया गया और प्रत्येक पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति---जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में ३४ ग्रामों पर पटाई का कार्य किया गया है, जिनकी सूची संलग्न है, और उन पर किया गया व्यय सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८१ पर)

श्री नागेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में पटाई का काम नहीं हुआ है या अधूरा पड़ा हुआ है, उनको पूरा कराने के बारे में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---धन की कमी की वजह से और कोई साधन इस समय है नहीं।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों की विशेष परिस्थिति के कारण प्रदेशीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से धन की मांग की है ?

श्री राममूर्ति---कई-कई बार दरख्वास्त की गयी है कि रुपया कुछ मिलना चाहिये, लेकिन हर दफा मांग करने पर यह डर मालूम पड़ता है कि जो कुछ मिल गया है उसमें से भी कहीं कुछ न कट जय।

श्री माता प्रसाद---क्या आदरणीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गांव इस तरह से ऊंचे किये जाते हैं कि बरसात के दिनों में उनकी मिट्टी बह जाती है ?

श्री राममूर्ति---बरसात में तो मिट्टी बहा ही करती है, मगर जब गांव की मिट्टी कटे तो वहां के लोगों का फर्ज है कि बरसात की कटी हुई मिट्टी को फिर से भरें।

*६७---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---[हटा दिया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री जंगबहादुर वर्मा---[हटा दिया गया।]

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके संबंध में। श्री जमुनाप्रसाद शुक्ल, रायबरेली की १९ तारीख को दफा १४४ के उल्लंघन में गिरफ्तारी हुई है। मुनीन्द्रपाल सिंह जी की पीलीभीत में, १८ सितम्बर को इंडियन पीनल कोड की धारा १४३ तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १५१ के मातहत गिरफ्तारी हुई है। राजेंद्र सिंह जी यादव की फर्रुखाबाद में तारीख १८ सितम्बर को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १०७ और ११४ के अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है। श्री जयदेव सिंह की मैनपुरी में १८ सितम्बर को दफा ६४, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत गिरफ्तारी हुई। श्री रामदीन जी की भी मैनपुरी में १८ सितम्बर को इसी दफा के मातहत गिरफ्तारी हुई। सजीवनलाल जी की उन्नाव में १८ सितम्बर को दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तारी हुई। श्री भगवती सिंह जी विशारद की उन्नाव में दफा १४५ आई० पी० सी० के मातहत

[श्री अध्यक्ष]

१८ तारीख को गिरफ्तारी हुई। श्रीमती राजेंद्र कुमारी की हमीरपुर में १७ सितम्बर, १९५८ को दफा १४५, आई०पी० सी० में गिरफ्तारी हुई। श्री रूर्मासिंह की शाहजहांपुर में १७ सितम्बर को दफा २२८ आई०पी०सी० में गिरफ्तारी हुई। श्री बालकराम जी की भी शाहजहांपुर में १७ तारीख को उसी दफा के मातहत गिरफ्तारी हुई। श्री रघुराज सिंह जी की बुलन्दशहर में २१ तारीख को दफा १५१ जाब्ता फौजदारी के मातहत गिरफ्तारी हुई। श्री रामस्वरूप वर्मा जी की कानपुर में २० सितम्बर को दफा १४५, आई०पी०सी० के मातहत गिरफ्तारी हुई। श्री टम्बरेश्वर प्रसाद की सीतापुर में दफा १८८, आई०पी०सी० और दफा १४४ जाब्ता फौजदारी के मातहत २० सितम्बर को गिरफ्तारी हुई।

सोन नदी में बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब यह कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ लहरी जी ने भेजा है :--

"राजस्थान का रोका हुआ पानी छोड़ देने के कारण सोन नदी की बाढ़ में परिवर्तित हो गया है। इस पानी ने प्रलय का रूप धारण कर लिया है। कल पानी रात को अछनेरा के बाजार में (अछनेरा, किरावली तहसील, जिला आगरा का प्रमुख कस्बा है) पहुंच गया है। लोगों में इस अप्रत्याशित बाढ़ के कारण भगदड़ मच गयी है। अतः इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह १९ तारीख को आया था, लेकिन चूंकि उस रोज शोक प्रस्ताव लिया गया था इसलिये यह नहीं लिया जा सका और आज मैंने इसको पढ़ दिया है। क्या माननीय संबंधित मंत्री इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--सरकार के पास इसके बारे में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष--(श्री जगन्नाथ लहरी से) इसमें यह भी नहीं दिया हुआ है कि किस तारीख को यह हुआ ?

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--मैंने उसमें लिखा है कि कल पानी आ गया है।

श्री अध्यक्ष--हां, यह लिखा हुआ है।

श्री जगन्नाथ लहरी--तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आज संबंधित मंत्री इस संबंध में सूचना मंगा लें, कल इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है। तो ऐसा कर दें कि केवल सूचना आपको दे दें क्योंकि कामरोको प्रस्ताव का विषय तो यह रह नहीं जाता।

श्री जगन्नाथ लहरी--मुझे कामरोको प्रस्ताव पर बहस से कोई मतलब नहीं। मैं तो इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है। (श्री रामस्वरूप यादव से)--कल आप इस संबंध में सूचना दे दें।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक दूसरा कामरोको प्रस्ताव उनका है :--

"अकबरपुर (फैजाबाद) में कल पुलिस ने शांत प्रदर्शनकारियों पर जो भीषण लाठी-चार्ज किया है जिसके फलस्वरूप अनेक व्यक्ति घायल हो गये हैं। इस लाठी चार्ज के फलस्वरूप

अकबरपुर में बड़ी उत्तेजना पैदा हो गयी है। अतः इस पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यानी १८ तारीख को यह लाठी चार्ज हुआ। इस विषय में.....

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—मैं इस संबंध में भी सिर्फ सूचना ही चाहता हूं। अगर सरकार के पास कोई सूचना हो तो देने की कृपा करे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, १८ सितम्बर को या उसके बाद २२ सितम्बर तक अकबरपुर में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, न कोई घायल हुआ, न वहां कोई उत्तेजना फैली।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, अकबरपुर के बाद ब्रैकेट्स में "फैजाबाद" लिखा हुआ है। तो फैजाबाद में यदि कोई घटना हुई हो उसकी सूचना मंत्रीजी देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—फैजाबाद लिखा हुआ है लेकिन उसका जिले से मतलब है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—फैजाबाद जिले में अकबरपुर एक टाउन है। उनका प्रस्ताव तो यह है कि कल १८ तारीख को अकबरपुर में कोई लाठी चार्ज हुआ। मेरा कहना यह है कि फैजाबाद जिले के अकबरपुर में १८ से २२ तारीख के बीच में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, न कोई घायल हुआ, न कोई उत्तेजना फैली।

श्री अध्यक्ष—यह आपका प्रस्ताव तो वैसे ही गिर जाता है क्योंकि अनिश्चित है।

ऐडीशनल सेशन्स जज, सीतापुर द्वारा दर्शकदीर्घा रजिस्टर की मांग के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि सीतापुर के ऐडीशनल सेशन्स जज की तरफ से यह समन इस विषय में आया है कि यहां के दर्शक दीर्घा के बारे में जो रजिस्टर रखा जाता है, उसके साथ एक कोई आफिसर हमारे सदन का लेकर उनके इजलास में उपस्थित हो। इस सम्बन्ध में नियम यह है कि जब कभी इस तरह का समन आता है तो हाउस आफ कामन्स और लोक सभा में भी यह नियम है कि इस विषय को प्रिविलेज कमेटी के सामने रख दिया जाता है और वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र दे देती है सदन के सामने। अगर सदन कमटी की सिफारिश पर इजाजत देता है कि सदन के कागजात, जो तलब किये गये हैं, अदालत में भेजना उचित है तो कागजात भेजे जाते हैं और साधारणतया सदन इजाजत दे ही देता है, क्योंकि सदन अदालत के काम में किसी तरह की अड़चन नहीं डालना चाहता। अध्यक्ष अपने अधिकार से, जबकि सदन न बैठा हो कागजात भेज सकता है, लेकिन अगर सदन बैठ रहा है तो प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला पेश करके, रिपोर्ट आने पर, सदन की आज्ञा से कागजात भेज दिये जाते ह। इसलिये मैंने इस आदरणीय सदन को सूचना दी। अगर किसी को इस बारे में चर्चा करना हो तो मैं उसके लिये थोड़ा सा मौका दे दूंगा। वैसे मैं इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने भेज रहा हूं और यह भी कहे देता हूं कि क्योंकि सदन दो तीन रोज ही और बैठेगा, इसलिये दो रोज म कमेठी राय दे दे। अगरराय आजायगी तो इस प्रश्न को सदन के साम ने रखकर, जो सदन का फैसला होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टैच्यूट्स में प्राप्त संशोधनों पर विचारार्थ समय-निर्धारण की मांग

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ४० के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से उसके स्टैच्यूट्स १६,१७ तारीख को सदन की मेज पर रखे गये थे। मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उसकी बहस के लिये कोई समय निर्धारित किया जाय तो बेहतर है।

श्री अध्यक्ष---इस अधिनियम में यह दिया है कि स्टैच्यूट्स बनने से पहले सदन की मेज पर रखे जायं। वह १७ तारीख को रखे गये। श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी ने कुछ संशोधन मेरे पास भेजे हैं। आप विचार करके कोई रोज निश्चित करें जिस रोज वह ले लिये जायेंगे और उन पर विचार होकर, उनमें परिवर्तन या परिवर्द्धन कुछ भी करना हो तो वह किया जा सकता है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, कल इस सम्बन्ध में कुछ बतला सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ (Kumaun Zamindari Abolition and Land Reforms Bill, 1957) पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७८२-८१२ पर)

श्री अध्यक्ष-----इस में जो प्रतियां मेरे पास आई हैं वह पूरे तौर से छपी नहीं हैं, छपवाकर बांट दी जायंगी। प्रस्ताव में यह दिया था कि २० तारीख तक आ जाना चाहिये। इसलिये उन्होंने भेज दिया, छपकर नहीं आया है, इसलिये सदन में इसकी प्रतियां छपवा कर बांट दी जायंगी।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत-चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Consolidation of Holdings (Amendment) Bill, 1958] पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ-८१३-८३८-पर)

*लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ [The Lucknow University (Amendment) Bill, 1958] पर विचार किया जाय। बहुत छोटा-सा संशोधन है, मान्यवर और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के विधेयक पर इस सदन और विधान परिषद् में भी विचार हो रहा था तो एक आश्वासन

*२७-८-१९५८ की कार्यवाही में छपा है।

दिया गया था कि इस प्रकार का संशोधन हम किसी समय अधिवेशन में विधान सभा और विधान परिषद् में प्रस्तुत कर देंगे। बात यह है कि वेतन-क्रम में जो एकरूपता लायी गयी उसके फलस्वरूप लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अधिनियमों में संशोधन उपस्थित किये गये और उस अवसर पर कुछ थोड़े से और आवश्यक संशोधन भी प्रस्तुत किये गये।

उसमें एक संशोधन यह भी था कि एग्जिक्यूटिव काउन्सिल के एक्सटर्नल मेम्बर्स दो टर्म से ज्यादा एक साथ मेम्बर नहीं हो सकते। यानी दो टर्म के बाद एक बार गैप होना चाहिये तब फिर मेम्बर हो सकता है। यह एक क्लाज लगाया था दो कारणों से। एक तो यह कि राधाकृष्णन कमीशन ने भी इसकी सिपारिश की थी। दूसरे यह कि जब इंटरनल मेम्बर्स पर प्रतिबन्ध है कि एक बार के बाद दूसरी बार नहीं हो सकते क्योंकि सीनियारिटी के हिसाब से रोटेशन में आते हैं तो एक्सटर्नल मेम्बर्स के बारे में जो कुछ राधाकृष्णन कमीशन ने कहा उसके अनुसार यह प्रतिबन्ध लगाया गया। यहां और उस सदन में भी यह शंका उठायी गयी कि कहीं इसका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट न हो तो उस वक्त एक संशोधन यहां उपस्थित किया गया था कि इस क्लाज का असर पीछे न होने पाये। लेकिन जिस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक में यह संशोधन पेश किया गया उस समय, समय नहीं था। हमने उसको स्वीकार नहीं किया। वह विधेयक पास हुआ।

लेकिन जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विधेयक यहां विचाराधीन था, और दूसरे सदन में भी तो वैसा ही संशोधन पेश किया गया और समय से पेश किया गया। उसको हमने स्वीकार कर लिया और उस वक्त सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि समयानुकूल लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इस प्रकार का संशोधन कर दिया जायगा। एक-रूपता आ जायगी। यह वही संशोधन है कि यह प्रतिबन्ध आगामी दो टर्म मानने के बाद तक लागू होगा। यह उसका संशोधन है। इस सिद्धांत को हम स्वीकार कर चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधिनियम में जो स्वीकार हो चुका है। एक-रूपता लाने के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पेश किया गया है। इसमें कोई गम्भीर विचार की आवश्यकता इसलिये भी नहीं है कि इस सिद्धांत को उस समय सदन ने स्वीकार किया था और यह कहा गया था सरकार की ओर से कि इस समय तो विधेयक पास हो जाय, समय से बाहर वह संशोधन आया था फिर इसको हम सरकार की ओर से पेश कर देंगे। उसी आश्वासन के अनुसार यह प्रस्ताव, मान्यवर, आप की आज्ञा से सदन के सम्मुख प्रस्तुत है और मेरी यह प्रार्थना है कि उस पर यह सदन विचार करे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह-मंत्री ने लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसमें संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

अध्यक्ष महोदय, यद्यपि शिक्षा मंत्री जी ने एक छोटा-सा संशोधन लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिनियम में करने का सुझाव दिया है फिर भी मैंने सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। एक छोटा-सा संशोधन होते हुये भी मुझे यह मांग प्रवर समिति में भेजने की क्यों करनी पड़ी इसके पीछे भी कुछ इतिहास है। इस सदन के सम्मुख हम देखा करते थे कि १९५८ की जुलाई से जब से यह अधिवेशन आरम्भ हुआ और फरवरी में भी जब सेशन शुरू हुआ तो तब से बराबर लखनऊ के ही राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की यहां पर हड़ताल, भूख-हड़ताल का आन्दोलन होता था। यहां पर काफी उपद्रव हुये और यहां तक कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ को शांत करने के लिये गोली चलानी पड़ी थी। उसमें एक रिक्शेवाला गोली का शिकार भी हुआ था। उसके बाद एक समझौता हुआ और उस समझौते में इस बात की घोषणा की गई कि लखनऊ विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज के वे छात्र जो कि मेडिकल कालेज में भरती होना चाहें उनको एम०बी०बी०एस० के प्रथम वर्ष में

[श्री जगन्नाथ लहरी]

प्रवेश कर लिया जायगा। यह निर्णय किया गया। फिर सभी के सामने यह बात आई कि इसकी स्वीकृति उपकुलपति द्वारा ही मिल सकती है। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसमें यूनिवर्सिटी के अधिकार की बात थी। वह यूनिवर्सिटी अधिकार क्षेत्र में होने के कारण विद्यार्थियों से जो समझौता हुआ था उसको रद्द करते हुये पुनः वहीं बी० एम० बी० एस० में उन सभी विद्यार्थियों को रहना पड़ा।

जब लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० के छात्रों के सामने मेडिकल कालेज में इनके भरती होने का प्रश्न आया तो मेडिकल छात्रों में भी उत्तेजना फैली। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस विधेयक में हम संशोधन करने जा रहे हैं तो उस समय हम इस बात का प्रयत्न करें कि इस ऐक्ट में जो संशोधन करना हो उस पर भी इसी समय विचार कर लिया जाय जिससे बार-बार इस विधेयक को सदन के सामने लाने की आवश्यकता न रह जाय क्योंकि कुछ दिन पहले सन् १९५७ में भी लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम इसी सदन में संशोधित हुआ था। सदन ने उसको संशोधित रूप में पास किया था। आज सन् १९५८ में फिर उस लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन लाया जा रहा है और यह दोनों सदनों की स्वीकृति के लिये जायगा। जिस समय यह सदन बैठा नहीं था तो उस समय हमने देखा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये एक आर्डिनेन्स के द्वारा संशोधन किया गया। भारत सरकार ने बनारस विश्वविद्यालय के विधेयक में, जो कि इस प्रदेशीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसमें भी आर्डिनेन्स से संशोधन किया है; तो हो सकता है कि जब सदन अनिश्चित काल के लिये उठ जाय उस समय शिक्षा मंत्री महोदय को इस बात की आवश्यकता पड़े कि लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम में इस प्रकार का परिवर्तन करना है, और उसके लिये उन्हें आर्डिनेन्स की आवश्यकता न पड़े। उसके लिये एक मात्र रास्ता यही है कि इस विधेयक को वह किसी प्रवर समिति के सिपुर्द कर दें और उसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। अर्थात् प्रवर समिति जो भी आवश्यकीय और उचित संशोधन समझे वह इस विधेयक में कर सके। जब कि हमें गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट्स में संशोधन लाने पड़े तो इस बात की भी आवश्यकता पड़ सकती है कि हमें इस विधेयक में फिर बाद में और संशोधन लाने पड़ें इसलिये अच्छा यही होगा कि हर उचित और संभव संशोधन को इसी समय कर दिया जाय और यह तभी संभव हो सकता है कि जब इसको किसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसको इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि यदि वह यह समझते हैं कि अगले कुछ महीनों में उनको इस विधेयक में फिर कोई संशोधन करने हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि १९५७ में जब इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा था उस समय भी उनके समक्ष वह संशोधन था जो अब प्रस्तुत किया गया है, और इस प्रकार है :

"For the purposes of this proviso, the first term of a member of the Executive Council shall commence after the expiry of the term of his membership at the time of the commencement of this Act."

तो स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते समय उनके पास इस संशोधन का सुझाव आ गया था, लेकिन उस समय इसको उन्होंने उचित नहीं समझा और जब कार्यरूप में वह अधिनियम परिणित किया गया तो इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इसको अवश्य किया जाय। हो सकता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा कितने ही और संशोधनों के सुझाव भी आये हों, किन्तु शिक्षा मंत्री जी ने उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं नहीं समझता कि उनके पास यह सुझाव हैं या नहीं, लेकिन यदि हों तो उन पर इस विधेयक के पास हो जाने के बाद नहीं, पहले ही विचार हो जाय तो अच्छा होगा। उसके बाद उनके लिये अलग से विधेयक लाने में धन और समय दोनों का दुरुपयोग होगा। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आपके संशोधन का कोई विरोध नहीं

है, मैं आप के संशोधन को सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हूं लेकिन आप के काम में आप को अधिक सुविधा और शक्ति देने के लिये कि जिस के द्वारा आप हर उचित और संभव सुझाव, जो आप के पास पड़े हैं, उन में से जिसे आप उचित समझें, मान कर संशोधन के रूप में इसमें पेश कर सकें, इसके लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। और यदि शिक्षा मंत्री महोदय को यह प्रस्ताव उचित जान पड़े तो इसको वह स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो संशोधन लहरी जी ने पेश किया है उसकी इस समय कतई आवश्यकता नहीं है। जो संशोधन हमने रखा है उससे उनको कोई विरोध नहीं है, प्रत्युत उस से वे सहमत हैं और अब वह कहते हैं कि शायद कोई और संशोधन करना हो, कोई और सुझाव आये हों और ऐसी परिस्थिति में और भी जो संशोधन करने हों उनको सोच-विचार कर लिया जाय इसी समय, और इसके लिये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि न तो कोई सुझाव ही हमारे पास है और न कोई परिस्थिति ही है, न कोई और बात ही हमारे सामने है जिसकी वजह से इसको प्रवर समिति में भेजे जाने की बात हो। यह संशोधन भी कोई नया नहीं है जिसको हमने पहले उपयुक्त न समझा हो और इसलिये उस वक्त स्वीकार न किया हो। उस वक्त भी यह संशोधन प्रस्तुत किया गया था। मैं उस वक्त सहमत था और उसको स्वीकार करने के लिये तैयार था, लेकिन आदरणीय उपाध्यक्ष जी उस वक्त सभापति के आसन पर विराजमान थे। वह संशोधन समय के बाद आया और उसका किसी ने विरोध कर दिया, इस पर उन्होंने कहा कि यह समय के बाद आया, इसको इस समय नहीं लिया जायगा, यदि शिक्षा मंत्री जी इससे सहमत हों तो बाद में ले आयें, इस कारण से वह रह गया था। अगर वह उसी समय आ जाता तो उसी समय स्वीकार कर लिया गया होता। इस सदन में और विधान परिषद्, दोनों में यह आश्वासन भी दिया गया था कि शीघ्र ही यह संशोधन लाया जायगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक में यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, जिसका अर्थ साधारणतः यह होता है कि इस प्रकार का संशोधन सदन स्वीकार कर चुका है, इसलिये इसको यहां भी जोड़ा जा रहा है। मैं यह भी कह सकता हूं कि किसी समय किन्हीं परिस्थितियों के अधीन अगर लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो उस समय वह प्रस्तुत किया जायगा लेकिन इस समय कोई कारण नहीं है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, जबकि शिक्षा मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके पास कोई सुझाव शेष नहीं हैं ऐसी स्थिति में मैं अपने प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने वाले संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में निम्नलिखित उस खंड के स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ दिया जाय :—

यू०पी० ऐक्ट ५,१९२० की धारा १९ का संशोधन।

"Explanation—For the purposes of this proviso, the first term of a member of the Executive Council shall cnmmence after the expiry of the term of his membership at the time of the commencement of this Act."

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

खंड २ में प्रस्तावित स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में शब्द "expiry" के स्थान पर शब्द "termination" रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत ही मासूम है । यदि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे तो जो एक्सपायरी शब्द के कारण कानून में खामी रह जाती है, वह दूर हो जायगी । गवर्नमेन्ट ने रिमूवल आफ डिफिकल्टीज़ आर्डर निकाला है, उसके अनुसार नयी बाडीज १५ जनवरी, १९५८ को बनाने जा रही है तो "expiry" शब्द से यह कहा जा सकता है कि टर्म समाप्त नहीं हुआ । लेकिन अगर टरमिनेशन शब्द रख दिया जाता है तो जो कानूनी कमी इसमें रह गयी है वह दूर हो जायगी । मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि एक्सपायरी के स्थान पर टरमिनेशन शब्द रखा जाय, "एक्सपाइरी आर टरमिनेशन" रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे आशा है माननीय नेकराम जी और मंत्री जी मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, टरमिनेशन शब्द से ही सारा मतलब हल हो जायगा, इसलिये मैं माननीय लहरी जी के संशोधन से सहमत नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में शब्द "expiry" के स्थान पर शब्द "termination" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना व खण्ड १

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०। कुछ प्रयोजनों के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२०। यह इष्टकर है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० संशोधित किया जाय :

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ [The Lucknow University (Amendment) Bill, 1958] जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ [The Lucknow University (Amendment) Bill, 1958] जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ [The U. P Consolidation of Holdings (Amendment) Bill, 1958] पर विचार किया जाय ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ को इस सदन में विचार हेतु प्रस्तुत किया है--- अभी थोड़ी देर पूर्व ही उन्होंने इस विधेयक को इस सदन में पुरःस्थापित किया है--- तो जो विधेयक चन्द मिनट पूर्व ही पुरःस्थापित किया गया हो, क्या उस पर उसी समय सदन में विचार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---इसकी प्रतियां १९ सितम्बर को वितरित कर दी गयी थीं, तो सदन के सामने करीब तीन रोज से यह मौजूद है या सदन के सदस्यों की जानकारी में तो तीन दिन से है ही, क्योंकि इसकी नोटिस दे दी गयी थी । ऐसी हालत में मुझे यह अधिकार है नियम ९५ के मातहत कि, उपस्थित एतराज--- अगर मैं इसके लिए विशेष इजाजत न दूं तब तो कायम रहेगा--- लेकिन मैं इसे उपस्थित करने की इजाजत दे दूं तो आपका एतराज खत्म हो जायगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी---अपना निर्णय देने के पूर्व मेरी एक बात आप और सुन लें और उसके बाद निर्णय दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष---बहुत अच्छा ।

श्री जगन्नाथ लहरी---यह बात सही है कि इस विधेयक की प्रतियां १९ तारीख को वितरित कर दी गयी थीं लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये प्रतियां इस हाउस में नहीं वितरित की गयी थीं । इस सदन में जो सदस्य उपस्थित थे उनको इस विधेयक की किसी प्रकार की कोई प्रति नहीं दी गयी लेकिन बाद में १९ तारीख को जो सदस्य विधायक निवास में थे उनके पास इस विधेयक की प्रतियां पहुंचा दी गयीं । तो मेरा कहना यह है कि किसी विधेयक पर विचार करने के लिये सभी उपस्थित सदस्यों को विधेयक की प्रतियों का मिलना आवश्यक था । १८ तारीख को जो सदस्य सदन में उपस्थित थे और १९ तारीख को भारत रत्न डाक्टर भगवान दास के निधन के कारण इस सदन को स्थगित होना पड़ा उस समय भी सदन से निकलते समय इस विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों में वितरित की जा सकती थीं और इस तरह से यह समझा जाता कि १९ तारीख को जो सदस्य सदन में उपस्थित थे उनको इस विधेयक की प्रतियां मिल गयीं । लेकिन इस विधेयक की प्रतियां सदन के बाहर जाते समय सदस्यों को नहीं वितरित की गयीं बल्कि १९ तारीख की रात्रि में या शाम को विधायक निवास में इस विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं जब कि बहुत से सदस्य बाहर या इधर उधर जा चुके थे ।

श्री अध्यक्ष---आपको तो मिल गयी थी ?

श्री जगन्नाथ लहरी---मुझ को भी २० तारीख को मिली जैसा कि मैंने अपने संशोधन में इसकी सूचना दी है । तो धारा ९४ में लिखा हुआ है कि तीन दिन पहले बिल की प्रतियां वितरित हो जानी चाहिये लेकिन वे वितरित नहीं हुईं । तो मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज इस विधेयक पर विचार करने की आज्ञा न दीजिये ।

दूसरी बात धारा ९० के अन्तर्गत इसमें यह लिखी हुई है कि अगर कोई विधेयक पुरःस्थापित न हो तो वह गजट में प्रकाशित कर दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, जब सदन चल रहा हो उस समय गजट में प्रकाशन कोई मूल्य नहीं रखता क्योंकि सदन के चलते समय सभी सदस्य यहां उपस्थित रहते हैं, तो उस समय सदन की मेज पर ही उसका पुरःस्थापित करना आवश्यक है । इसलिये मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जब सभी सदस्यों को समय से पूर्व इसकी प्रतियां नहीं मिल सकीं, कुछ ही सदस्यों को मिल सकीं और दूसरे यह अभी-अभी पुरःस्थापित हुआ है, ऐसी दशा में आप इस पर विचार करने की आज्ञा न दें ।

श्री अध्यक्ष---इसमें दोनों ही बातें हुई हैं । एक तो गजट में यह छप चुका है और उसके बाद १९ तारीख को माननीय सदस्यों के निवास स्थान पर यह बांट दिया गया है । माननीय सदस्य जो एतराज कर रहे हैं उनको भी २० तारीख को यह मिल गया । मैं नहीं समझता कि विधेयक कोई इतना बड़ा है कि जो दो दिनों में वह पढ़ न सके हों । इसलिये मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं दिखाई देती कि जब सदन के सामने दूसरा काम भी न हो तो व्यर्थ सदन का समय खोया जाय । इसलिये मैं विशेष अनुमति इसके लिये देता हूं कि यह उपस्थित किया जाय ।

***वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह जोतों की चकबन्दी या कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स का महत्वपूर्ण कार्य २७ जिलों में चल रहा है । चार-पांच तहसीलों में यह मुकम्मिल हो चुका है---मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील, अलीगढ़ जिले की इगलास, मथुरा जिले की शादाबाद और बिलारी तहसील जिला मुरादाबाद तथा एक तहसील सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना । बाकी २७ जिलों की एक-एक तहसील में यह कार्य आज अंडर प्रोग्रेस है, चल रहा है । इन २७ तहसीलों में से कोई १०--१५ तहसीलों में काम अक्तूबर, नवम्बर या दिसम्बर तक पूरा हो जायगा और इन जिलों में एक-एक नयी तहसील और ले ली जायगी । आगामी बजट में अगर विधान मंडल ने रुपया मंजूर किया तो नये जिलों में भी यह चकबन्दी का काम आरम्भ किया जायगा ।

अब गवर्नमेंट की तरफ से जो यह विधेयक माननीय सदन के विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है उसका एक ही कारण है और एक ही हो सकता है । वह यह कि तजुर्बे से जो त्रुटियां, खामियां या जो रुकावटें अब हमको दिखाई दी हैं इस महत्वपूर्ण कार्य में उनको हटाना चाहिये । उनका हटाया जाना जरूरी है । तो इसलिये यह विधेयक पेश किया गया है । अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ छोटी-मोटी किसी बात को छोड़ कर बाकी जितने इस में बड़े-बड़े संशोधन पेश किये जा रहे हैं इस विधेयक के जरिये वे सब एक स्टेट ऐडवाइजरी कंसालिडेशन कमेटी, प्रदेश के स्तर पर जो इस माननीय सदन के सदस्यों पर कन्फाइन्ड, मुश्तकिल कमेटी बनी हुई है उसमें इस पर विचार हुआ और कमेटी ने उन संशोधनों को मंजूर किया । ३० या ३२ मेम्बर्स हैं हमारे लेजिस्लेचर के जो इस कमेटी के मेम्बर हैं अर्थात् हर तहसील में जिसमें चकबन्दी चल रही है उसमें से एक एम० एल० ए० हमने उस कमेटी में रखा है और जितने हमारे विरोधी दल थे उन सब का उसमें प्रतिनिधित्व कुछ अपने हिस्से से ज्यादा रखा है, सिवाय सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर जिनकी तरफ से सदस्य थे श्री प्रभुनारायण सिंह, एम० एल० सी०, उन्होंने इस्तीफा दे दिया । फिर हमने दूसरे सज्जन श्री महराजसिंह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारती को रखा उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ कर सारे विरोधी दलों का प्रतिनिधित्व है उसमें और दो या तीन बार वह कमेटी ८,१० महीने के अन्दर बैठ चुकी है और घंटों-घंटों बहस हो चुकी है, इस बिल पर नहीं बल्कि जो भी चकबन्दी में रुकावटें आ रही हैं, जो उनके सुझाव हैं, जो कठिनाइयां हैं या जितनी भी एडवाइस दे सकते हैं मेम्बरान कमेटी, उन सब पर। और जैसा मैंने अर्ज किया, इस ख्याल से कि उन लोगों का परामर्श मिल जाय और उनकी भी ऐप्रूवल की सील लग जाय यह हमने सुझाव उनके सामने रखे थे। तो उनकी स्वीकृति से बिल तैयार किया गया। अब जो मोटी-मोटी बातें हैं मैं आपकी इजाजत से अर्ज कर देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को इसके समझने में कुछ आसानी हो जाय।

एक बड़ा संशोधन तो यह किया जा रहा है कि जोतों के अन्दर जो पान के भीठे या केवड़ा या गुलाब या चमेली आदि के खेत हैं उनको इसमें से निकाल दिया जायगा। क्योंकि वह कीमती क्राप्स होने के अलावा—कीमती क्राप तो गन्ना भी है, आलू भी है, तम्बाकू भी है, उनको तो नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि गन्ना, आलू और तम्बाकू प्रायः हर खेत में बोये जा सकते हैं और उसकी पैदावार कम हो ज्यादा हो, वह दूसरी बात है, लेकिन हर खेत में बोये जा सकते हैं, परन्तु यह चीजें पान, केवड़ा, गुलाब या चमेली, यह चीजें हर खेत में नहीं बोयी जातीं, और जिस खेत में एक दफा बोयी जाती हैं बड़ी तैयारी के बाद वह वर्षों उसी खेत में रहती हैं। इसलिये अगर वह चकबन्दी के अन्दर शामिल कर लिया जाय तो यह सम्भावना है कि जिस आदमी का आज पान का भीटा है वह निकल जाय और उसकी इतनी कीमत हो सकती है कि दूसरा आदमी उसको न दे सके। यह कीमत रुपये की सूरत में तो नहीं दी जा सकती, रकबा उसके पास इतना न हो, यानी एक पान का भीटा ५ बीघे का 'ए' का 'बी' के पास चला गया और 'बी' उसके बदले में २० बीघा दे और उतना उसके पास नहीं है इसलिये जिसका पान का भीटा था उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिये इस तरह की फसल इसमें से निकाली जा रही है उसी उसूल की बिना पर जिस उसूल की बिना पर हमने बागात को बाहर कर दिया था। बाग चकबन्दी से बाहर थे और इसीलिये बाहर किया कि बाग का अदलना बदलना मुश्किल है। तो एक तो यह संशोधन किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि उसी धारा में या उसी खंड में यह भी हम रख रहे हैं कि अगर किसी गांव में ऊसर का, कल्लर का बहुत बड़ा रकबा है और वह कम्पैक्ट एरिया है और उसके बीच ही में कुछ खेत आ रहे हैं तो उस कम्पैक्ट एरिया को निकाल दिया जायगा, क्योंकि उसकी चकबन्दी करने में बड़ी कठिनाई आती है। यानी खेतों के अन्दर ऊसर या कल्लर है तो उसमें चकबन्दी की जायगी। लेकिन अगर ऊसर इतना बड़ा है कि उसके अन्दर खेतों का पैच है तो उसको निकाल दिया जायगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्य समझ गये होंगे। यानी खेत पर खेत हैं और खेत के अन्दर १ या २, ३ बिस्वा कल्लर या ऊसर का पैच है तो वह नहीं रहेगा, निकल जायगा। जमींदारी एबालिशन जब होने जा रही थी तो बहुत से लोगों ने ऊसर के ऊसर रकबे अपनी होल्डिंग में लिख लिये और बराबर वह ऊसर चला आ रहा है। मान लीजिये कि १०० एकड़ में एक दो एकड़ का खेत आ गया, तो अगर ऐसे पूरे रकबे को किसी होल्डिंग के रकबे में शामिल करते हैं तो इस तरह के बड़े रकबे शामिल हो जायंगे और फिर सवाल होगा कि ऊसर को लगायें कहां? यह कठिनाई बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में है, तहसील सदर में और संडीला में भी ऐसी दिक्कत है। तो इस तरह के ऊसर ब्लाक्स को चकबन्दी से अलग निकालने का अधिकार हम इस विधेयक द्वारा देना चाहते हैं।

इसके अलावा वाटरलाग्ड क्षेत्र का सवाल है, वह रकबा जो साल के अधिक भाग में ४—५ मास तक पानी के नीचे रहता है। उसको भी कोई अपनी होल्डिंग में लेना पसन्द नहीं करेगा, तो ऐसे इलाकों को भी हम निकाल रहे हैं।

दूसरा संशोधन यह है कि अब तक जहां चकबन्दी शुरू हो गई तो जो दुरुस्ती कागजात के मामले अदालत में चलते थे वह स्टे हो जाते थे लेकिन जो और रेगुलर सूट्स थे, इस्तकरार या दखल के वह नहीं रुकते थे और उसके कारण जो चकबन्दी के अधिकारियों के हुक्म होते थे, या मुकदमे

[श्री चरणसिंह]

चलते थे और जो अपील वगैरह होती थीं तो उस में कठिनाई होती थी, गो ऐसे केसेस कम थे लेकिन फिर भी उनसे चकबन्दी का काम रुक जाता था। इसलिये अब डिक्लेरेशन वगैरह के दावे स्टे हो जायेंगे और जब उस इलाके में चकबन्दी खत्म हो जायगी, उस के बाद, चकबन्दी के आर्डर्स फाइनल मान कर उनका डिस्पोजल वह अदालतें करेंगी।

जब सुल्तानपुर की सदर तहसील में काम शुरू किया गया तो हमें मालूम हुआ कि वहां नहर निकलने वाली है। तो इस खयाल से कि जब नहर निकल जायगी, और जिस गांव से नहर या रजबहा निकल जायगा तो वहां का शत प्रतिशत क्षेत्र तो इरिगेट होता नहीं, किसी का ८० प्रतिशत हो सकता है, किसी का २० प्रतिशत भी हो सकता है। ५–७ साल बाद मालूम हो जायगा कि कितना क्षेत्र आबी हुआ और कितना खाकी रहा। अब अगर चकबन्दी कर देते हैं तो वैल्यूएशन के तबादले में कुछ ही दिनों में ऐसा मालूम होगा कि बहुत बेइन्साफी हो गई, कुछ आबी खाकी हो जायंगे, और कुछ खाकी आबी हो जायंगे, लोगों की साइकाल जो यही रहेगी कि अन्याय हो गया। अब सोचा यह गया है कि ऐसी जगह अभी चकबन्दी रोक दी जाय। हालांकि हमारे सुल्तानपुर के जितने माननीय सदस्य हैं सबने हम से यह कहा है कि वहां चकबन्दी चलनी चाहिये और किसानों की ओर से भी वहां से यही प्रार्थना है कि वहां चकबन्दी चलाई जाय लेकिन हम अभी वहां चकबन्दी रोक रहे हैं और उसमें आगे को कठिनाई होगी। अगर हम चकबन्दी रोक दें साल डेढ़ साल से चकबन्दी हो रही है, कागजात की दुरुस्ती हो रही है, नकशे दुरुस्त हो रहे हैं, तो अगर आज हम उस तहसील को डिनोटिफाई करते हैं—तो सब काम बेकार हो जाता है। इसके मुताल्लिक दो रायें हैं और लीगल ऐडवाइज़र्स डेफिनेट नहीं हैं। लीगल रिमेम्बरेंसर भी अपने माइंड में बहुत क्लियर नहीं हैं कि अगर डिनोटिफाई कर दें तो जो करेक्शन आफ रिकार्ड्स की प्रोसीडिंग्स हैं वह फाइनल रहेंगी या नहीं या सब बेकार हो जायंगी। तो इसमें क्लियर कर रहे हैं। अगर बीच में हमें कहीं चकबन्दी को रोकना पड़ जाय, सारी तहसील में या एक ही गांव में, तो जो करेक्शन आफ रिकार्ड्स की प्रोसीडिंग मुकम्मिल हो चुकी हैं, जो कागजात की तसहीह है, दुरुस्ती है वह फाइनल समझी जायगी ताकि किसान आगे की मुकदमेबाजी से बच जायं और गवर्नमेंट का जो रुपया खर्च हो रहा है वह किसी काम में आ जाय। एक संशोधन यह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा संशोधन इस आशय से किया जा रहा है कि सेकेंड अपील प्रोवाइड की जाय। अब तक एक ही अपील सेटिलमेंट अफसर, कंसालिडेशन के यहां होती है। कंसालिडेशन अफसर के आर्डर्स के खिलाफ सेटिलमेंट अफसर कंसालिडेशन का जो आर्डर होता था अपील में, अगर किसी को उससे असंतोष है तो वह अपील में नहीं जा सकता था। वह रिवीजन कर सकता था, निगरानी कर सकता था अपने जिले के कलेक्टर के यहां। अब निगरानी, अध्यक्ष महोदय, जो होती है वह फैक्ट्स पर नहीं होती, वाकयात पर नहीं होती, कानूनी कोई नुक्स रह गया हो, फैसला देने में सेटिलमेंट अफसर ने कानून की परवाह न की हो, इस तरह की कोई इर्रेगुलैरिटी रह गयी हो या ऐसा कोई अख्तियार इस्तेमाल कर लिया हो जो उसे नहीं था तो सिविल प्रोसीजर कोड, जाब्ता दीवानी, में जो पुराने अल्फाज़ लिखे हुए हैं वही हमारे सेक्शन ४८ में लिखे हुए थे कि ऐसी सूरतों में ही निगरानी हो सकेगी। अब तक कलेक्टर लोग आम तौर पर करते यह रहे हैं कि अगर निगरानी की जो सूरतें लिखी हुई हैं उनके मातहत कोई निगरानी आती भी नहीं है लेकिन उनको शक यह है कि इसमें अन्याय हो गया है तो लफ्ज़ों को खींचतान करके किसान को रिलीफ देते रहे हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि दूसरा फरीक हाइ-कोर्ट चला गया और वहां उसने वहां कहा कि कलेक्टर को अख्तियार ही नहीं था, वह कैसे ऐपिलेट अथारिटी हो गया? वह तो रिवीजनल अथारिटी था, उनको फैक्ट्स पर नहीं जाना चाहिये था, केवल आन क्वेश्चन आफ ला पर जा सकते थे, यह सब वहां पर कहा। तो यहां पर इस खयाल से कि फाइनल चीज़ हो रही है, मिल्कियत की बाबत तो कोई शिकायत मेरे नोटिस में

नहीं आई। 'ए' मालिक था, उसके बजाय 'बी' मालिक कर दिया चकबन्दी अफसर ने, यह शिकायत कोई नहीं आयी। लेकिन चक अच्छा नहीं बना, यह आम तौर पर शिकायत रहती है। तो जब जमीन अदली-बदली जा रही है और हमेशा के लिये एक चीज बन रही है तो हम यह चाहते हैं कि किसान को एक सेकेन्ड अपील का अधिकार जरूर दिया जाय और सेकेन्ड अपील के बाद एक निगरानी का अधिकार हो। तो इस तरह से दो फोरम्स के बजाय तीन फोरम्स हो जायंगे। कलेक्टर के यहां अब बाकायदा अपील होगी क्वेश्चन आफ ला और क्वेश्चन आफ फैक्ट्स पर और डायरेक्टर के यहां निगरानी होगी ३ शर्तों के अनुसार जो सी० पी० सी०, जाब्ता दीवानी, में है कि अगर ये गलतियां हुई हों और सब्सटैंशियल इनजस्टिस हुई हो तब डायरेक्टर कंसालिडेशन इंटरफियर करेंगे, हर मामले में नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन तीन अख्तियारों के अलावा एक और अख्तियार दे रहे हैं कि किसी डिप्टी डायरेक्टर कंसालिडेशन के यहां अपील हुई है तो यह नहीं कि उस पर किसी ने एतराज किया हो या न किया हो, किसी ने सायल बनकर दरख्वास्त दी हो या न दी हो, लेकिन किसी भी नीचे के, मातहत के किसी हुक्म की बाबत उसको यह इत्तला मिल जाय और उसको सेटिस्फैक्शन हो जाय कि इसमें किसान के साथ अन्याय हुआ है तो अजखुद वह रेकमेंड करेंगे डायरेक्टर को, हेडक्वार्टर्स को कागजात को मगा कर नीचे से, कि इनकी दुरुस्ती कर दी जाय या उसके मुताल्लिक सही हुक्म दे दिया जाय। लेकिन अब तक ऐसा नहीं था। यह हम एक इन्नोवेशन कर रहे हैं, नयी बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत बड़ा प्रयोग हम करने जा रहे हैं खेतों के मूल्यांकन के सिलसिले में। अब तक खेतों की हैसियत जो हम निकाल ले रहे हैं वह बन्दोबस्त में जो हर खेत की किस्म जमीन लिखी हुई है उसके आधार पर कि यह मटियार है, यह सेवटा है, यह दूमड़ है, यह खाकी है, यह नहरी है, यह चाई है, अव्वल, दोयम, सोयम। अगर किसी सेटिलमेंट अफसर ने बड़ी मेहनत से काम किया है तो बाज-बाज तहसील में ३०–३० और ३२–३२ किस्में हैं और किसी ने चलताऊ काम किया तो उसने सींच और असींच को भी यकसां लिख दिया। जैसे १९१६ में सुल्तानपुर में जो रेन्टरेट्स सेटिलमेंट अफसर ने निकाले हैं—मैं उस अफसर का नाम तो नहीं लूंगा—उसने सब को एक ही छड़ी से हांक दिया है। तो बन्दोबस्त के कागजात में जो हैसियत लिखी रहती है किस्म जमीन की, उसके हिसाब से रेन्ट रेट्स तैयार होते थे और उसके हिसाब से हमारा वैलुएशन बनता था। इसमें वाकया यह है कि जो रेन्ट रेट्स लिखे हुये हैं वे जमीन की असली कीमत को रफ्लेक्ट नहीं करते। मान लीजिये एक जमीन है खाकी। उसका सर्किल रेट ८ रुपये फी एकड़ लिखा है। दूसरी उस किस्म की जो आबी, इर्रीगेटेड लैंड है उसका ज्यादा से ज्यादा १० रुपये सर्किल रेट लिखा है। तो २५ फीसदी का फर्क हुआ। लेकिन अगर आप किसान से पूछें कि इन दोनों खेतों में क्या २५ फीसदी का ही फर्क है तो वह उससे बहुत ज्यादा फर्क बतलायेगा। इसलिये किसानों को असन्तोष रहता था कि उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन अन्याय अफसरों की ओर से होता नहीं था क्योंकि उनके सामने एक डेफिनिट चीज होती थी। सेटिलमेंट के अन्दर, जो आज से ३०–३२ वर्ष पूर्व चीज तैयार हुई, जब चकबन्दी का कोई सवाल नहीं था, जब किसी के साथ पार्शियालिटी वगैरह का सवाल नहीं था, उस वक्त जो चीज तैयार हुई उसी की बेसिस पर अफसर काम करते थे, लेकिन किसान के मन में यह फीलिंग बनी रहती थी और राइटली कि उसके साथ अन्याय हुआ। लिहाजा हम बेलुएशन के उस तरीके को बदल रहे हैं। कुछ-कुछ इसमें हमने पंजाब से लिया है, इंटायरली तो नहीं। हमारा जो तरीका था उसमें करप्शन की बहुत कम गुंजायश थी क्योंकि सेटिलमेंट रेट है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। उसमें ए० सी० ओ० या सी० ओ० के ऊपर यह चार्ज नहीं लग सकता कि तुमने अन्याय किया है, क्योंकि उसमें उसको डिस्क्रीशन नहीं था और जब डिस्क्रीशन नहीं था तो एब्यूज आफ डिस्क्रीशन का सवाल नहीं उठता। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसका दूसरा पहलू यह था कि किसान असंतुष्ट रहता था। पंजाब में यह तरीका है कि उन्होंने सारे गांव वालों को बुला लिया या कमेटी को बुलाया और उनसे कहा कि अपने गांव में एक खेत बता दो जो बेहतरीन हो। उसको हम

[श्री चरणसिंह]

१६ आने का मानेंगे, अब तो नये पैसे चल गये हैं इसलिये १०० नये पैसे का मानेंगे और उसको स्टैंडर्ड मान कर हम दूसरे खेतों की हैसियत तय करेंगे कि यह ९९ हुआ, यह ९७ हुआ, यह ४४ हुआ। इस तरह से हर खेत का वैलुएशन निकालते हैं। हमारे यहां मथुरा से और दूसरी जगहों से लोगों के सुझाव आये कि आप भी ऐसा ही तरीका अख्तियार कीजिये। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिल्कुल ऐसा करना तो ठीक नहीं है, कुछ माडिफिकेशन के साथ हम पंजाब वाला सुझाव मान लें और अपने यहां का जो सेटिलमेंट वाला ऐडवान्टेज है उससे भी कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। एक बीच की चीज निका लने की जरूरत है। इसी खयाल से उसमें संशोधन किये जा रहे हैं।

वह चीज तो रूल्स में आयेगी लेकिन ऐक्ट में यह रखा है कि प्रोडक्टीविटी के लिहाज से खेत की वैल्यूयशन तय की जाएगी, खेत की पैदावार के लिहाज से खेत की हैसियत तय की जायगी। इस लिहाज से नहीं कि सेटिलमेंट में उसकी स्वायल की क्लास क्या लिखी है बल्कि खेत की ऐक्चुअल प्रोडक्टीविटी क्या है। पंजाब में यह किया गया है कि सारे गांव में एक ही अच्छा चक ले लिया और उसके हिसाब से सारे प्लाट्स को घटा दिया। हार तो नहीं कह सकते हैं बल्कि बड़े चक कह लें। हमने यह किया है कि गांव में जो सब से अच्छे चक हैं जिनकी प्रोडक्टीविटी १६ आने है, ऐसे वहां ५–६ होंगे। इसके बाद जिनकी १४ आने है वह करीब ५०–६० होंगे और तीसरी जिनकी ६ आने है वह करीब ५०० होंगे। इस तरह से पहले सारे गांव को चार पांच हारों में तकसीम कर लिया है और यह सब चीजें गांव वालों के सामने होंगी। फिर यह देखा जायगा कि कौन सा खेत १६ आने है और कौन सा पौने सोलह आने और कौन सा १५ आने। इसके बाद फिर देखेंगे कि कौन सा १५ आने हैं, कौन सा १३ आने है और कौन सा ११ आने है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो दूसरी किस्म १४ आने की है उसमें एक फर्स्ट क्लास प्लाट लेंगे फिर दूसरे खेतों को उसके लिहाज से देखेंगे। इसी तरह से तीसरे नम्बर के खेतों को देखेंगे। गांव वालों को सब से बढ़िया खेत गांव में बताना मुश्किल हो जायगा इसलिये हमने दोनों चीजों को रखा है। एक तो यह कि पंजाब में जो है वह और हमारे यहां जो मेथड है उन दोनों का हमने मीन निकाल लिया है। कानून में तरमीम यह कर रहे हैं कि प्रोडक्टीविटी के अनुसार खेत की हैसियत निकाली जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि यह सब चीजें गांव वालों के सामने होंगी। अब तक तजुर्बा यह है कि जहां-जहां गांव वालों के सामने चक बनाये गये हैं वहां लोगों को संतोष रहा। अगर ए० सी० ओ० अपने घर पर हिसाब लगा लेता है और फिर पब्लिश करता है तो लोगों को एतराज होता है। अगर गांव वालों को बुलाकर उनके सामने वही चक बनाता है तो शिकायत बहुत कम होती है क्योंकि १००–१२५ आदमी पंचायत-घर में जमा हो जाते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ दूर हो जाते है और इंसाफ की बात निकलती है। इस तरह से खेतों की हैसियत सब के सामने निकाली जायगी।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी हुआ है कि कुछ कारणों से अलग-अलग चक बने और उससे उनको संतोष नहीं हुआ और वह तब्दील करना चाहते हैं तो कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये अब हम अफसरों को अख्तियार दे रहे हैं कि जब तक फायनल रिकार्ड्स तैयार हों, मान लो चक बन गये, दखल दे दिया और कागजात तैयार हो रहे हैं तो जब तक कागजात फायनली तैयार न हों उससे पहले अगर लोग आपस में तब्दील कर लेते हैं तो उसका अमलदरामद किया जायगा। अब तक ऐसा नहीं था।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या ८ दिन पहले ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, उस दिन जब तक फायनल रिकार्ड्स तैयार हो जायें। अभी दो केस मेरे पास आये हैं एक बलिया और दूसरा बुलन्दशहर से कि लोगों ने गांव वालों की रजामन्दी से चकबन्दी कर ली। अब जो रवेन्यू ला है, उसमें इस तरह की जो रजामन्दी की

चकबन्दी है उसके अमलदरामद के लिये कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दो तीन आदमियों में एक्सचेंज हो तो वह बात समझ में आती है उस पर अमलदरामद किया जा सकता है कागजात में। लेकिन सारे गांव की जब चकबन्दी हो जाय चाहे रजामन्दी से हो या कैसे भी हो तो मौजूदा जो ला है, हमारा कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, यही ऐक्ट्स हैं उनमें इस तरह के म्युचुअल कंसालिडेशन को इफेक्ट देने के लिये कोई प्राविजन नहीं है। वह बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो हम इसमें यह करने जा रहे हैं कि जिस जिले में चकबन्दी चल रही है लेकिन उस तहसील में जिसमें नहीं चल रही है अगर किसान रजामन्दी से चकबन्दी कर लेते हैं और डिप्टी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन, जो कलेक्टर है, वह देखता है कि सब लोग राजी हैं और उसको संतोष हो जाय तो इस ऐक्ट के मातहत उस को इफेक्ट दे दिया जाय चाहे वहां चकबन्दी का काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो।

अध्यक्ष महोदय, एक अब तक कठिनाई हमारे अफसरों के सामने यह आयी है कि एक खेत की आबपाशी एक कुएं से हो रही है। वह खेत अदल बदल गया। तो पहले खेत से आबपाशी का जो हक बना हुआ था उसको किसान एंज्वाय नहीं कर पा रहा है। उसमें कठिनाई आती है। कानून में कुछ तो संकत था लेकिन बहुत साफ नहीं है। उसकी सफाई कर रहे हैं कि जो खेत पहले से जिस कुएं से भरा जाता रहा हो, जो भी सोर्स आफ इरीगेशन हो, उससे भरा जाता रहेगा चाहे चकबन्दी में किसान बदल गया हो।

अध्यक्ष महोदय, एक यह कठिनाई आ रही थी कि जहां चकबन्दी हो गयी और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि ले ली उस भूमि का प्रबन्ध कैसे हो। चकबन्दी वाले दूसरे इलाके को चले गये। अब उन जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। कंसालिडेशन ऐक्ट या जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में कहीं यह प्राविजन नहीं था कि उस जमीन को गांव समाज को दे दें इंतजाम करने के लिए। दफा ११७ के मातहत जो जमींदारी अबालिशन के जरिय अनकल्टीवेटेड लैंड गवर्नमेंट को मिलेगा वह हमने गांव समाज में वेस्ट कर दिया। लेकिन यह जमीन जो रास्ते के लिये या घूरे के लिये या आबादी के लिये या अखाड़े के लिये—इस तरह की एक लम्बी लिस्ट मथुरा से आयी थी, जिसमें २८ किस्म की पब्लिक परपज के लिए लोगों ने जमीन दी थी, कि इस जमीन का आगे कौन इंतजाम करे, इसके लिये हम यह अधिकार ले रहे हैं कि उस जमीन को गांव समाज में वेस्ट कर देंगे और जिम्मेदारी उसकी होगी। कागजात बन ही जायंगे। यह उनके पास पहुंच जायगी। रास्ते के लिए, घूरा डालने के लिये, अखाड़े के लिए, कन्या पाठशाला के लिए, यह जमीन छोड़ी गयी है। हमने छोड़ा, अब आप इसका इंतजाम करें।

अध्यक्ष महोदय, एक मसला हरिजन और दूसरे लोगों के लिये बड़ा अहम था जो कि आबादी के लिये जमीन लेना चाहते थे। उनके लिये जमीन की बड़ी कमी थी। हमारे यहां वैसे ही ज्यादा लोग गरीब हैं लेकिन अगर उनके रहने के लिये मकान भी न हो तो फिर तकलीफ बहुत हो जाती है। जहां पर बड़े गांव हैं या छोटे हैं वहां पर भी आबादी बढ़ती जा रही है। जब आबादी बढ़ रही है तो मकान भी बढ़ने चाहिये। जमीन की कमी है तो जमीन के मिलने में मुश्किल सामने आती है। अब यह चकबन्दी हो रही है और आगे हमेशा होती भी नहीं रहेगी। तो कम से कम ४०, ५० साल तक मकानों के लिये कुछ इंतजाम हो जाय तो बेहतर होगा। वह इन्तजाम हम अब कर रहे हैं। पहले यह शासकीय आदेश थे कि चकबन्दी कमेटी सोच समझ कर कुछ जमीन आबादी के लिये छोड़ दे किन्तु अब हम स्टेट्यूटरी प्राविजन आबादी की जमीन के लिये करने जा रहे हैं। जो हरिजन या लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके लिये आवश्यकता की अनुसार जरूर हर गांव में जमीन छोड़ी जायगी चाहे उसके लिये चकबन्दी कमेटी राजी हो या न हो। लेना जरूरी है या नहीं इसको अफसर तय करेंगे। आखिर डिसीजन भी तो किसी के हाथ में रहना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा संशोधन हम करने जा रहे हैं और वह यह कि अभी तक यह था कि दफा १२ के अधीन अगर कहीं खेत की मिल्कियत की बाबत सवाल उठता था तो उसके लिये कुछ दिक्कत होती थी। यहां पर पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब यहां

[श्री चरण सिंह]
पर पड़ताल हुई तो कब्जे के मुताबिक कागजात दुरुस्ती हुई। अपील होती थी कंसोलिडेशन अफसर के यहां या तहसीलदार के यहां, निगरानी भी आगे हो सकती थी। तो एक कार्यवाही तो यह हुई। अब इसके बाद हमने हर एक को इन्तखाब दे दिया कि यह खेती की किस्म, इतनी मालगुजारी इतना रेन्ट, यह कुआं बना हुआ है और अब तुम भूमिधर हो या सीरदार हो या असामी हो और इतने पेड़ लगे हुये हैं, यह सब लिख कर देते हैं। अब इस पर जो एतराज करता था वह ११, १२ दफा के मुताबिक अपनी मिल्कियत की बाबत एतराज करता था और ७,८ दफा के मुताबिक फिर मामला उठता था। तो इसमें इस तरह से बहुत देर होती थी। इससे खर्चा भी बढ़ गया। अभी तक कई कारणों से हमारी चकबन्दी का खर्चा बढ़ चुका है। तो अब इस वजह से किसानों की सहूलियत के लिये और राज्य कर्मचारियों की सहूलियत के लिये यह दोनों प्रोसीडिंग्स एक तो पजेशन के लिये और दूसरी टाइटिल के सवाल की जो है उन दोनों प्रोसीडिंग्स को हम एक करना चाहते हैं जिससे यह मसला एक ही बार तय हो जाय। खासतौर से अभी तक ३ साल तक कब्जा रहने से टाइटिल मान लिया जाता है और उसका कब्जा समझ लिया जाता है। पंजाब में तो १२ साल तक भी किसी का कब्जा रहा हो तो उस पर किसी की मिल्कियत नहीं होती। वहां पर किसी कागज की दुरुस्ती का सवाल भी नहीं है। जिसका नाम खतौनी में है उसी का नाम काबिज समझा जाता है चाहे कब्जा खेत पर किसी का हो। उनके यहां बड़ी सहूलियत है। हमारे यहां ४० फीसदी टाइम लगा है कागजात को दुरुस्त करने में जिसकी वजह से हमारे यहां का खर्चा बहुत बढ़ गया। लेकिन पहले हमने कागजात की दुरुस्ती की। इसलिये हम अपने यहां का जो कानून है उसको अच्छा समझते हैं। तीन साल तक जिसका कब्जा था वह काश्तकार समझ लिया गया है। अब वह उस जमीन पर सीरदार चल रहा है। अब हम ३ साल के बजाय आगे के लिये ६ साल करने जा रहे हैं। उसकी मुद्दत को बढ़ा रहे हैं ताकि गलत आदमियों को यहां प्रोत्साहन न मिले कि अगर किसी तरह से ३ साल तक उसका कब्जा रह जाय तो वह उस खेत का मालिक हो जाय। उस बेसिस पर हमारे यहां भी चल रहा था और सन् १३५६ और १३५९ फसली के एक साल के कब्जे वाले को हमने काश्तकार मान लिया था, ट्रेसपासर को, वह सब चीज पुरानी है। अब आगे को हम ३ साल की जगह भी ६ साल करने जा रहे हैं। खैर, वह तो एक अलग बात हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो दो प्रोसीडिंग्स हैं उनको हम एक करने जा रहे हैं और उसी में सब चीज फाइनली तय हो जायगी। पजेशन और टाइटिल, दफा ७, और ८, और दफा ११ और १२, एक हो जायंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि अभी २४, २५ तारीख को जमींदारी एबालिशन बिल आने वाला है। हम उसमें भी यही करने जा रहे हैं। जो दाखिल खारिज के मुकदमें लड़ा करते थे कमिश्नरी तक, रेवेन्यू बोर्ड तक, कब्जे के आधार पर, सिर्फ यह तय करने के लिये कि मालगुजारी कौन दे, तो अंग्रेजों के जमाने में तो यह एक अहम सवाल था और उसमें पहले म्यूटेशन का झगड़ा तय होता था और उसकी प्रोसीडिंस होती थीं और जब वह फाइनल हो जाता था तो दूसरा आदमी अगर उसे गलत समझता था तो दावा दायर करता था कि हक हमारा है, हमारे नाम होना चाहिये। तो यह पुराना तरीका चला आता था और इसमें बड़ा लिटिगेशन था। इसके लिये भी हम जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं कि एक ही चीज होगी। यही चीज कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स में भी थी, वही पुरानी पालिसी, वही पुराना वातावरण हमारे सरकारी अफसरान और सेक्रेटेरियट के जेहन में था और दो प्रोसीडिंग्स की बात थी उसको हम अब एक करने जा रहे हैं। पजेशन और टाइटिल सब एक ही जगह एक ही बार तय हो जायगा। वह मैं कहना भूल गया था।

अब सेक्शन १२ के मुताल्लिक मैं यह कह रहा था कि उसमें अगर सीरदरी का कोई झगड़ा है तो वह कंसालिडेशन अफसर तय कर दिया करता था और उसके बाद सेटिलमेंट आफिसर उसको देख लेता था। भूमिधरी का झगड़ा सेटिलमेंट आफिसर देखता था और वह या कंसालिडेशन आफिसर उसे आर्बिट्रेटर के पास भेजता था सिविल जज के जरिये से। आर्बिट्रेशन

ऐक्ट जो बना हुआ है उसके प्राविजन्स की हमने कापी की है। डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज के पास हमने फाइलें भेज दी और वह मिल्कियत के बारे में तनकीअ बनाते थे भूमिधर की और उसके बाद वह आर्बिट्रेटर के पास भेजते थे। आर्बिट्रेटर जिस जिले में चकबन्दी हो रही है उस के अलावा किसी दूसरे जिले के डिप्टी कलेक्टर के पास, जो ५, ६ साल का तजुर्बा रखता हो या जुडिशियल अफसर हो, उसे यह भेजता था। तो यह प्रोसीडिंग्स सिविल जज के यहां पड़ी रहती थीं तनकीअ नहीं बनती थी, और वह समझते थे कि यह चकबन्दी का काम बेगार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो सीक्रेट हो। हमने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कई बार कहा कि साहब, इन सिविल जजेज से कह दीजिये कि बरसों से यह काम पड़ा है, इसको तय कर दें क्योंकि जब यह आर्बिट्रेटर के पास भेज दें तो वह तफसील दे डिप्टी कलेक्टर को, वह सिविल जज के पास आये और फिर सिविल जज के पास से आये कंसालिडेशन में, तब जा कर फैसला हो। तो इसकी वजह से इसमें देरी हो जाती थी। अब हाई कोर्ट का अपना ढंग है। ठीक ही होगा। मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता। सिविल जज से यह भी नहीं कह सकता कि भाई, इसे जल्दी तय कर दो। अगर वह जिले में मुझ से मिलने आयें और मैं उनसे कह दूं इसलिये इसको जल्दी तय कर दो तो पता नहीं कि मैं ही कंटेंप्ट आफ कोर्ट में न आ जाऊं। लिहाजा सब पड़े हैं। तो हमने जमींदारी अमेंडिंग बिल जो आने वाला है उस में भूमिधरी के मामलों को तय करने के लिये सीरदारी के अधिकारों की तरह से अधिकार अदालत माल को दे दिया है। लिहाजा यहां भी भूमिधरी के मामले अब आर्बिट्रेटर के पास नहीं जायेंगे बल्कि यही कंसालिडेशन आफिसर्स तय करेंगे। इस तरह से जो महीनों का समय नष्ट हो जाता है मामलों को तय करने में, और जो देरी होती है और साथ में हमारे आफिसर्स का समय बर्बाद होता है, वह सब दिक्कत दूर हो जायगी।

सीरदारी और भूमिधरी में सिवाय मालगुजारी आधी हो जाने के और उसको हक इन्तक़ाल है, बाक़ी उनकी हैसियत में वैसे कोई अन्तर नहीं है। २,२ एकड़ के सीरदार और डेढ़-डेढ़ एकड़ के भूमिधर हैं। बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, पूरब के इन चार जिलों में और जिलों के मुकाबले भूमिधर बहुत बने हैं। तो लोगों का जो खयाल था, और बहुत प्रोपैगैंडा किया गया कि छोटे किसानों पर सरप्लस प्रोड्यूस नहीं है, उनके पास सेविंग्स कहां हैं, वे डेढ़ गुना कैसे देंगे, इसके बरअक्स वाक़यात ये हैं, आंकड़े ये सिद्ध करते हैं कि ज्यादातर जो भूमिधर बने हैं इन चार जिलों में और सारे ही जिलों में, वे छोटे किसान बने हैं, बड़े कम बने हैं। छोटों ने लष्टमपष्टम १० गुना कहीं न कहीं से निकाल ही लिया। सीरदार और भूमिधर में वैसे हैसियत में कोई अन्तर नहीं है। तो जब इनके मामले अदालत माल तय कर सकती है, चकबन्दी के अफ़सर तय कर सकते हैं, तो यहां ये क्यों नहीं तय कर सकते हैं? इसलिये वे प्रावीज़न्स सब डिलीट किये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेजर संशोधनों की व्याख्या अपनी अक़्ल के मुताबिक़ मैंने माननीय मित्रों के सामने कर दी है। मैं फिर आपकी इजाजत से निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

*श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त, ३,४ साल पहले, चकबन्दी योजना को माननीय माल मंत्री ने कानून का रूप देने के लिये एक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया उस वक्त सदन में हर हिस्से से उसका स्वागत हुआ था। चकबन्दी योजना के मूलभूत सिद्धांतों से भी सहमत है। उनसे किसान को लाभ होने वाला है। ३,४ साल में जैसा मंत्री जी ने बताया चकबन्दी योजना का कई जिलों में लागू किया गया। जगह-जगह से उसके परिणामों के सम्बन्ध में कई बार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर सिंह]

इस सदन में और बाहर भी विचार प्रकट हुये और यह भी लोगों ने बताया कि इससे किसानों को क्या कठिनाइयां हुईं। संभवतः उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर माननीय मंत्री ने जांच कराई और यह विधेयक प्रस्तुत किया।

सिद्धांत कोई कितना भी ऊंचा हो, लेकिन अगर उसके लागू करने वाले ठीक नहीं होते तो जन-समुदाय को उसका फल बुरा ही मिलता है। इसके पहले कि मैं अपने कुछ सुझाव दूं, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने किन लोगों को मुकर्रर किया। प्रारम्भ में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टरों को प्रिफ़रेंस दिया गया, उन आदमियों को जो नौकरी छोड़ चुके थे। वे अधिकांश सेटिलमेंट अफसर बनाये गये। उन्हें किसी योजना को कार्यान्वित करने में कितनी दिलचस्पी हो सकती थी यह माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई एक साल रह कर रिटायर हुआ, कोई २ साल रह कर रिटायर हुआ और जहां-जहां ऐसे अधिकारी सेटिलमेंट अफसर मुकर्रर किये गये वहां की चकबन्दी इस तरह खराब हो गई कि बाद में आने वाले लोगों के लाख प्रयत्न करने पर भी वे दोष आज तक दूर नहीं हो सके। दूसरे किस्म के अधिकारी टेम्पोररी बेसिस पर रखे गये, जिन्हें मालूम नहीं कि कब निकाल दिये जावेंगे। सालों से वे काम कर रहे हैं और जरा सी शिकायत पर, चाहे वह सही हो या न हो, बिना जांच, ३ साल की सर्विस हो या ४ साल की सर्विस हो, वे निकाल दिये जाते हैं। अगर ठीक शिकायत है तो जरूर निकालिये। लेकिन एक अधिकारी के दिमाग में बराबर यह बात होना कि उसे जरा सी शिकायत पर निकाल दिया जायगा, इससे उसके भाव कैसे रहेंगे? निकाले जाने पर जो परिस्थितियां उसके सामने आने वाली हैं उनके लिये वह तैयार रहता है। इसके कारण चकबन्दी में भ्रष्टाचार का बोलबाला इस क़दर हो गया है कि लोग उससे ऊब चुके हैं। मुझे अन्य जिलों की बाबत तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अपने जिले जौनपुर के लिये अगर कहूं कि लोग ऊब चुके हैं तो अत्युक्ति न होगी। किसानों की जेबों से कितना पैसा इन अधिकारियों के पास गया, कहा नहीं जा सकता। वे गरीब हो चुके हैं। उनकी जेब खाली हो चुकी हैं। मैं कहता हूं कि किसी तहसील को चुन ल और वहां के किसानों से राय लें जहां चकबन्दी मुकम्मिल हो चुकी है या पूरी होने वाली है, कि उनको चकबन्दी पसन्द है या नहीं, मैं कहता हूं कि मैजारिटी यही कहेगी कि इससे उनका नुक़सान हुआ है और यह फौरन वापिस ले ली जाय। अगर ऐसी बात है तो उसमें अवश्य ही सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने सुधार के लिये ही यह संशोधन विधेयक रखा है और इसके प्रवर समिति में जाने की नितान्त आवश्यकता इसलिये होती है कि, जसा उन्होंने कहा, जिन माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में चकबन्दी चल रही थी उनसे उन्होंने राय ले ली है लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि उन लोगों ने क्या राय दी और उसे माननीय मंत्री ने कितना माना है और कितना नहीं माना है। इसलिये इस पर पुनः प्रवर समिति में विचार की आवश्यकता है।

इसके अलावा मंत्री जी ने कुछ खास बातें बतलाईं जिन्हें वे लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सेकेंन्ड अपील की व्यवस्था की है। उसे एक्सप्लेन करते हुये उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जज के पास जो मामले जाते थे वे अब नहीं जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, वे केस करता कौन है, उनकी अपील कहां होती है? वही चकबन्दी अधिकारी चाहे वह कंसालिडेशन अफसर हो या ए०सी० ओ० हो या और कोई हो या कलेक्टर हो, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि चकबन्दी व्यवस्था को देखें, जब देर होती ह तो उनको आदेश जाता है कि २ वर्ष हो गये, ३ वर्ष हो गये, तुम जल्दी समाप्त करो। अपीलें इकट्ठी हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लाल बहादुर सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं लंच के पूर्व सेकेंड अपील के बारे में निवेदन कर रहा था। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जजेज जल्दी काम नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह अगर हम गौर से देखें, तो यह है कि उन जजेज के पास, उस काम के अलावा, और भी बहुत सा काम रहता है, इसलिये वे जल्दी कर भी कैसे सकते हैं। अगर एक जज केवल इसी काम के लिये रखा जाय और फिर भी अगर उस काम में देर हो तब तो हम शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसके पास और काम रहते हुए, अगर वह इस काम को देर में करता है, तो उसकी शिकायत नहीं हो सकती है।

आप सेकेंड अपील उन्हीं अधिकारियों को दे रहे हैं, जिनको एग्जीक्यूटिव अथारिटी भी हासिल है, जिनको यह भी जल्दी होती है कि वह काम जल्दी हो जाय। इससे साधारणतः लोगों को न्याय मिल सकेगा, इसमें संदेह है। इससे सेकेंड अपील का देना कोई माने नहीं रखता है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः गौर करें। अगर वे रिवीजन को हटा दें तो मुझे वह मंजूर हो सकता है। लेकिन यह सेकेंड अपील अवश्य ही किसी जज या मुंसिफ के सामने होनी चाहिये और वह उस काम के लिये होलटाइमर होना चाहिये।

वेल्यूएशन आफ प्लाट्स की दिक्कतें भी माननीय मंत्री जी ने बतलाईं? यह एक बड़ी भारी चीज होती है। इसमें गड़बड़ी होने की वजह से अन्याय और भ्रष्टाचार हो जाता है। इसके लिये उन्होंने कुछ संशोधन किये हैं। उनसे ये शिकायतें और दिक्कतें कहां तक दूर होंगी, यह तो भविष्य ही बतलायेगा। इस काम में चकबन्दी कमेटी और ग्राम सभाओं को अगर सहयोग देने का अधिकार हो तो इसकी बहुत सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। चकबन्दी समिति है लेकिन अधिष्ठाता महोदय, यह देखने की आवश्यकता है कि कहां तक वे इस काम में सहयोग कर रही हैं। अगर उनका सहयोग प्राप्त होता तो हम समझते हैं कि आज ये शिकायतें हमारे सामने न आतीं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि वे सलाहकार समितियों के रूप में हैं, उसका असर अधिकारियों के ऊपर नहीं पड़ता और जब वे देखते हैं कि उनकी राय की कोई कद्र नहीं है तो अधिकतर वे बैठकों में भाग नहीं लेते।

दूसरी दिक्कत यह है कि चकबन्दी समिति एक छोटी सी समिति है। वह सारे गांव की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होतीं। ऐसे काम के लिये जो मौके पर किया जाता है, लोगों की समितियों में अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिये। गांव पंचायत के जितने सदस्य हैं उतने सदस्य उसमें होने चाहिये। इसमें चकबन्दी के अधिकारी को जो नामांकन का अधिकार है, वह नहीं होना चाहिये। अगर कुछ और आदमियों की सहायता की आवश्यकता हो तो वही एनलाइर्ड समिति कुछ आदमियों को कोआप्ट कर ले। लेकिन चकबन्दी पदाधिकारी अगर किसी को नामजद करते हैं तो वे उनके आदमी होते हैं। उनका इंटरेस्ट ग्रामीण लोगों में उतना नहीं होता है जितना कि उनका इंटरेस्ट उनको खुश रखने में रहता है। इसलिये नामांकन की प्रथा हमेशा के लिये समाप्त हो जानी चाहिये। अगर चकबन्दी उप-समिति और अधिकारी की राय मिलती नहीं है तो श्रीमन्, उनको सलाहकार समिति ही मान कर उस राय को ठुकरा न देना चाहिये। उस अधिकारी को यह देखना चाहिये कि उस राय की कितनी कीमत है। अगर वह उनसे डिफर करता है तो वह क्यों डिफर करता है उसकी वजह लिख कर अपने उच्च अधिकारी के पास भेजना चाहिये। और उसका निर्णय अंतिम नहीं होना चाहिये। बल्कि उच्च अधिकारी को चाहिये कि वह मौके पर आये और चकबन्दी उप-समिति में बैठ कर उसकी राय समझने की कोशिश करे। अगर वह उपसमिति की राय से सहमत हो तो उसे मान लेना चाहिये, नहीं तो उसे समझाने की कोशिश करे और फिर उसके ऊपर एक निर्णय लेना चाहिये। लेकिन चकबन्दी उपसमिति को बलशाली बनाना आवश्यक है। जब तक वह बलशाली नहीं होगी तब तक अधिकारी लोग अपनी मनमानी करेंगे और भ्रष्टाचार की शिकायतें आये दिन आती रहेंगी और इनको सुनें या न सुनें यह हमारे हाथ की बात है।

[श्री लालबहादुर सिंह]

इसके बाद माननीय मंत्री जी ने हरिजन बस्तियों के संबंध में जिक्र किया है और उन्होंने कुछ संशोधन भी रखे हैं और यह अधिकारियों के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया है कि वे जितनी जमीन चाहें हरिजन बस्ती के लिये रखें। लेकिन वे अपने डिस्क्रीशन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे उसकी कोई बेसिस इस संशोधन में नहीं है। कम से कम इसका निर्णय होना चाहिये कि एक हरिजन परिवार के लिये कितनी जमीन चाहिये और उस गांव में कितने हरिजन परिवार हैं और इस तरह से जमीन हरिजन बस्ती के लिये छोड़ देनी चाहिये। जब तक ऐसी चीज नहीं होती है तब तक अधिकारियों के माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी जमीन हरिजन बस्ती के विस्तार के लिये छोड़ दी जाय।

इसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो इस संशोधन विधेयक में नहीं हैं, उनको बढ़ाने के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैसे कास्ट का है कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां के लोगों से कितना कास्ट वसूल किया जायगा। बहुत सी गलतियां होती हैं। एक लम्बा प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर महसूस करते हैं कि फिर पड़ताल होने की आवश्यकता है या फिर से जमीन की नाप होने की आवश्यकता है और इसमें काफी दिन खत्म हो जाता है। इसमें किसकी गलती रहती है? अधिकारी की गलती रहती है, और खर्चा बढ़ता है तो इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। यदि ऐसा खर्चा किसानों से वसूल किया जाता है तो वह अन्याय है और उसका केबोझ वह बर्दाश्त करने लिये तैयार नहीं है और न बरदाश्त करने की क्षमता ही उसके अन्दर है।

इसके बाद श्रीमन्, खातों को अलग करने का भी जिक्र किया गया है। वह तो एक बहुत अच्छी चीज है लेकिन इस समय इस प्रदेश में ही क्या देश में कुछ नयी विचारधारायें खातों के संबंध में चल रही हैं जिससे श्रीमन् भी वाकिफ होंगे। खाद्य समस्या पैदा हो जाने के बाद लोग दूसरे तरीके सोचने लगे हैं जैसे कोआपरेटिव बेसिस पर खेती करने का तरीका। दूसरे सीलिंग आफ लैंड मुकर्रर करने के बारे में प्लानिंग कमीशन एक निश्चित मत का है। क्या इस नुक्ते निगाह से यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है? श्रीमन्, इसका इसमें जरा भी जिक्र नहीं है। इस निगाह से भी इसको देखने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमको कोआपरेटिव तरीके से खेती करने की बात सोचनी चाहिये। यह मान लिया जाय कि इस चकबन्दी प्रोसेस में ४ या ५ आदमी अप्लाई करते हैं और अपने खातों को मिला कर कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके फार्म्स को एक जगह कर देने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है। तो इस बात को देखने की भी जरूरत है। अगर कुछ लोग गांव में कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये तैयार हों तो चकबन्दी के कोई माने नहीं हैं अगर उनके फार्म्स को एक जगह न कर दिया जायगा। दूसरी बात यह कि इसका निर्णय आज ही कर लेना चाहिये नहीं तो फिर आपको कल एक दूसरा संशोधन विधेयक इस सदन में लाना पड़ेगा। उसके बारे में कोई सरकारी नीति अभी तक घोषित नहीं हुई है। उसकी एक घोषणा हो जानी चाहिये। अगर सीलिंग मुकर्रर करनी है तो फिर आपको इस चकबन्दी से जो खातेदार हैं उनके चकों को समाप्त करना पड़ेगा। अंशतः समाप्त करना पड़ेगा और फिर किसको देंगे? किसी को १ बीघा जमीन मिलती है। उसके पास १० बिस्वे पहले से हैं। तो १ बीघे और १० बिस्वे के दो प्लाट्स उसके हो जायेंगे। इसलिये इसमें सरकार को एक फाइनल नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये।

श्रीमन्, यह संशोधन विधेयक केवल इसलिये पेश हुआ कि सरकार और माननीय मंत्री जी को कुछ कमियां नजर आईं। इसके लिये हम उनको बधाई देते हैं कि आखिर में उन्होंने देखा कि कुछ कमियां हैं और उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश की। लेकिन इस माननीय सदन के बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो कमियां देखते हैं, उनकी राय पर भी गौर कर लेना चाहिये। उस पर माननीय मंत्री को पुनर्विचार करना चाहिये। अभी बहुत सी कमियां रह गई हैं, जो कुछ माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसमें बहुत से सुधार की आवश्यकता है। बहुत से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो छूट गये हों, या जो उनको भले न

लगते हों, जिनके रखने की नितांत आवश्यकता है। इसलिये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और उसको श्रीमन्, परिधि के बाहर भी देखने का हक हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हम समझते हैं कि इस माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं का भी उसमें समावेश हो जायगा और इस सदन का बहुमूल्य समय भी बच जायगा। इसलिये मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः गौर करके इसको प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ लहरी---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री ने सदन के सम्मुख उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ जो विचारार्थ पेश किया है उसे एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए श्री लालबहादुर सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय लहरी जी, आपने तो स्वयं एक संशोधन दिया है संयुक्त प्रवर समिति के लिये। उसे आप पेश नहीं करना चाहते ?

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं उसी को पेश करना चाहता था। लेकिन वह प्रिंट नहीं हुआ था कार्य-सूची पर, इसलिये मैंने उसे पेश नहीं किया। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे पेश करूं।

श्री अधिष्ठाता---आप पेश कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मेरे उस संशोधन को जो कि आज की कार्य-सूची पर नहीं छपा है, प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की। वित्त मंत्री महोदय ने जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पेश किया है मैं उसमें निम्न संशोधन पेश करता हूं---

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तथा उसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे।

यद्यपि श्रीमन्, माननीय लालबहादुर सिंह ने इस संशोधन को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग की है, लेकिन मेरा कहना यह है कि यह संशोधन सिर्फ इसी सदन तक ही सीमित न रह जाय। प्रवर समिति में दोनों सदनों के सदस्य ले लिये जायें। इससे ज्यादा आसानी होगी। और कार्य-संचालन में सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को प्रस्तुत करने का क्या कारण उपस्थित हो गया, वह मैं सदन के सम्मुख संक्षेप में बताना चाहता हूं। इस सदन का १९५७ में मैं एक नया सदस्य निर्वाचित होकर के आया। जोत चकबन्दी विधेयक इस सदन के पूर्व जो सदन था उसने १९५३ में तैयार किया और फिर १९५४, ५५, ५६ में संशोधन भी हुए। इस प्रदेश में वह विधेयक जो कि जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के नाम से राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इस प्रदेश में कानून का रूप ग्रहण कर चुका था उसके मुताबिक इस प्रदेश के २७ जिलों की एक-एक तहसील को ले कर चकबन्दी योजना चालू की गई। चकबन्दी योजना चालू होते ही इस विधेयक को जब कार्य रूप में परिणत किया गया चारों तरफ से इस प्रदेश में किसानों में हाहा-कार मचा, चौमुखी इसका विरोध किया गया। यद्यपि जब यह विधेयक सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था उस समय जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता श्री लाल बहादुर जी ने कहा कि इस विधेयक के विचार के समय इस सदन की सभी पार्टियों के सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया था। आज भी मैं निहायत ईमानदारी के साथ अधिष्ठाता महोदय, आपक सामने इस बात की घोषणा करता हूं कि १९५८ का जो जोत चकबन्दी संशोधन विधेयक संशोधित रूप में हमारे सामने आ रहा है उसके कुछ अपवादों को छोड़ कर अधिकांश विधेयक का मैं

[श्री जगन्नाथ लहरी]

हार्दिक स्वागत करता हूं। तो १९५३ में भी इस सदन के सदस्यों ने जोत चकबन्दी विधेयक का स्वागत किया और आज १९५८ के वर्तमान सदस्य भी इस अधिनियम का हार्दिक स्वागत करने के लिये तैयार हैं। लेकिन पता नहीं कि १९५३ के जोत चकबन्दी के कार्य रूप में परिणत हो जाने के बाद इस प्रदेश में जहां-जहां यह ऐक्ट लागू किया गया वहां के किसानों में जो घोर असंतोष प्राप्त हुआ, जो हाहाकार मचा उस के परिणामस्वरूप इस सदन में भी समय-समय पर चकबन्दी के प्रश्न को लेकर जो बहसें होती थीं उससे यह पता चलता था कि सचमुच चकबन्दी जो किसानों के लिये एक बरदान के रूप में प्रस्तुत की गई थी, वह एक अभिशाप बन कर उनके ऊपर छा गई।

इस प्रदेश में हमारी इस विधान सभा के कार्य-काल में, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के यह दिन भीषण खाद्य समस्या पर वादविवाद में व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज खाद्य समस्या के संकट को लेकर सभी पार्टियों ने इसका घोर विरोध किया है उसी तरह मैंने स्वयं इस सदन में इस बात को देखा है और शायद सभी सदस्यों को इस बात का आभास है कि विरोधी पार्टियों द्वारा चारों तरफ़ से इस जोत चकबन्दी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। समय-समय पर इस चकबन्दी के बारे में भ्रष्टाचार, किसानों के ऊपर अत्याचार आदि की कहानी यहां पर सुनाई गई। हमने देखा कि कैराना से एक, दो नहीं सैकड़ों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर से यात्रा कर के इस विधान सभा के सामने प्रदर्शन के लिये आये, प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से मिलें। उन्होंने अपने-अपने रिप्रेजेन्टेशन पेश किये और माननीय माल मंत्री महोदय की कोठी के सामने एक, दो नहीं, सैकड़ों किसानों ने, व्यक्तियों ने भूख हड़ताल भी की थी। उस समय भी विरोधी पार्टी के नेताओं ने उनकी कई दिन की भूखहड़ताल को जारी रहते देख कर समझा बुझा कर तुड़वाया था और उनके संतोष के लिये माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कुछ आश्वासन दिये गये। अब जब कि प्रदेश की कुछ नई तहसीलों में चकबन्दी चालू हुई तो हमने देखा कि इसी १९५८ में हजारों की संख्या में उन्नाव के किसान इस चकबन्दी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिये विधान भवन के सामने एकत्रित हुये। जिस जोत चकबन्दी विधेयक का सन् १९५२ में चतुर्मुखी स्वागत किया गया था उसके कार्य रूप में परिणत हो जाने के बाद जब उसका असली रूप जनता के सामने आया तो उस के विरोध में केवल विरोधी दलों की ही आवाज नहीं आई, मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेसी बेंचेज के भाइयों को भी चिंता हुई, उन्होंने भी उसका विरोध किया। जैसे कि अभी माननीय लाल बहादुर जी ने प्रवरसमिति में इसे भेजने की मांग प्रस्तुत करते हुये चकबन्दी के विरोध में जो विचार प्रकट किये हैं वह इस बात के सूचक हैं कि केवल विरोधी पार्टियों पर ही, उन को विरोध करने का शौक होने का लांछन नहीं लगाया जा सकता, केवल विरोधी दल वालों को ही इस विधेयक से विरोध नहीं था बल्कि ट्रेज़री बेंचेज के माननीय विधायकों को भी उससे घोर असंतोष था। संभव है अनुशासन की तलवार के आगे चाहे वह अपने विचार व्यक्त न कर सके हों लेकिन मुझे मालूम है कि उन्होंने अपने जिले के अधिकारियों के समक्ष अपनी उन कठिनाइयों को प्रस्तुत किया था। एक दिन जब कि इस सदन की लाबी में हम कुछ सदस्य चायपान कर रहे थे तब इसी सदन के एक कांग्रेसी विधायक ने हम लोगों के सामने बड़े दर्द भरे शब्दों में स्वीकार किया। वह डबल कांस्टीटुयेंसी से चुनकर आये थे। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कई दिन जिलाधीश के साथ-साथ चकबन्दी क्षेत्र में घूमा और चकबन्दी के विरोधमें जो जनता की शिकायतें सुनीं और भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध जो चतुर्मुखी विरोध था और असन्तोष था उसको दूर करने के लिये दौरा किया और जिलाधीश के सामने बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन जब विरोधी पार्टियों द्वारा उसका तगड़ा विरोध किया गया तो उन्हीं माननीय सदस्य की ओर से उस विधेयक का समर्थन किया गया। उसके बाद वह यह कह रहे थे कि जब मैं कांस्टीटुएंसी में अधिवेशन के बाद वापस जाऊंगा तो मेरी क्या परिस्थिति होगी? जब दो साथी एक ही जगह से निर्वाचित हो कर आये हैं, एक विरोध करता है, एक पृष्ठ-पोषण करता है, एक मंत्री महोदय की आंखों में अनुशासित साथी सिद्ध होने का प्रयत्न करता है। अब जब कि जिले के लोगों के.....

श्री चरणसिंह—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यहां आशा यह की जाती है और तथ्य भी यही है कि जो भी माननीय सदस्य यहां अपने विचार प्रकट करते हैं वह अत्यन्त स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहते हैं, किसी मंत्री का या पार्टी व्हिप का कोई असर नहीं होता लेकिन उसका यहां जिक्र करना इस तरह से मेरी समझ में तो असंगत भी है और माननीय सदस्य पर लांछन भी है।

श्री अधिष्ठाता—यह सत्य है कि माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करने में स्वतंत्र हैं, किसी तरह के अनुशासन की बात उसमें नहीं है। लहरी जी कृपया अपनी उस बात को वापस ले लें।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, वह केवल एक रिफ्रेन्स था न किसी सदस्य पर कटाक्ष था और न कोई दोषारोपण था। मैंने अनुशासन के सम्बन्ध में एक दृष्टांत आपको दिया, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं अध्यक्ष की कुर्सी का बहुत सम्मान करता हूं और आप जो भी रूलिंग देंगे मैं उसे शिरोधार्य करने के लिए तैयार हूं और आपकी आज्ञा को मानते हुये कहता हूं कि जितने भी शब्द आप उचित समझें, मैं चाहता हूं कि प्रोसीडिंग्स में से वापस कर दिये जायं।

तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने यह कह रहा था कि जोत-चकबन्दी विधेयक, १९५३ जो इस सदन से पास किया गया उसका चौमुखी विरोध था चाहे विरोधी पार्टियों द्वारा हो या कांग्रेस के द्वारा। आज समय-समय पर जब-जब उस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के प्रति भ्रष्टाचार या अन्य प्रकार की शिकायतें इस सदन के सामने प्रस्तुत की गयीं तो माल मंत्री महोदय ने कड़े शब्दों में उनका विरोध किया। लेकिन मुझे आज खुशी है कि उन्हीं माल मंत्री महोदय ने आज ५ वर्ष के उपरान्त यह महसूस किया कि १९५३ का त्रुटियों से भरा हुआ जो कानून था उससे अधिकारियों ने रुपया भी पैदा किया।

श्री चरणसिंह—मैंने तो यह नहीं कहा।

श्री जगन्नाथ लहरी—खैर, जो आपने कहा वह सही है। तो अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो हार्दिक स्वागत करने की बात कही उसका कारण व्यक्त कर रहा हूं कि आज स्वयं ५ वर्ष के अनुभव के बाद माल मंत्री महोदय ने जबकि ये विरोधी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है इस कानून की त्रुटियों को महसूस किया। आज जब कि एक बारीकी से इस पर विचार किया जाना चाहिए, और जैसा मैंने आप से कहा खाद्य संकट के अतिरिक्त यदि किसी बात पर सब से अधिक जोर दिया जाता था विरोधी पार्टियों द्वारा तो वह जोत-चकबन्दी के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये दिया जाता था, उस सम्बन्ध में आज यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय लहरी जी, यहां विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, अब आपने जो संशोधन रखा है तो क्यों इसे सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए उस पर आप कहें।

श्री जगन्नाथ लहरी—उसी पर मैं कहूंगा। यकायक यह विधेयक सदन के सामने माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। इस विधेयक में साफ तौर पर जब मैंने यह मांग की है कि यह दोनों सदनों की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तब इस पर विचार होने में यहां कुछ समय लगेगा, फिर दूसरे सदन में विचार होने में समय लगेगा, फिर प्रवर समिति के सदस्य छांटे जायंगे, वह विचार करेंगे। इस तरह से जब यह सदन ४ दिन के लिए और चलेगा, २५ तरीख के बाद यह अनिश्चितकाल के लिये उठ जायगा तो मैं आपके सामने वह कारण प्रस्तुत कर रहा था कि आज जब कि विरोधी पार्टियों के सदस्य जिन्होंने जोत-चकबन्दी कानून की कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, आज सदन में नहीं हैं इसलिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को आज पारित न किया जाय, बल्कि इस विधेयक के दोनों सदनों की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और उसका प्रतिवेदन जब हमारे सदन का शरत्कालीन अधिवेशन हो उस समय पेश किया जाय। उस समय के लिये मैं इस वास्ते कह रहा हूं जैसा कि आप स्वयं

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जानते हैं, समाचार-पत्रों में इस बात की काफी चर्चा है कि अपने प्रदेश के राज्यपाल महोदय, महामहिम वी० वी० गिरि ने कांग्रेस व विरोधी राजनैतिक पार्टियों से इस प्रदेश की बढ़ती हुई बेकारी और भुखमरी की समस्या को युद्धस्तर पर सुलझाने के लिये सहयोग की जो अपील की है उसके बाद सभी पार्टियां इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं। पता यह भी चला है समाचार-पत्रों द्वारा कि मंत्रिमंडल ने उस पर विचार किया और आदरणीय मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द द्वारा भी उस पर विचार विनिमय हो रहा है, जेलखानों में विरोधी नेताओं से विचार विमर्श हो रहा है और हमारे इस सदन के आदरणीय अध्यक्ष श्री खेर साहब दो बार विरोधी दल के नेता, श्री त्रिलोकी सिंह जी से मिले. . . .

श्री अधिष्ठाता---आप जरा तशरीफ रखिये। आप थोड़ा सा रेफरेंस कर सकते हैं लेकिन असल प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रवर समिति को यह विधेयक भेजा जाय इसी पर आप प्रकाश डालें कि क्यों भेजा जाय ?

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं इसी कारण की तरफ जा रहा था। मैं यह कह रहा था कि शीघ्र ही कोई समझौता होने जा रहा है लेकिन सदन अनिश्चित काल के लिये उठ जायगा २५ तारीख के उपरान्त और फिर शरद्कालीन अधिवेशन होगा और सभी सदस्य उस अधिवेशन में भाग लेंगे। तो जब चतुर्मुखी विरोध इस विधेयक पर हो रहा था और जब इस विधेयक में संशोधन करके इसे जनसुलभ बनाया जा रहा है तो मुनासिब यही होगा कि सभी पार्टियां इस विधेयक की चर्चा में भाग ले सकें। ऐसा न हो कि नगर निगम विधेयक की तरह जिसके सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हो रहा है कि पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार यह अच्छा नहीं हुआ कि ३ दिन में यह विधेयक पास हो गया, इसके लिये भी वही लांछन लगे। इसलिये मैंने यह मांग की है कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि "प्रवर समिति को अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। जोत चकबन्दी विधेयक केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बना, आज से बहुत वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती प्रदेश में भी जोत-चकबन्दी चली। चकबन्दी का विधेयक पंजाब में भी चालू है।

माननीय माल मंत्री ने बताया कि हमारा जो यह अधिनियम है उसमें जमीन का मूल्यांकन बन्दोबस्त का कानून जो १९१६ का था और जो बन्दोबस्त इस प्रदेश में १९२९ में हुआ था उसके मुताबिक किया जाता था, लेकिन पंजाब में मूल्यांकन करने के लिये वहां के किसानों से पूछा जाता था कि सब से अच्छी जमीन या हार कौन सा है, उसको १०० नम्बर दिया जाता था और बाकी जमीन को उसके मुताबिक घटा या बढ़ा कर मूल्यांकन किया जाता था। लेकिन आज उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में जो मूल्यांकन की विधि थी वह त्रुटिपूर्ण थी और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली थी। इस प्रदेश के किसानों को चकबन्दी से घोर असंतोष था। अब वे पंजाब व अपनी प्रणाली को मिलाकर एक नयी प्रणाली चालू करना चाहते हैं और इसके लिये माल मंत्री यह नया संशोधन विधेयक लाये हैं।

मेरा कहना यह है कि जब हम पंजाब के किसी अधिनियम से सहायता लेने जा रहे हैं और अभी तक पंजाब का अधिनियम उत्तर प्रदेश की आबोहवा के मुताबिक मौजूं नहीं था, लाभप्रद नहीं था लेकिन ५ वर्ष के अनुभव के बाद एक सच्चाई ने इस सदन के सामने गुंजार-गुंजार कर यह कहा कि उत्तर प्रदेश का जोत चकबन्दी विधेयक काफी त्रुटिपूर्ण है। इससे तो अच्छा पंजाब का था जो आज से कई वर्ष पूर्व निर्मित हो चुका था तो जब हम इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देंगे जिससे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो तो प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन के पूर्व, विचार विनिमय-करने के बाद, जैसे कि मूल्यांकन की धारा की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित हुआ है, शायद

और धाराओं की ओर प्रवर समिति का ध्यान आकर्षित हो और ऐसा विधेयक तैयार हो जो इस प्रदेश के किसानों में अब तक असंतोष था, उसको एक संतोष दे और प्रदेश का हर किसान इसका स्वागत करने के लिये तैयार हो।

श्रीमन्, चकबन्दी का ऐक्ट जो एक वरदान के रूप में किसानों के लिये प्रस्तुत किया गया था वह एक अभिशाप बन गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह अभिशाप न हो कर एक वरदान के रूप में किसानों को मिले और किसान दिन प्रति दिन फले और फूले। यही सब की कामना है। आज भारत की हर राजनीतिक पार्टी यही चाहती है कि हमारे प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता जो किसान कहलाती है वह सुख और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करे। वह फले और फूले और किसान सचमुच में कह सके कि यहां स्वराज्य कायम हो गया है। आज हम जल्दबाजी में कोई कदम न उठायें। भले ही कुछ देर हो जाय, भले ही चकबन्दी में कुछ देर हो जाय, इससे कोई वज्र नहीं टूट पड़ेगा, कहीं क्रांति नहीं हो जायगी और सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना नहीं होगी बल्कि किसान को एक राहत की घड़ी मिल जायगी। इसलिये किसानों में असंतोष है वह दूर हो जाय, यह तभी हो सकता है जब हम इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें और उसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार दे दिया जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया और इसको जल्दी में पारित कर दिया गया तो फिर वह त्रुटियां जो माननीय सदस्यों की जानकारी में हैं, वे यहां रह जायंगी और फिर इस पर टीका टिप्पणी होगी। इसलिये समय और धन का दुरुपयोग न हो कर इस बात की आवश्यकता है कि हम जल्दबाजी में इस विधेयक को न पारित करें बल्कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जिसे इसकी परधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने संशोधन के समर्थन में कुछ तत्व प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज माल मंत्री महोदय ने जहां चकबन्दी हो रही है उनमें काफी संशोधन कर दिया है। उदाहरण के लिये, वह चक जो पानी में डूबे रहते थे अलग कर दिये जायंगे और वे जिनकी जमीन ऊसर, खार या अनुपयोगी थी भी अलग कर दिये जायंगे चमेली, गुलाब और केवड़े की खेती वाले क्षेत्र इससे अलग कर दिये जायंगे। इसका सर्वत्र स्वागत किया जायगा। अनुपयोगी भूमियों को चकबन्दी से जो छोड़ दिया है उसका स्वागत है। बाग आदि जिसमें उन्होंने काफी धन और श्रम लगाया उसको भी छोड़ दिया है। उसका भी सर्वत्र स्वागत किया जायगा। लेकिन उन्होंने कहा कि गन्ने की भी कैश क्राप है, उसको चकबन्दी क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं,। समझ में नहीं आता कि गुलाब, केवड़ा और चमेली की खेती तो कैश क्राप में आ जाती है---अय्याशी के वे साधन जो रईसों के लिये ही हैं, आम जनता से जिसका कोई वास्ता नहीं है, अय्याशी के प्रसाधनों के लिए खेती करने वाले बाग लगाने वाले, गुलाब आदि जो कल काटे जा सकते हैं उनकी खेती करने वालों के लिये इस बात की गारंटी रहेगी कि उनके खेत चकबन्दी क्षेत्र में शामिल नहीं किये जायंगे। लेकिन गन्ने की वह खेती जो एक एकड़ में ५०० मन तक गन्ना होता है ६००-७०० रुपये उसके एवज में प्राप्त होते हैं, वह चकबन्दी में शामिल की जायगी। यह कहां तक उचित है?

इसके अतिरिक्त नगरों के आसपास जो भूमि है वहां गन्ना नहीं बल्कि नागरिकों के खाने के लिये सब्जी पैदा की जाती है। सब्जी वाले खेत में किसान अपना सर्वस्व लगा देता है। उस को कैश क्राप से भी ज्यादा सब्जी से लाभ होता है। आज वे खेत भी चकबन्दी में शामिल कर दिये जायंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज जौनपुर शहर में ऐसे खेत चकबन्दी में शामिल कर दीजिये जिसमें मैंने स्वयं देखा है कि किसान कोठियां खरीदता है और उनको तुड़वाकर फेंक देते हैं, उस पर सब्जी की, तम्बाकू की खेती करते हैं और उस मकान से ज्यादा जिसमें १०,००० २०,००० हजार रुपया लगा है, पैदा कर लेते हैं। इसलिये जौनपुर का किसान कोठियों को तोड़ देता है। आज वह जौनपुर का किसान हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नगरों को, कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, सीतापुर को सब्जी मुहइया करता है। अगर आज वहां चकबन्दी करने के बाद उसका सब्जी वाला खेत चकबन्दी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया तो उसकी छाती पर

[श्री जगन्नाथ लहरी]

क्या बीतेगी। उसका सर्वस्व उसकी आंखों के सामने ही स्वाहा हो रहा हो तो मरता आदमी क्या नहीं करता ? उस समय वह किसान विद्रोह के पथ पर आगे बढ़ने के लिये क्या अग्रसर नहीं होगा ?

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान अपने जिले के खन्दौली गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं। जून के महीने में जो सरकारी प्रकाशन 'कृषि और पशु-पालन' का अंक है उसमें खन्दौली के चेतराम किसान की जीवनी प्रकाशित हुई है। मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे उसको पढ़ने की कृपा करें। उसमें लिखा हुआ है कि चेतराम के पास १२ एकड़ जमीन है। मैं सरकारी प्रकाशन की बात आप के सामने रख रहा हूं। उस १२ एकड़ जमीन पर आलू, मक्का और अन्य सब्जी पैदा करके चेतराम ३०,००० रुपया प्रतिवर्ष पैदा करता है। उस १२ एकड़ जमीन पर सब्जी आदि पैदा करने में २०,००० रुपया प्रतिवर्ष वह व्यय करता है। १०,००० रुपया प्रतिवर्ष में उसको नेट प्राफिट होता है। यह मेरी बात नहीं है यह सरकारी प्रकाशन की बात है। आज चतराम जैसा किसान १२ एकड़ जमीन पर ३०,००० रुपया सब्जी पैदा करके प्राप्त करता है। क्या आप इसके क्षेत्र को चकबन्दी के क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे ? मेरा निवेदन यह है कि उस जमीन को लेने के लिये खन्दौली का कौन सा किसान होगा जो न ललचाता हो और उस पर दृष्टि न रखता हो ? मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर चेतराम की जमीन को चकबन्दी अधिकारी अपने किसी रिश्तेदार को एलाट कर दे और उसके पास न छोड़ें तो चेतराम के लिये सिवाय आत्म-हत्या करने के और दूसरा क्या साधन होगा ?

सो जहां हमने इतने संशोधन किये हैं कि गुलाब, केवड़ा और चमेली आदि के लिये रियायत दी तो क्या हम उस भूमि पर जिसके ऊपर किसान सब्जी पैदा करता है उस सब्जी वाले क्षेत्र के लिये चकबन्दी के क्षेत्र से अलहदा करने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ? यह तभी हो सकता है जब कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और प्रवर समिति इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इसलिये इसकी प्रस्तावना में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिसको उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

अब मैं आपके सामने तीसरा कारण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को क्यों रेफर किया जाय ? अभी तक जो हमारे इस प्रदेश में चकबन्दी हुई उस चकबन्दी के फलस्वरूप जो खर्चा आया वह चकबन्दी का खर्चा किसानों से वसूल किया जाता है। पंजाब में चकबन्दी का हिसाब ३, ४ रुपया प्रति एकड़ पड़ता है लेकिन हमारे प्रदेश में चकबन्दी का हिसाब यद्यपि अभी तक किसानों से ३, ४ रुपया वसूल किया गया है लेकिन विश्वस्तरूप से मुझे पता चला है कि कुछ दूसरा है। मैंने आंकड़े नहीं देखे हैं और न वह गोपनीय बात मेरे सामने है जिससे अधिकारपूर्वक मैं कुछ कह सकूं परन्तु जो विश्वस्तरूप से मालूम हुआ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश की चकबन्दी का खर्च १० रुपये प्रति एकड़ आता है। ३ और ४ रुपया आप किसान से वसूल करते हैं, और बाकी का ६ और ७ रुपया सरकार देगी। जो यह खर्च सरकार देगी वह इनडाइरेक्टली किसानों और प्रदेश के दूसरे लोगों पर ही पड़ेगा और उस रुपये से वसूल किया जायगा कि जो हम टैक्स के रूप में अदा करते हैं। वह खर्च अभी हमारे सामने नहीं है।

तो इस चकबन्दी के खर्च को कम करने के लिये कुछ ऐसे सुझावों की आवश्यकता है, कुछ ऐसी रीतिनीति को निर्धारित करने की आवश्यकता है कि जिससे किसानों पर यह बढ़ता हुआ बोझ कम हो और यह तभी हो सकता है कि जब इसको किसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उदाहरण के लिये मैं बताऊं, किसी क्षेत्र के बारे में सूचना हो जाने के बाद कि इस क्षेत्र में चकबन्दी होगी सैकड़ों सरकारी अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंच जाते हैं। और उनकी पलटन उस क्षेत्र में खाता दुरुस्ती आदि का काम प्रारम्भ कर देती है और इस काम में लगभग डेढ़ साल का समय लग जाता है। चकबन्दी क्षेत्र का अनुभव यह बतलाता है कि इस काम में डेढ़ साल का समय लगता है और सैकड़ों कर्मचारी तथा अधिकारी उसमें लगते हैं। आप हिसाब कर लीजिये,

उन सैकड़ों पर हजारों रुपया प्रति माह खर्च आयगा और इस तरह से कई लाख रुपया वह उस क्षेत्र के किसानों पर खाता दुरुस्ती आदि के बहाने लगाते हैं। आपकी सरकारी योजना में यह निश्चित होता है कि आप किस जिले की किस तहसील में चकबन्दी करना चाहते हैं। उस से कुछ दिन पूर्व अगर आप हाकिम परगना को यह काम दे दें कि वह अपने क्षेत्र के खातों की दुरुस्ती आदि का काम देखे और एतराजों को सुने तो एक अनावश्यक व्यय बच जायगा और जो मौजूदा अधिकारी वहां हैं माल के, उन्हीं के द्वारा यह काम हो जायगा। समय भी वही लगेगा, लेकिन बिना किसी खर्च के यह काम हो जायगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चकबन्दी का क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद वह पलटन डेढ़ साल तक वहां जा कर काम करती है। तो इस पलटन की नोच खसोट और जो खर्चा अनावश्यक रूप से हमारे किसान के सामने आता है वह, और जो उससे वसूल किया जाता है, वह सब किसान पर पड़ता है। और इसके अलावा वे कर्मचारी तथा अधिकारी जो चन्द दिनों में ही लखपती होने के स्वप्न देखते हैं और जो इसके लिये किसानों की लूट खसोट होती है उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। जो तनख्वाह बंधी होती हैं उसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन खुदाई मजार पर क्या चढ़ावा आया इसका कोई रेकार्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उस खुदाई मजार के चढ़ावे को रोकने के लिये इस बात की आवश्यकता है, समय और धन बचाने के लिये किसान का, जिसका बोझ उस पर अनावश्यक रूप से पड़ रहा है और उसकी लूट खसोट न हो सके और इस पलटन को वेतन के रूप में जो दिया जा रहा है उसे बचाने के लिये इस बात की आवश्कता है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय। लेकिन हम यह तभी कर सकते हैं कि जब इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित न कर के पहले इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द करें जिसको इसकी पारिधि बढ़ाने का अधिकार हो। इस परिस्थिति में ही प्रवर समिति इस संबंध में कोई संशोधन कर सकती हैं।

चौथा कारण जो प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के बारे में हैं वह यह है कि आज स्वयं माल मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि बन्दोबस्त में कुछ जमीनें चाही लिखी हुई हैं और कुछ खाकी लिखी हुई हैं। आज से ३०–३१ वर्ष पूर्व जो बन्दोबस्त हुआ था उसके अनुसार ही आज यह सब कार्य हो रहा है। लेकिन उसके बाद देश ने करवट बदली, अंग्रजों की गुलामी से हमारा देश मुक्त हुआ और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और दूसरी का आधा चरण करीब-करीब समाप्त है। करोड़ों रुपया इस देश के किसानों की उपज बढ़ाने के लिये खर्च किया जा चुका है और सरकार के द्वारा विकास योजनाओं के नाम पर, तकावी और कर्जे के नाम पर किसानों को मिल चुका है। लेकिन अगर वह जमीन जिस पर इतना रुपया खर्च हो चुका है, अगर बन्दोबस्त के कागजात में वह खाकी लिखी हुई है तो खाकी को छोड़ कर चाही नहीं बन सकती, चाहे वह शस्य श्यामला भूमि के रूप में ही क्यों न बदल गयी हो। अंग्रेजों के समय से जो जमीनों का मूल्यांकन होता चला आया है वही आज चकबन्दी के अधिकारी करते हैं। आज माननीय माल मन्त्री पंजाब के चकबन्दी कानून से सबक लेकर इस विधेयक को संशोधित करने जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में चकबन्दी करते समय इन अंग्रेजों के बनाये कागजात पर यकीन नहीं किया और न उसकी सहायता ली गयी। उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। चकबन्दी अधिकारियों ने प्रत्यक्ष देखा, इस बात की जांच की, किसानों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि सब से ज्यादा उपजाऊ खेत कौन सा है, उसको उन्होंने चुना। उसके बाद श्रेणी विभाजन किया। श्रेणी विभाजन के पश्चात् श्रेणी मूल्यांकन किया। इसी विधेयक को माननीय मन्त्री जी प्रदेश के जोत चकबन्दी कानून में लागू करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने किसी एक खेत को चुनना मुनासिब नहीं समझा। वह तो चाही खेतों को अलहदा चुनेंगे और उनमें से खाते बनायेंगे। इस प्रकार से कुछ बन्दोबस्त का सहारा लिया जायगा और कुछ पंजाब के कानून का।

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी संशोधन माननीय मन्त्री जी करने जा रहे हैं, वह स्वागत के योग्य है और उसका मैं स्वागत करता हूं और शायद इस प्रदेश के किसान भी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है। उसको विश्वास होना चाहिये कि छाछ के बदले में आप उसे गरम दूध तो नहीं पिलाना चाहते हैं।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

उसको जलने का खतरा नहीं होना चाहिये । लेकिन अगर जल्दबाजी में उसको फिर गरम दूध आप ने पिला दिया और किसान उससे जल गया तो आप चाहे कितने संशोधन विधेयक लायें, किसान हमारे ऊपर यकीन करने वाला नहीं है । तो आपने प्रदेश की इस रोढ़ को, अपने प्रदेश के बहु-संख्यक लोगों को विश्वास दिलाने के लिये यह आवश्यक है कि आज हम अंग्रेजों के जमाने के अथवा बन्दोबस्त के कागजात का त्याग करके, वास्तविकता को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर यह तय करें कि वास्तव में हमारे सामने क्या है ।

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय मन्त्री जी ने यह नहीं कहा था कि हर बन्दोबस्त का कागज गलत है । उन्होंने एक सेटिलमेंट आफिसर के बारे में कहा था कि एक जगह उसने इसकी परवाह नहीं की ।

श्री जगन्नाथ लहरी--मुझे माफ करेंगे हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदय, मेरे पास मन्त्री महोदय के वे शब्द नोट हैं, आप कहें तो मैं उनको पढ़ कर सुना दूं । उन्होंने कहा कि "जो चकबन्दी अधिकारी योग्य थे उन्होंने देखा कि जमीन की किस्में क्या क्या हैं और ३२, ३२ किस्म की जमीनें उन्होंने छांटीं, लेकिन कुछ चकबन्दी अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ बन्दोबस्त के कागजों का ही सहारा लिया ।" तो जो लोग कागज और भूमि सर्वेक्षण के कामों में एक्सपर्ट थे उन्होंने तो अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए वास्तविकता का सहारा लिया और सभी किस्म की जमीनें छांटीं, लेकिन जो सहायक चकबन्दी अधिकारी कलेक्टरियों में सिर्फ मुकदमे लड़ाने का काम करते थे, लेकिन चकबन्दी योजना में उन्हें सहायक चकबन्दी अधिकारी का पद मिल गया, उन्होंने इस बात की सही जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयत्न नहीं किया कि कौन सी जमीन खाकी है, कौन सी जमीन बूड़ व भूड़ है या कौन सी जमीन किस किस्म की है । वे कानून को चाटने वाले, कानून के कागजों को देखने वाले, सिर्फ कागज का ही सहारा लेते रहे ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अगर माननीय सदस्य का कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है तो मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री केशव पांडेय--मेरा सिर्फ एक प्वाइंट आफ इनफारमेशन है ।

श्री अधिष्ठाता--तो माननीय लहरी जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने यह कह रहा था कि वे चकबन्दी अधिकारी भूमि की जांच करने वाले एक्सपर्ट्स नहीं थे । अगर आज मुझसे ही कोई कहे कि मैं हवाई जहाज का या रेल का संचालन करूं तो सिवा इसके कि मैं अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करूं, कोई दूसरी बात सिद्ध नहीं हो सकती । तो वे सहायक चकबन्दी अधिकारी आज तक तो तहसीलों और कलेक्टरियों में मुकदमें लड़वाने का ही काम कर रहे थे, जिन्हे खेतों का कोई भी तजुर्बा नहीं था कि वे इस बात का पता लगा सकें कि कौन सी भूमि किस किस्म की है । इसलिये, श्रीमन्, उन लोगों ने सिर्फ बन्दोबस्त के कागजों का ही सहारा लिया । ऐसे चन्द आदमी अपवाद रूप भी हो सकते हैं जिन्होंने जमीन को सही किस्में छांटी हों ।

तो, अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जबकि हम पुनः इस चकबन्दी कानून में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये जा रहे हैं तो उस समय हमें यह भी सोचना चाहिये और इस बात का भी विचार करना चाहिये कि जमीनों के सही मूल्यांकन का पता लगाने की व्यवस्था का श्री गणेश जो माननीय माल मन्त्री जी इस संशोधन द्वारा करने जा रहे हैं, उसकी जो कमियां और खामियां रह गयी हैं उनको दूर करने का भी प्रयत्न हो । अधिष्ठाता महोदय, जो कमियां और खामियां हैं वे तभी दूर हो सकती हैं जब इस विधेयक को अभी गवर्नमेंट पारित न करे बल्कि इस पर सूक्ष्म विचार करने के लिये, गहराई से विचार

करने के लिये हम इस सदन के और कौंसिल के यानी दोनों सदनों के सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंप सकते हैं और उनको यह अधिकार भी दें कि वे उसकी परिधि बढ़ा कर इस पर विचार करें। हो सकता है कि मूल्यांकन के लिये सरकार को सन्देह हो कि प्रवर समिति इस निर्णय पर पहुंच सकेगी। तो चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारियों के लिये इस प्रकार की योग्यता निर्धारित कर दी जाय कि चकबन्दी अधिकारी और सहायक अधिकारी चकबन्दी कृषि भूमि के जानकार और एक्सपर्ट ही नियुक्त किये जायेंगे। अभी चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिये इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं, कोई प्राविजन नहीं लेकिन यह काम इस विधेयक के द्वारा नहीं हो सकता। इस विधेयक को जब प्रवर समिति में भेजा जायगा तभी यह हो सकता है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये पांचवां कारण यह है कि पंजाब में जब चकबन्दी की गयी तो वहां पर गांव को दो और तीन हारों में बांट दिया गया। वहां पर एक एरिया निश्चित कर दिया गया कि यह जमीन चाही है, यह जमीन खाकी है, यह जमीन भूड़ है। लम्बे-लम्बे चक बनाने के बाद इस बात की व्यवस्था की जाती है कि खेतों के लिये एक चौड़ा मार्ग भी हो जहां किसान आसानी से पहुंच सके। हर मार्ग के किनारे पर किसान को खेत मिले और जो चक दिये गये वे चौकोर चक दिये जायं। यहां चकबन्दी का अनुभव यह बताता है कि चक बनाये गये। चौकोर चक जो किसान के पास पहले से मौजूद था, कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया कि किसान के पास पहले एक ही चक था, एक ही जोत थी, लेकिन उसकी चकबन्दी कर दी गयी। उसका चक बन्द कर दिया गया। जो चक उसके पास आलरेडी था उसको टुकड़े-टुकड़े करके कई चक दे दिये गये। तो, अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि कानून चकबन्दी का है, लेकिन चकबन्दी का मतलब कहीं-कहीं पर किसान पर इस प्रकार भी हुआ कि जो उसका चक था वह भी बन्द हो गया और टुकड़े-टुकड़े करके उसे मिले। चकों में कहीं-कहीं यह देखा गया कि आठ-आठ कोने, दस-दस कोने के चक हैं छोटे-छोटे चकों के लिये कोई मार्ग नहीं है। तो जब हम पंजाब के कानून की सहायता ले रहे हैं तो जब वहां व्यवस्था है कि चौकोर चक मिलेंगे, चाही के एक साथ मिलेंगे, खाकी के एक साथ मिलेंगे, भूड़ के अलग मिलेंगे और खेतों पर जाने के लिये किसान को मार्ग मिलेगा, वह चक मार्ग के किनारे पर होंगे, तो वैसी ही व्यवस्था हम अपने यहां क्यों नहीं करते? हमारे इस चकबन्दी कानून के मुताबिक कुछ थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी मालूम पड़ती है कि मार्ग के कुछ साधन तो उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन चौकोर चक की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर मार्ग नहीं मिल सकता है तो अनिवार्य रूप से मार्ग देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आज चक बनाते समय इस बात की भी व्यवस्था करें कि चक चौकोर हो, एक किसान को अपने चक तक पहुंचने के लिये, उसकी बैलगाड़ी के लिये, अगर वह साधन-सम्पन्न है तो उसके ट्रैक्टर के लिये, उसके पशुओं के पहुंचने के लिये हर खेत के सामने एक मार्ग हो। वह काम तभी हो सकता है जब इस विधेयक को हम किसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

अध्यक्ष महोदय, छठवां कारण इस जोत चकबन्दी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का यह है कि अधिकारियों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डाइरेक्टर, जाने कितने अधिकारी बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान को सुख और सुविधा पहुंचाने के नाम पर चकबन्दी का सारा खर्चा किसान के सिर पर डाला जा रहा है। अधिकारियों की पल्टन में दिन पर दिन वृद्धि होती चली जा रही है जिसका मतलब यह है कि किसान की पीठ पर भी चकबन्दी के बोझ का भार बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हम इस बात को सोचें कि क्या सचमुच इस चकबन्दी विधेयक को चालू करने के लिये हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम एक अनावश्यक रूप से अधिकारियों में बढ़ोत्तरी करें, उनकी पदोन्नति करें? इसकी जांच तभी हो सकती है जब इस विधेयक को अभी पारित न करें, किसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। इसलिये मेरी मांग है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाय।

[जगन्नाथ लहरी]

अधिष्ठाता महोदय, सातवां कारण आपके सामने अब प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस विधेयक को दोनों सदनों की प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग क्यों की है। आज इस विधेयक में जो सहायक चकबन्दी अधिकारी था वह १९५३ के विधेयक में भी सारे भ्रष्टाचारों की जड़, चकबन्दी के लिये अभिशाप यदि कोई व्यक्ति था तो वह सहायक अधिकारी ही था। सहायक चकबन्दी अधिकारी के काले कारनामों ने ही इस प्रदेश के किसानों में घोर असंतोष पैदा किया। यह किसानों के लिये डिक्टेटर के रूप में आया, उनके रक्षक के रूप में न रह कर भक्षक के रूप में बन गया.....

श्री चरण सिंह---मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप कितने गांवों में तशरीफ ले गये और अगर कोई शिकायत मिली थी तो मैंने आफर किया था कि मुझको लिख भेजें, आपने कोई लिखी ?

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय माल मंत्री जी आपने उन्हीं व्यक्तियों से मांग की थी जो चकबन्दी क्षेत्र के थे और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं और शायद आपके इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज मेरे वे साथी जो विरोधी बेंचेज पर यहां बैठते थे वे उपस्थित होते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हमारे कुछ साथी चकबन्दी के सम्बन्ध में उसकी खामियों को आपको बताया करते थे, लेकिन मुझे दुख है कि सरकार से संघर्ष के कारण आज यह बेंचेज खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन एक विरोधी सदस्य के नाते मैं यह लांछन विरोधी पार्टी के ऊपर नहीं लगाना चाहता, लगवाना नहीं चाहता हूं, कि जब विरोधी बेंचेज खाली पड़ी हुई थीं तो जो व्यक्ति चकबन्दी विधेयक के एक्सपर्ट थे जो सरकार के ऊपर चकबन्दी कानून को लेकर प्रहार किया करते थे उनकी अनुपस्थिति में विरोधी दल के जो चन्द सदस्य उपस्थित हुए उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ कि चकबन्दी जोत विधेयक के ऊपर कोई विचार प्रकट कर सके। इसलिये मुझे इस विधेयक का अध्ययन करने के बाद आपके सामने बोलने के लिये खड़ा होना पड़ा। यदि आज हमारे भाई यशपाल सिंह जी, जिन्हें हमारी पार्टी की तरफ से चकबन्दी के संबंध में अधिकृत रूप से बोलने के लिये तैयार किया गया था और आपके हर वक्तव्य का उत्तर देने के लिये यह पार्टी श्री यशपाल सिंह जी को प्रस्तुत करती, अगर यहां यशपाल सिंह भी आज मौजूद होते, तो शायद आप प्रश्न करने की भी हिम्मत नहीं करते।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने यह कह रहा था कि सहायक चकबन्दी अधिकारी किसानों के ऊपर मौत की शकल में पहुंचा, उसने चकबन्दी क्षेत्र के किसानों का सत्यानाश कर दिया। उसकी बातों को, शिकायतों को माननीय माल मंत्री जी पहले नहीं मानते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने स्वयं उस गलती को आज महसूस कर लिया है। यदि इस जोत चकबन्दी विधेयक, १९५८ को जो मंत्री जी ने आज प्रस्तुत किया है और जो उन्होंने १९५३ में प्रस्तुत किया था, दोनों विधेयकों को उन्हीं के हाथों प्रस्तुत किया गया और माननीय माल मंत्री जी माल के मामले में, चकबन्दी के मामले में, अगर अधिकृत रूप से कोई व्यक्ति बात करने का अधिकारी है, तो शायद मंत्री महोदय ही हैं, दोनों की तुलना करके देख लें कि १९५३ के विधेयक में सहायक चकबन्दी अधिकारी को जो अपरिमित अधिकार दिये गये थे आज १९५८ के विधेयक में उसको क्यों लुंज-पुंज कर दिया गया ? उसके सभी अधिकारों में से कांट छांट कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी ? जहां आपने अन्य अधिकारियों के अधिकारों को बढ़ा दिया, लेकिन सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों को कांट छांट कर लुंज-पुंज कर दिया। उस के पीछे थी समय की पुकार, किसानों की पुकार, विरोधी पार्टियों की पुकार, भ्रष्टाचार की जो जड़ थी, जो उस का मूल कारण था वह था यही सहायक चकबन्दी अधिकारी, उस के प्रति जहां आप की निष्ठा थी, आपका उस में जहां विश्वास था वहां अब जब कि समय ने आपके विचारों को झकझोरा और आप अब विवश हुये कि सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों को कम किया जाय। मैं, इस

विधेयक में जो उस के अधिकारों को कम किया गया है, उसका स्वागत करता हूं। उसको इस तरह से और भी अधिक लुंज-पुंज बनाने की आवश्यकता थी।

इसके अलावा इस विधेयक में ऐसी कमियां हैं जो दूर होनी चाहिये, जो कत्ल करने वाला है इसमें वही अब भी न्याय करने वाला है, उसी के सामने फिर भी वाद प्रस्तुत करना होंगे। समय की मांग है कि उस सहायक चकबन्दी अधिकारी को न्याय करने के अधिकार से बंचित किया जाय और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी उन को ही किसान की वाद सुनने का मौका दिया जाय। जब वह केवल नकशे बनाने वाला अधिकारी ही रह जायगा तभी वह सही मानों में सहायक चकबन्दी अधिकारी होगा। यह सब हम तभी कर सकते हैं जब कि हम इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें और उसको उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार दें।

इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की जो मांग की गई है उसके लिये मैं अब आठवां कारण उपस्थित करता हूं कि क्यों मैं इसे प्रवर समिति में भेजना चाहता हूं? अधिष्ठाता महोदय, इसमें मूल अधिनियम की धारा १५ को निकालने का संशोधन माननीय माल मंत्री महोदय लाये हैं। जिस धारा ने किसानों को एक सुविधा दी थी कि यथाशक्ति उसी किसान को या उसके परिवार वालों को वही जगह दी जाय या उस के पास में कोई जगह दी जाय। एक यह सुविधा थी और कुछ अन्य सुविधायें भी थीं लेकिन अब वह समाप्त की जा रही हैं। जो कुछ अच्छाइयां थीं जो थोड़ा राहत का प्रबन्ध था लेकिन अब उनको उससे विमुक्त किया जा रहा है। इसलिये आवश्यकता है कि मंत्री जी एक बार फिर विचार करें और एलान करें कि किसानों को वह राहत किस प्रकार से मिल सकेगी। अच्छा हो कि वह धारा १५ को थोड़ा संशोधित कर दें लेकिन उसको बिलकुल न निकालें। यह सब तभी हो सकता जब यह प्रवर समिति में भेजा जाय और उस की परिधि को बढ़ाया जाय। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

अब मैं इसे प्रवर समिति में भेजने का नवां कारण पेश करता हूं। इसी सदन में माननीय माल मंत्री द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, वह था ठेकेदारी और पट्टेदारी भूमि आस्थान विधेयक, १९५८। और जब इस प्रदेश में भूमि व्यवस्था के संबंध में जमींदारी विनाश कानून लागू हुआ तो जैसा कि माल मंत्री महोदय ने स्वयं कहा, वह सिर्फ प्रदेश के ३२ जिलों में लागू हुआ। ९ जिलों की ९,१०० एकड़ जमीन पर सरकार द्वारा पट्टे पर, ठेकेदारी पर कुछ जमीन दी गयी थी और जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक में इस बात की व्यवस्था थी कि सरकारी शर्तों के अनुसार जो जमीन पट्टे और ठेकों पर मिली हुई है उसपर वह बिल लागू नहीं हुआ और चकबन्दी विधेयक लागू करते समय भी उन पट्टेदारों को इस प्रकार की सुरक्षा की गारन्टी दी गयी थी कि उन की जमीन पर चकबन्दी का भी असर नहीं पड़ेगा। अब १५ तारीख को इस सदन में ठेकेदारी आस्थान विनाश व्यवस्था कानून पास हुआ है, फिर जैसा कि उन्होंने इस विधेयक पर विचार करते समय बताया था, वह २४ तारीख को जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक पेश करेंगे, उसमें पट्टेदारी और ठेकेदारी के विनाश को लागू नहीं किया है वह करना है, तो उस समय इस बात की आवश्यकता है कि आज हम उस प्राजीवन को जिसे हम ४–५ दिन पूर्व पास कर चुके हैं उसे इस विधेयक में लागू करें। वरना––

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)––मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रखता हूं कि रेलेवेंसी और इर्रेलेवेंसी का विचार वाद-विवाद में होना चाहिये। जो विधेयक प्रस्तुत नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं उसका उदाहरण देना और माल मंत्री जी ने ठेकेदारी विधेयक के संबंध में क्या किया उससे संशोधित धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह कोई रेलेवेंट बात नहीं है। तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि कोई रेलेवेंसी होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---माननीय लहरी जी, मैंने पहले भी आपको सुझाया था। जहां तक रेलेवेंसी का सवाल है आप अपने प्वाइंट बताते जाइये लेकिन बार-बार दोहराना ठीक नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मिश्र जी का बड़ा कृतज्ञ हूं, उन्होंने रेलेवेंसी की तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन इस विधेयक को आप देखें तो इसमें ११७ धारा जो भूमि विनाश व्यवस्था की थी उसका इसमें प्रावीजन है और इस विधेयक के अन्दर जिस बात की मांग की गयी है उसी पर मैं विचार प्रकट कर रहा हूं। १५ पृष्ठ पर इस विधेयक को पढ़ें तो आपको प्रावीजन मिल भी सकते हैं। तो मैं यह मांग कर रहा था कि जबकि एक विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हो चुका है और दो दिन बाद फिर एक विधेयक स्वीकृत होने जा रहा है तो उसमें कुछ ऐसे संशोधन हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें पुनः एक संशोधन विधेयक लाना पड़े। लेकिन अगर हम इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देंगे और उसको परिधि बढ़ाने का अधिकार मिल जायगा तो उसको उन संशोधनों को स्वयं पेश करने का अधिकार हो जायगा। इसलिये भी मेरी यह मांग है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दसवां कारण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के पृष्ठ १४ पर लिखा हुआ है, "छोटे काश्तकारों को यथासंभव कम चक दिये जायंगे"। मैंने बड़ी बारीकी से इसे पढ़ने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है कि "छोटे काश्तकारों को यथासंभव कम चक दिये जायंगे?" इसका मतलब यह है कि छोटे काश्तकारों के चकों के भी सरकार टुकड़े करना चाहती है तो यह क्या चकबन्दी हुई? छोटे काश्तकारों के पास जो जमीन है थोड़ी सी उसी पर उनका सारा परिवार निर्भर है और सारी शक्ति उनकी उसी पर केन्द्रित रहती है लेकिन अगर उस काश्त के टुकड़े कर दिये जायंगे और उसे कम टुकड़े मिलेंगे तो इसका मतलब मैं यह माने लेता हूं कि कम से कम २ चक तो उसे मिलेंगे ही और इस प्रकार छोटी सी काश्त के भी जब २ टुकड़े हो जायंगे तो उस काश्तकार पर क्या बीतेगी? इसलिये इस विधेयक के द्वारा यह गारन्टी की जाय कि छोटे काश्तकारों की काश्त के टुकड़े नहीं किये जायंगे और हर छोटे काश्तकार को सिर्फ एक ही चक दिया जायगा। लेकिन इस धारा के होते हुये ऐसा होना संभव नहीं है। अतएव यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, पृष्ठ ६ पर पांचवे खंड में इस बात का प्राविजन किया गया है कि किसी क्षेत्र में चकबन्दी की घोषणा की जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि चकबन्दी की वह घोषणा रद्द की जाती है, परन्तु चकबन्दी की घोषणा होते ही चकबन्दी के अधिकारी और कर्मचारियों की पलटन उस क्षेत्र में जाकर खेतों की जांच करना प्रारम्भ कर देगी और जांच के दौरान में इस प्रकार वे किसानों की लूट व खसोट करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---माननीय लहरी जी, आप दोहरा रहे हैं, लूट खसोट के बारे में ३ दफा आप चर्चा पहले भी कर चुके हैं। कोई नया प्वाइंट हो उसे आप रखें।

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं दोहराऊंगा नहीं, नयी बात ही रखूंगा। धारा ५ इस प्रकार है "जब धारा (१) के अधीन किसी कटक के संबंध में प्रख्यापन रद्द कर दिया गया हो तो वह क्षेत्र, यदि उक्त रद्द करने के दिनांक से पहले पारित तथा भूमि अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध कोई अंतिम आज्ञा हो तो उसके अधीन रहते हुये रद्द करने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रह जायगा।" अधिष्ठाता महोदय, जब चकबन्दी की आज्ञा रद्द कर दी जायगी तो वह क्षेत्र चकबन्दी के अधीन नहीं रहेगा लेकिन भूमि अभिलेखों के संबंध में जो सुधार और संशोधन उस आज्ञा से कर दिये गये होंगे वे बदस्तूर कायम रहेंगे। ये जो भूमि अभिलेख किये गये थे वे चकबन्दी के कारण किये गये थे, चकबन्दी उस क्षेत्र में लागू होने जा रही थी, इसलिये अधिकारियों ने उन संशोधनों व परिवर्तनों को आवश्यक समझा लेकिन

चकबन्दी की आज्ञा रद्द होने के बाद भी इन चकबन्दी अधिकारियों ने जो संशोधन कर दिये वह विधाता का लिखा बन जायगा। पहले सिर्फ यही था कि चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध एक अपील होती थी, फिर जिलाधीश के एक रिवीजन का अधिकार दे दिया गया और अब इसके जरिये एक और अपील का अधिकार मिल गया। चकबन्दी अधिकारी के बाद जिलाधीश के सामने एक और अपील हो सकती है लेकिन उसके बाद डायरेक्टर के यहां रिवीजन होगा।

मेरा कहना यह है कि किसी व्यक्ति के खेत के संबंध में, अभिलेख में जो संशोधन किया गया है वह संशोधन गलत तरीके से कर दिया गया हो और वह न्याय विधि के मुताबिक न्याय पाने में समर्थ न हो पाया हो तो चकबन्दी की आज्ञा रद्द हो जाने के उपरान्त भी उसके संबंध में अभिलेख में जो कुछ लिखा हुआ है वह विधाता का लिखा माना जायगा और उसे संसार में कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। जब चकबन्दी समाप्त हो गई तो अभिलेखों को भी समाप्त हो जाना चाहिये। उनको बदस्तूर कायम रखने की क्या आवश्यकता है इस पर विचार करना है। इसलिये, अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग कर रहा हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो सोचे कि क्या चकबन्दी के क्षेत्र को रद्द करने के बाद, उस घोषणा के बाद कि इसमें कभी चकबन्दी नहीं होगी तो जो अभिलेखों में संशोधन किये गये हैं उनके रखने की आवश्यकता है या नहीं? इसलिये इस पर विचार प्रवर समिति में ही हो सकेगा। यद्यपि मैं इस विधेयक पर काफी विचार करने के लिये तैयार हूं और अपने काफी विचार प्रकट करूंगा लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बार-बार जो मुझे टोका जा रहा है तो मेरे साथी अपने विचार प्रकट करने के लिये उतावले हो रहे हैं। अब मैं अपने विचारों को सीमित करते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं, परन्तु बारहवां कारण उपस्थित करते हुये कि इसको क्यों प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, अपनी स्पीच को समाप्त करूंगा।

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस समय प्रस्तुत है वह २७ पृष्ठ का है और इसका मूल अधिनियम केवल २१ पृष्ठ का ही है। जब अधिनियम में संशोधन किये जा रहे हैं तो अधिनियम स्वाभाविक तौर पर बड़ा होगा लेकिन यहां पर बिलकुल उल्टा हो रहा है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब संशोधन विधेयक मूल अधिनियम से बड़ा है तो इसके हर क्लाज पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इस विधेयक के हर क्लाज पर संशोधन किये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय लहरी जी, एक तरफ तो आप इसके प्रिंसपिल्स को स्वीकार करते हैं और इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आप इसका विरोध करते हैं तो ये दो बातें ठीक नहीं हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि जब मूल अधिनियम से बड़ा संशोधन विधेयक है तो इस पर विचार करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है। यह काम इतनी जल्दबाजी से नहीं हो सकता है। इस सदन के सामने इस विधेयक को आज ही दोपहर को प्रस्तुत किया गया है और कल तक इसकी स्वीकृति दे दे सदन। इसलिये, अधिष्ठाता महोदय, इस पर विचार और मनन तभी हो सकता है जब इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय

श्री अधिष्ठाता—यह बात आप कई बार कह चुके हैं। आपके पास नया प्वाइंट नहीं है तो मुझे मजबूर होकर आपकी स्पीच बन्द करनी पड़ेगी।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वयं अपनी स्पीच बन्द कर रहा हूं। इसलिये जो कारण मैंने पेश किये हैं उनके अनुसार मैं सदन से मांग करता हूं कि इस विधेयक को दोनों सदनों की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय,मैं इस उद्देश्यपूर्ण संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। मान्यवर, मैं आप से यह कहने की आज्ञा चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के सदस्य ने राजस्व मंत्री को अशोभनीय शब्दों में अपने भाषण में संबोधित किया है। अपने भाषण के दौरान में उन्होंने यह कहा कि यदि माननीय यशपालसिंह जी होते तो माननीय मंत्री का साहस नहीं होता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि . . .

श्री जगन्नाथ लहरी--मान्यवर, मैंने यह बात नहीं कही कि "साहस नहीं होता।"

श्री अधिष्ठाता--माननीय लहरी जी, आप बिना अधिष्ठाता की आज्ञा के न बोलें।

श्री रामलखन मिश्र--शायद "हिम्मत" कहा। मान्यवर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं और चाटुकारिता की बात नहीं कहना चाहता हूं। भारतवर्ष में कदाचित् ही किसी राज्य को ऐसा योग्य राजस्व मंत्री मिला हो जो इतना अध्ययनशील है, इतना मनन करता है और जिसे लैंड सिस्टम की इतनी जानकारी है। मैं तो चैलेंज करता हूं, एशिया में, जो जानकारी हमारे राजस्व मंत्री को है, कदाचित् कहीं किसी को हो। मैं गर्व मानता हूं कि मैं ने इस सदन में ऐसा राजस्व मंत्री पाया है। उनके संबंध में ऐसे अशोभनीय शब्दों का कहना उचित नहीं दिखायी पड़ता।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं संशोधन की ओर आना चाहता हूं। संशोधन छोटा हो या बड़ा हो पर उसका संबंध पढ़ने से होगा। केवल पांडित्यपूर्ण भाषण से कुछ नहीं आयेगा और न प्रवर समिति में भेजा जा सकता है। मैं एक एक बात का विश्लेषण कर देता हूं।

माननीय सदस्य विरोधी दल ने होल्डिंग की परिभाषा को स्वीकार किया। जो उद्देश्यपूरक बात है उसका वर्णन किया।. जहां बाग निकाल दिया गया है, गुलाब, केवड़ा और चमेली निकाल दी गयी है वहां ऊख की फसल भी निकाल दी जाय। इसका संशोधन लाकर सदन में विचार किया जा सकता है।. इस समय मैं कहूं कि ऊख की खेती को निकाल दिया जाय तो फिर लम्बा सा विवाद होगा। मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं। धारा ६ का उन्होंने उल्लेख किया। उसमें स्पष्ट "अंतिम" शब्द का वर्णन है। अंतिम निर्णय जब हो जायगा तो उसकी शुद्धि और अशुद्धि का लेखा मान्य होगा। इस संशोधन में बहुत उद्देश्य-पूरकभाव निहित हैं। ए०सी०ओ० का निर्णय कोई निर्णय नहीं ह। केवल निर्विवाद बातों में वह अपना निर्णय देगा। सारा निर्णय का अधिकार सी०ओ० को कर दिया गया है। सी०ओ०के निर्णय के बाद फिर सेटिलमेंट आफिसर के यहां पूर्ण अपील होगी। इतना ही नहीं है। सेटिलमेंट आफिसर के बाद दूसरी अपील डिप्टी डाइरेक्टर जिसे कलेक्टर कहते हैं उसके यहां रख दी गयी है। उसके यहां अपील होने के बाद भी डिप्टी डाइरेक्टर, यदि वह संतुष्ट हो कि कोई सारवान अन्याय हुआ है--मेरे पास मैटीरियल इंजस्टिस का सारवान अन्याय के अतिरिक्त और कोई अनुवाद नहीं है--अपील के बाद भी वह पुनः दृष्टिपात कर सकता है। यदि वहां भी कोई त्रुटि रह गयी हो तो डाइरेक्टर को अधिकार दिया गया है। जहां पर कोई ग्रास इंजस्टिस हुई हो वहां पर उस पर दृष्टिपात कर सकता है और डिप्टी डाइरेक्टर से रिपोर्ट ले सकता है। सेटिलमेंट आफिसर को अधिकार दिया गया है कि अपील की मियाद बीत जाने पर भी यदि कोई सारवान वस्तु है तो अपील की मीयाद के बाद भी उसे वह ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही सी०ओ० को भी छोटा मोटा अधिकार दिया गया है।

पहले धारा ३८ थी, परन्तु वह बहुत दूर तक उद्देश्य पूरक नहीं थी। मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि चकबन्दी के संबंध में एक सर्वदलीय मीटिंग होती है। जितने एम०एल० एज० हैं, त्रैमासिक रूप में बैठते हैं और स्वतंत्र रूप से जो चाहें अपना संशोधन कर सकते हैं अधिकांश ये संशोधन उन्हीं सुझावों के आधार पर यहां पर आये हुये हैं।

मैं माननीय सदस्य जो विरोधीदल से बोले हैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने यह कहा कि वे खानापूरी करने के लिये यह बात कह रहे हैं। तो यह मेरे लिये शोभनीय न होता यदि मैं इस बात को विस्तार से न कहता । यह ठीक है कि चकबन्दी का क्षेत्र बने रहने से कुछ कमियां स्पष्ट हैं किन्तु इसमें जो संशोधन किये गये हैं अधिकांश भागों में उनको स्वीकार किया गया है और स्वागत किया गया है । मेरे मित्र की दलीलों में कोई बात ऐसी नहीं आयी । जहां तक मैं समझता हूं इन सारी बातों को न पढ़ने से उन्होंने भ्रमपूर्ण बातें यहां पर कहीं कि ए० सी० ओ० की कोई ट्रेनिंग नहीं होती । उस भूमि के सम्बन्ध में, परिवर्तित भूमि के सम्बन्ध में जो भी भाग होंगे, सिंचाई के सम्बन्ध में, रेणुका के सम्बन्ध में सारी बातें उनको पढ़ाई जाती हैं । पढ़ने के बाद फिर उनकी परीक्षा होती हैं और परीक्षा के पश्चात् भी उनको और भी प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है । माननीय सदस्य ने यह कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है और रेवेन्यू के जो काम करने वाले आदमी हैं उनको वहां पर लाया गया है और किसानों का एक प्रकार से वे नाश कर रहे हैं । उसी सम्बन्ध में उन्होंने लूट खसोट की भी बात कही । मैं कड़े शब्दों में इसका उत्तर नहीं देना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह कर मुक्ति का आन्दोलन और लूट खसोट का आन्दोलन जनता के मस्तिष्क के स्तर को गिरा रहे हैं । क्या वह चकबन्दी के सम्बन्ध में भी उस मानसिक स्तर को लेकर कोई कमी उपस्थित करें तो उससे हमारा कार्यकाल बढ़ेगा ? यह उद्देश्य ठीक है परन्तु जनता में जाकर घेरा डालो और लूट खसोट की बात करने से जनता के मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा । इससे नैतिक स्तर ऊंचा होने वाला नहीं है । इसका प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन की दिनचर्या पर भी इसका प्रभाव पड़ता है । यहां कहां तक उचित है इसको मैं विरोधीदल के सदस्य पर ही विचार करने के लिये छोड़ देना चाहता हूं ।

हमारे मित्र ने इस विधेयक में आये संशोधनों का चर्चा किया । जहां चकबन्दी के सम्बन्ध में मूल्यांकन और ब्लाक फार्मेशन का काम ठीक हो गया तो यह आधे झगड़े समाप्त हो जायंगे । इसकी रोकथाम का प्रबन्ध इसमें पर्याप्त किया गया है। इसमें सी० ओ० को यह अधिकार दिया गया है कि वह ब्लाक के मूल्यांकन के सम्बन्ध में पूरा निर्णय देगा और उसके निर्णय के सम्बन्ध में भी दो, दो अधिकार अपील के लिये दिये गये हैं जो कि सेटिलमेंट अफसर के यहां हैं । इस तरीके से जहां भी वह चाहे जिस लेविल पर ए० सी० ओ० के ऊपर वह कार्यवाही हो सकेगी । सेटिलमेंट अफसर के स्तर के ऊपर और उसके ऊपर भी विशेष अधिकार दिये गये हैं जहां से वह इन्साफ प्राप्त कर सकता है । इसमें कहीं भी किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं है । भ्रष्टाचार का सम्बन्ध तो मानसिक स्तर से हुआ करता है । कभी-कभी मानसिक भ्रष्टाचार भी होता है । पंजाब के कानून में इस तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है ।

जहां तक उस पंजाब के कानून की बात कही गई मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि मैं पंजाब के कानून पर कोई दृष्टि नहीं डालता किन्तु पंजाब के कानून में ५२ जैसी कोई धारा नहीं है । एक बार चकबन्दी प्रारम्भ हो जाय तो फिर उसको रोकने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है । हम अपने यहां ५२ के अनुसार विज्ञप्ति जारी करके यह कर सकते हैं कि चकबन्दी की कार्यवाही अमुक क्षेत्र में समाप्त कर दी जाय लेकिन पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है । पंजाब की भूमि में और हमारे यहां की भूमि में अन्तर है । जहां तक मैं स्मरण करता हूं चकबन्दी कानून बनाने से पूर्व सरकार की जो कमेटी बैठी थी उसमें भी चकबन्दी के मुरब्बे का प्रश्न उठा था और पंजाब में चकबन्दी का कार्य देखने के लिये हमारे कुछ कर्मचारी भेजे गये थे किन्तु हमारे यहां कुछ ऊंची नीची भूमि होने से और वहां समतल भूमि होने से कुछ अन्तर पड़ता है । वहां पर उसका कुछ मुरब्बा काटकर जोड़ देते हैं । वह हमारे यहां सवाल नहीं था लेकिन हमारे यहां जितने भी आदेश हैं उसमें जहां तक सम्भव हो कम ब्लाक्स बनाने के बारे में हैं । मैं यह मानता हूं कि खेतों को काट छांट न की जाय नहीं तो काट छांट करने से जो रकबा निकलेगा उस रकबे को लगान से अलग करना पड़ेगा

[श्री रामलखन मिश्र]

और उससे काम बढ़ जायगा। पहले यह धारणा हमारी चकबन्दी की थी कि इस कारण से पूरे का पूरा खेत पूरे खेत के साथ संयुक्त करते थे, तो उनमें कोनबाजी अधिक हो जाती थी। लेकिन इसमें भी अब सुधार हो गया है और अब जहांतक मेरी जाती जानकारी है, इस बात का यत्न किया जा रहा है कि यहां भी चौरस भूमि के चक बनाये जायंगे। तो यह आपत्ति जो विरोधी दल के माननीय सदस्य ने की थी उसमें कोई सार-वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। अनेक बातें उन्होंने नाजानकारी के कारण कही हैं। इस समय वह यहां उपस्थित नहीं हैं नहीं तो मैं उन से प्रश्न करता कि यह जानकारी उन्होंने कहां से प्राप्त की है?

जहां तक खर्चे का संबंध है, मेरा विचार है कि यह निर्णीत नहीं हुआ कि कुल कितना खर्चा आता है, किन्तु हमारे राजस्व मंत्री जी को ध्यान अवश्य उधर देना चाहिये। अधिक खर्च किसानों को ग्राह्य न होगा। यह विचार करने की बात है। राजनीतिक दलों की नीति के कारण, विलम्ब अधिक हो जाने के कारण, अथवा आन्दोलनों के कारण जनता के मानसिक स्तर में गिरावट हो जाने के कारण स्वाभाविक रूप से खर्च कुछ बढ़ जाता है लेकिन फिर भी स्टेट को प्रयत्न करना चाहिये कि किसानों से खर्च कम वसूल किया जाय वरना यह किसानों के लिये भार स्वरूप हो जायगी।

चकबन्दी के लाभ के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो भुक्तभोगी हूं। हमारे यहां १,००० से ऊपर गांव थे और उनमें करीब-करीब चकबन्दी का काम समाप्त हो रहा है और वहां पर राज्य की कृपा से २०,००,००० रुपया कुवें खुदवाने के लिये मिल गया है। वहां चकबन्दी का बड़ा स्वागत हो रहा है और इसका बड़े आदर से नाम लिया जा रहा है। जो काम वहां हुआ है और चकबन्दी के डाइरेक्टर ने जो वहां खराब कर्मचारियों को दंडित किया है उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है तो इस संशोधन से हम को एक नयी व्यवस्था प्रतीत होगी।

इस विधेयक में दो, चार बातें ऐसी हैं कि जिनकी ओर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और संभव है कि वह उनको संशोधनों में अथवा नियमों में ठीक कर लें। एक तो यह है कि विधान यह रखा गया है कि जहां हमने डिप्टी डाइरेक्टर को अधिकार दिया है कि वह किसी भी समय उस प्रश्न को, चाहे अपील हुई भी न हो, अथवा उसके पश्चात् भी, उस पर पुनर्विचार कर लें, यह एक बड़ी शंकाशील बात हो जाती है। चक में कब्जा होने के बाद, वहां हमने "कंक्लूजिव" शब्द का प्रयोग किया है ताकि उस के बाद दूसरी बात न हो सके, उसको हमने एक मान्यता दी है, उसके पश्चात् भी हमारे ऊपर एक खड्ग लटक रहा है कि उसको डिप्टी डाइरेक्टर कभी भी देख सकता है, यह मैं समझता हूं कि जनता को ग्राह्य न होगा। वह बुद्धिगम्य होता है और कोई भी प्रतिष्ठित तर्क उपस्थित करने वाला कोई जबरदस्त वकील जो होता है वह साधारण बात को सारांश में प्रस्तुत कर सकता है और इसलिये उसके बाद भी जो यह व्यवस्था रखी गयी है उसको मैं उद्देश्यपूरक नहीं मानता। अपोजिट पार्टी को जो नोटिस दिये जाते हैं उनमें केवल दो दिन का समय रहता है, कहीं-कहीं तो उसी दिन जवाब देना पड़ता है, कोई समय ही नहीं मिलता, तो यह ठीक नहीं है। कहीं न कही किसी कालावधि से बांधना चाहिये, वह चार दिन हो अथवा पांच दिन हो, लेकिन यह बहुत कम है।

इस के अतिरिक्त जो डाइरेक्टर को अधिकार प्राप्त है वह मैं समझता हूं कि स्टेट को होना चाहिये और स्टेट उसे डाइरेक्टर को डेलीगेट कर दे। यह चीज उद्देश्यपूरक होती। डाइरेक्टर प्रान्त के अनेक जिलाधीशों से, ऐसी मेरी मान्यता है कि जूनियर है। यह साइकोलाजिकल असर उस पर पड़ता कि डाइरेक्टर जो सर्विस में उस से जूनियर है वह उससे रिपोर्ट मांगे नायब तहसीलदार की तरह से कि तुम इसकी जांच कर के रिपोर्ट भेजो और उस पर वह अपना निर्णय देगा, वे इसका स्वागत नहीं करेंगे। इसलिये इसको ठीक करना चाहिये। इसका भाव बड़ा उद्देश्यपूरक है लेकिन डाइरेक्टर को यदि पावर डेलीगेट करनी पड़े तो किसी योग्य अधिकारी को देनी चाहिये, जैसे हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज हो या डिप्टी डाइरेक्टर हो रिटायर्ड,

जिसको चकबन्दी का अच्छा ज्ञान हो। चकबन्दी के सम्बन्ध में चाहे पुस्तकीय ज्ञान कितना भी हो, लेकिन जब तक अनुभवपूर्ण ज्ञान नहीं है, तब तक बहुत बड़ी भूल होने की सम्भावना है। ग्रोस इनजस्टिस और मैटिरियल इर्रेग्यूलेरीटी, (Gross injustice, material irregularity) इत्यादि, इत्यादि ऐसे शब्दों को लेकर जब कोई प्रतिभापूर्ण वकील ऐसे अफसरों के सामने प्रस्तुत करता हैं जिनको चकबन्दी का अनुभव नहीं है तो उसमें न्याय की जगह अन्याय हो जाता है और किसान ऊंची फीस देने में अक्षम्य हो जाता है। तो राजस्व मंत्री को इधर ध्यान देना चाहिये। संशोधन ऐसा भी नहीं होना चाहिये जिससे वह द्रोपदी का चीर हो जाय और उसकी तरह से बढ़कर भारस्वरूप हो जाय। इसमें कहीं कहीं तो ३० दिन की भी कालावधि दे दी गई है, यह भी बहुत ही उद्देश्यपूरक है। ऐसी अनेक बातें हैं।

धारा १५ को निकाल दिया गया है। वह बड़ी ही भ्रामक थी और उससे अधिकारियों को कई दिशाओं में चलने का अधिकार मिल जाया करता था। मेरी ऐसी धारणा है कि अब कोई किसी प्रकार की आशंका इसके अन्तर्गत होने की सम्भावना नहीं है। लेकिन कहीं कहीं अप्रासंगिक दोष हैं जो संशोधन आते आते दूर हो जावेंगे। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। इसमें ५, ७ चीजें मोटी-मोटी हैं। यह किसानों के अहित की बात होगी कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)----माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि इससे पहले विरोधी पक्ष के जो सज्जन भाषण दे रहे थे वह सदन में नहीं हैं। यह तो निश्चय ही है कि उन्होंने एक तरफ तो यह कहा कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जनता भी इसका स्वागत करेगी और उन्होंने एक तरह से मंत्री जी को इसके लिये बधाई भी दी। लेकिन फिर भी उन्होंने पौने दो घंटे का लम्बा भाषण इसलिये दिया कि शायद उनका खयाल यह था कि चूंकि विरोध पक्ष के बहुत से भाई सदन में नहीं हैं तो वे जितना समय लेते उतना समय वह अकेले लेकर शायद विरोध पक्ष का कर्त्तव्य पालन कर दें। ऐसी शायद उनकी धारणा रही और इसीलिये उन्होंने गिनती गिनते १३ कारण रखे कि इस विधेयक को प्रवर समिति को क्यों भेजना चाहिये। यह बड़े खेद की बात है कि सदन में इस समय हमारे विरोधी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, जिनके विचार हम इस सम्बन्ध में सुनना चाहते थे। मेरा खयाल है कि माननीय लहरी जी के अलावा, जिन सज्जनों ने इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से किया, वे अगर विरोधी पक्ष की तरफ से हमारे सामने सुझाव रखते तो बड़ी मूल्यवान चीज होती। मैं इस बात की इस समय चर्चा नहीं करना चाहता कि विरोधी पक्ष के लोगों ने इस सदन में उपस्थित होकर उचित कार्य किया अथवा नहीं। मुझे याद है कि जिस समय हमारा संघर्ष चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तब भी हमें एक दो बार असेम्बली का वहिष्कार करना पड़ा था। लेकिन उस समय यह निश्चय किया गया था कि जब जब कोई आवश्यक विषय होगा तो अवश्य ही हम लोग वहां उपस्थित होगे :

इसमें संदेह नहीं कि हमारी खाद्य समस्या का प्रश्न विषम है। हमारी समस्या कठिन है और उसको सुलझाने के लिये हमें अपने देश की सारी शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अनेक कारण हैं। हमारे देश की आबादी बढ़ रही है उससे जमीन पर जो भार है वह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। उससे जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उससे अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। इससे हमारे प्रदेश की जो फी एकड़ उत्पत्ति है वह भी अन-ऐकोनामिक होल्डिंग्स के कारण अनएकानामिक प्रोडक्शन की स्थिति पैदा करती है। इतना बड़ा सवाल हमारे सामने है, अब इस सवाल को कैसे हल किया जायगा ? उसका हल केवल नारे लगाने से या हड़ताल करने से नहीं होगा। केवल यह कहने से कि सरकार अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रही है, कोई समस्या हल नहीं हो सकती। उसके लिये तो आवश्यकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

है कि हम अपने देश की सारी शक्ति, सरकार की सारी शक्ति, कांग्रेस की सारी शक्ति, विरोधी पक्षों की सारी शक्ति, जनता की सारी शक्ति का संगठन करें और देश के इस महान संकट के प्रश्न को हल करें।

उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें अनेक सुधार करने की आवश्यकता होगी। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि चकबन्दी का प्रश्न भूमि सुधारों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं चाहता था कि लहरी साहब जो इतना लंबा चौड़ा भाषण कर रहे थे, इतना तो कर्त्तव्य पालन करते, और आशा करता हूं कि वह अपने साथियों से कहेंगे कि वे कम से कम इस सदन में उपस्थित होकर अपने सुझाव इसके विषय में माननीय मंत्री जी और सरकार को दें। यदि वे उपस्थित नहीं होते तो वे अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते।

माननीय लहरी जी ने बहुत से कारण इसको प्रवर समिति में भेजे जाने के बताये। उनके कुछ सुझाव तो ऐसे थे जो कि संशोधन उपस्थित करके पूरे हो सकते हैं, तो वह अपना संशोधन उपस्थित कर सकते हैं और उस पर सारा सदन विचार कर सकता है। तो जहां तक मैंने इस विधेयक का थोड़ा सा विश्लेषण किया, मुझे चार पांच बातें आधारभूत इस संशोधन विधेयक की मालूम हुईं और उनमें से एक तो यह थी कि स्वेच्छा से जो गांव अपनी चकबन्दी कर ले तो सरकार उसको स्वीकार कर ले और उसके अनुरूप कागजों में उसकी एंट्री हो जाय। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मेरा खयाल तो यह है कि जो लोग यह कहते हैं कि खाद्य की समस्या का हल निकालना है, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि इस देश ने जिसने जनतंत्र की भावना को और जनतंत्र की संस्थाओं की स्थापना को जिस तेजी के साथ पकड़ा, जब मैं दूसरी हलचलों को देखता हूं तो मेरा खयाल यह होता है और कभी-कभी मुझे यह भावना पैदा होती है कि हमको जिस तरह से जनतंत्र के मार्ग पर तेजी के साथ जाना चाहिये था उससे हम पीछे हट रहे हैं। श्रीमन्, जब कि विरोधी पक्ष यहां नहीं है तो मैं कोई विशेष बात उसके सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह मैं अवश्य चाहता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य फीरोजाबाद बोल रहे थे, अगर वह होते तो मैं उनसे अवश्य कहता, जो भी सज्जन हैं, वे उन तक मेरा सन्देशा पहुंचा दें कि आज हमारे देश की बड़ी गहन समस्या है, उन सब पर हमको बैठ कर गम्भीरता से सोचना है और उनको यह भी खयाल करना चाहिये कि डेमोक्रेसी इस देश में असफल हो जायगी यदि यह समझा जाय कि विरोधी पक्ष का कार्य केवल विरोध करना है। उनका यह कार्य नहीं है।

मैं जानता हूं कि बहुत से लोग गांवों में निरी अशिक्षित जनता में जाकर अनेक अनेक कारणों से ऐसी भावनायें पैदा करते हैं जिससे उनको मालूम होता है कि यह सब सुधार के लिये है। मेरा खयाल है कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। विरोधी पक्ष भी मानता है कि चकबन्दी एक आवश्यक सुधार है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। आज जब भ्रष्टाचार की बात कही जाती है तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं सबसे बड़ा क्रीटिक हूं इस बात का कि इस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को दूर करना हमारा पहला कर्त्तव्य है। लेकिन बहुत सी बातें इस चकबन्दी में हैं और यदि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता सहयोग से काम करें और यह संशोधन पेश हो कि स्वेच्छा से यदि कोई गांव सर्वसम्मति से अपने चक बना ले तो उसे गवर्नमेंट मंजूर कर ले, मैं समझता हूं कि यदि यह हो जाय तो यह किसानों के लिये उपयोगी होगा और विरोधी पक्ष के लिये भी उपयोगी होगा और वे यह कह सकते हैं कि देखो जितने पैसे में और जितनी देरी में सरकार यह काम करती उसको हम लोगों ने स्वेच्छा से चकबन्दी करा कर इतना पैसा बचा लिया और इतनी जल्दी हमने यह काम कर दिया।

माननीय मंत्री जी से एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि आपने यह प्रोविजन तो बहुत अच्छा किया है और मैं इसका स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन मेरा खयाल यह है कि इसका ज्यादा उपयोग हो नहीं सकेगा। कुछ गांवों में सम्भव है कि हो जाय लेकिन अधिक

उपयोग इसका हो स्वेच्छा से, वालंटरीली गांव के लोग बैठकर अपनी चकबन्दी कर दें इसके लिये थोड़े से सुधार की आवश्यकता और है इस क्लाज में और वह यह है कि आप जानते हैं कि हर एक गांव में दो चार आदमी ऐसे होते हैं जो किसी भी अच्छे काम को चलने नहीं देते। गांव में कोई भी आवश्यक सुधार हो उनका काम विरोध करना है। तो ऐसेलोगों के लिये कोई एक प्राविजन कर दें आप। आप यह कर दें कि ९५ फीसदी लोग कम से कम अगर एक मत हो कर के एक योजना रखें तो यह योजना उन डिसीडेंट्स जो उसे स्वीकार नहीं करते उनकी विचारधारा सुनने के बाद, उनके एतराजात को सुनने के बाद और उसमें जो थोड़े बहुत संशोधन करने हों उन एतराजात के अनुकूल उस को करने के बाद, वह योजना आप स्वीकार कर लें और उस योजना को स्वीकार करने के बाद भी वह दो या चार व्यक्ति ज़ो हैं गांव में उनको फिर भी अधिकार यह रहेगा कि उसके विरुद्ध अगर वह अपने प्वाइंट को चाहें तो अपील और रिवीजन का जो प्राविजन है उसके अनुसार वह उसमें संशोधन करा सकते हैं। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यदि यह किया जाय और फिर हमारे विभिन्न दलों के लोग और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता इस बात का प्रयत्न करें कि गांवों में स्वेच्छा से, वालंटरी रूप से, चकबन्दी हो जाय तो मेरा खयाल यह है कि सम्भव है कि सरकार की उससे बहुत सी परेशानियां, लिटीगेशन, झगड़े वगैरह कुछ कम हो जायं और सरकार का काम कुछ कम हो जाय।

एक बात की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं और वह है देर, जो इसमें होती है। आप जानते हैं, जिस गांव में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ होता है स्वतः मेरा खयाल यह है कि वहां कुछ उत्पादन जरूर गिरता होगा क्योंकि लोगों में यह निश्चय नहीं रहता कि कौन सा खेत हमारे पास रहेगा और कौन से खेत दूसरे के पास जायेंगे। इसलिये ज्यादा सुधार और और जो आवश्यक बातें वह कर सकते हैं, उसमें ढीले पड़ जाते हैं। तो उससे उत्पादन में जरूर कमी आती होगी। तो यह डिले जो है यह उत्पादन के लिये बड़ी डेट्रिमेंटल और नुकसानदायक हो सकती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके विधेयक का एक यह भी लक्ष्य है कि उसको सरल किया जाय, सिम्प्लीफाई किया जाय, उसमें जो आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता के प्रतिबन्ध थे जिसमें बहुत समय लगता था, उनको निकालने का उन्होंने प्रयत्न किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही मैं इस ओर और उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमको और उनको यह सोचना है कि जो देर लगती है चकबन्दी में उसको जितना भी कम हो सके किया जाय।

(इस समय ४ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब कुछ बातें और रहीं। माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य ने पंजाब की बात कही और कहा कि जो पंजाब का कानून था उसको न अख्तियार कर के एक खिचड़ी कानून बनाये हुए हैं। तो पंजाब की परिस्थितियां क्या हैं, पंजाब में भूमि के उतने न तो वर्ग हैं, न उतनी समस्याएं हैं जितनी कि हमारे प्रदेश में हैं। तो पंजाब का कानून हमारे यहां ज्यों का त्यों नहीं लागू हो सकता। लेकिन हां, एक बात यह है कि हम उनके अनुभवों से भी पूरा फायदा उठा सकते हैं और हमको उठाना चाहिये। तो मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने उनके अनुभव के आधार पर जो थोड़ा सा इसमें संशोधन किया है, जो उन्होंने सेटिलमेंट रेट्स के आधार पर नहीं बल्कि स्थिति और सिंचाई के साधन और उत्पादकता, इन सब विचारों को लेकर जो किया है तो मैं समझता हूं कि उससे भी इस अधिनियम में सुधार होगा।

और भी कुछ बातें हैं, जैसी कुछ जमीनें छोड़ दी गई हैं, चमेली, गुलाब, आदि के लिये, तो हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि साहब यह तो छोड़ दिया गया लेकिन और चीजें क्यों नहीं छोड़ी गयीं, उसमें कैश क्राप्स बहुत सी हो सकती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि मेरा खयाल यह है कि यदि उन्होंने मंत्री जी के वक्तव्य को सुना होता तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो और कैश क्राप्स हैं वह ऐसी नहीं हैं जो कि किसी विशिष्ट भूमि पर ही हो सकती हों, जैसे चमेली, गुलाब, पान आदि। तो उसके लिये वह बात तो लागू होना आवश्यक है। लेकिन वेजीटेबिल और दूसरी कैश क्राप्स के लिये वह आवश्यक नहीं है और कैश क्राप्स में जो टुकड़े-टुकड़े लोगों को

[श्री देवकीनन्दन विभव]

जमीन बंटी हुई है वह भी अगर एक जगह करा कर चक बने तो मेरा खयाल है कि चकबन्दी अगर लाभ की चीज है तो उन लोगों को भी उसका उपयोग मिलना चाहिये। मैं माननीय लहरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी विरोध पक्ष के सज्जनों को समझावें कि इस संशोधन से लाभ होने वाला है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है, और आपका कर्त्तव्य यह है कि सदन म चलें और जो आपके विचार हों उनको प्रदर्शित करें क्योंकि यह काम चकबन्दी का ऐसा है कि इसके द्वारा खाद्य समस्या हल करने में कोई मतभेद नहीं है, इससे अवश्य उस समस्या का हल निकल सकता है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जौनपुर जिले के ऐसे क्षेत्र से आया हूं, शाहगंज से, जहाँ पर चकबन्दी हो रही है। चकबन्दी के विषय में मेरा अनुभव यह है कि यदि आरम्भ में कागजों का शुद्धिकरण ठीक कर दिया जाय, भूमि का जब मूल्यांकन होता है, उसे ठीक कर दिया जाय तो चकबन्दी का बहुत अधिक काम सरल हो जाता है और किसानों को परेशानी नहीं होती है। अब तक नियमों में इन दोनों कामों के लिये जो नियम थे वे इतने अच्छे नहीं थे, उससे किसान को बहुत नुक्सान उठाना पड़ता था। जैसे भूमि का जब सर्वेक्षण करने जाते थे तो बहुत पुराने नक्शे रहते थे और दो चार आदमी गांव के रहते थे; उनके बताने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी नोटिस दे दिया करता था। लेकिन नोटिस देने में कभी कभी ऐसा देखने में आया कि चालाक लोग साथ में रहते थे जो चकबन्दी के छोटे कर्मचारियों से मिल कर के किसानों को नोटिस मौके पर पहुंचने नहीं देते थे और जब अपील का मौका बीत जाता था तब पहुंचने देते थे, या उसी के नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को दे करके नोटिस तामील करा लिया करते थे। तो माननीय मंत्री जी ने जो अब नियम बनाये हैं उसमें चकबन्दी समिति के मेम्बर, प्रत्येक गांव के सभी जनसाधारण और चकबन्दी का सहायक अधिकारी सभी लोग गांव में खेतों पर जायेंगे और गांव के सब लोग इकट्ठा होंगे। यह स्वाभाविक ह कि जब दो चार आदमी होते हैं तो वे अपने स्वार्थ की बातें करा लेते हैं और अपनी स्वार्थ की बातों के कहने में नहीं हिचकते लेकिन जब गांव के सभी लोग इकट्ठा होंगे तो कोई स्वार्थ की या बेईमानी की बातें न कर सकेगा और फिर स्वाभाविक है कि तमाम बातें ईमानदारी की होंगी।

एक चीज और इस विधेयक में है कि जब भूमि का सर्वेक्षण हो जायगा तो गांव के जितने काश्तकार होंगे सब को उसका इंतखाब दिया जायगा और यदि किसी के पास इंतखाब नहीं पहुंचा और उसने किसी कारण से एतराज नहीं किया तो इसमें दिया है कि ऐसे समय में चकबन्दी अधिकारी स्वयं जा कर पता लगायेंगे कि उसने एतराज क्यों नहीं किया। इस तरह से भूमि सर्वेक्षण में इससे बड़ी सुविधा हो जायगी।

दूसरे अब तक भूमि का मूल्यांकन पुराने बन्दोबस्त के कागजात के आधार पर होता था लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन पुराने बंदोबस्त के कागजात का भी खयाल किया जायगा लेकिन साथ ही मौके पर गांव के सब लोग भी जाकर बतायेंगे और मौके पर हर एक खेत पर और गाटे पर सब लोग जायंगे और अनुमान लगायेंगे कि भूमि किस नम्बर की है, मान लिया जायगा कि अच्छी भूमि १६ आना मूल्य की है तो उसी हिसाब से दूसरी भूमि की हैसियत लगाई जायगी कि वह किस नम्बर की है। इस तरह से इस संशोधन द्वारा भी किसानों की बहुत सी दिक्कतें रफा हो जायगी।

मान्यवर, प्रायः किसान चकबन्दी से इसलिये डरते हैं कि हमें कहीं खराब खेत न मिल जायं। इसी कारण से जहां पर चकबन्दी नहीं हो रही है वहां पर उनके हृदय में डर रहता है और लोग कहते हैं कि चकबन्दी से कोई लाभ नहीं है, हमें खराब खेत मिल जायंगे--तो इस संशोधन के द्वारा किसानों का वह भय जाता रहेगा। इसमें माननीय मंत्री जी ने एक और व्यवस्था की है कि इस तरह की जमीन की चकबन्दी न होगी। अब तक तो यह था कि बाग आदि की चकबन्दी न होगी लेकिन अब जमीन जिस पर पानी रहता है, बड़े ऊसर, या पान, चमेली, गुलाब, बेला, केवड़ा आदि के खेतों की भी चकबन्दी न होगी। मैं उस जिले जौनपुर से आता हूं कि जहां

पान, केवड़ा, गुलाब, जूही, बेला और चमेली आदि की खेती काफी मात्रा में होती है। लेकिन माननीय लहरी जी ने ऐसे संशोधन का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब गुलाब, पान, बेला चमेली आदि के क्षेत्र को चकबन्दी से छोड़ा जा रहा है तो फिर तम्बाकू और गन्ने आदि के खेतों को क्यों नहीं छोड़ा जाता है। मैं उनको बता दूं कि पान, चमेली, केवड़ा और गुलाब आदि के क्षेत्र बहुत सीमित होते हैं, वे कहीं कहीं पर होते हैं लेकिन तम्बाकू और गन्ने के खेत बहुत विस्तृत और व्यापक होते हैं और हजारों एकड़ भूमि उसमें शामिल होती है लेकिन गुलाब, केवड़ा, पान, चमेली आदि की खेती सीमित है और कहीं के चन्द किसान ही उसकी खेती भलीभांति कर सकते हैं। एक बात उन्होंने कही कि मैं जौनपुर गया और मैंने वहां देखा कि कोठियां उखाड़कर वहां तम्बाकू की खेती की जाती है।

श्री अध्यक्ष---क्या वहां चमेली के बाग हैं ?

श्री माता प्रसाद---वहां चमेली की खेती होती है। उनका आशय शायद यह रहा कि शहर के पास की जमीन कीमती होती है लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि चकबन्दी शहर की भूमि की नहीं होगी वह देहातों में ही हो रही है जहां पर ज्यादातर दो तीन किस्म की जमीन होती है। शहर के पास की जमीन जहां कि केवड़ा, पान और तम्बाकू होता है या आलू होता है, वह तो चकबन्दी के क्षेत्र में आयेगी नहीं, इसलिये इस प्रश्न को यहां उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। माननीय लहरी जी ने अपने यहां चेत राम नामक किसान का बताया कि १२ एकड़ भूमि में ३०,००० की आय कर लेते हैं। तो यह भूमि की शक्ति जो होगी सो होगी, वास्तव में किसान की शक्ति है। उन्होंने बताया कि अगर उसकी जमीन ले ली जाय तो वह आत्म-हत्या कर लेगा उसी दिन। मेरा खयाल है कि उसने अपने परिश्रम और शक्ति से जब १२ एकड़ खेत को इतना अच्छा बनाया है तो अगर उसकी जमीन ले ली जाय और अगर वह सच्चा किसान है तो फिर अपने परिश्रम से ऐसी खेती तैयार कर सकता है और उतनी ही पैदावार कर सकता है।

एक चीज यह भी है कि संशोधन में सुविधा की गयी है कि यदि किसी ने समय से अपील नहीं की तो उसे ऐसा मौका दिया गया है कि अपील का अवसर बीत जाने पर भी जब चकबन्दी अधिकारी और दूसरे लोग यह समझते हैं कि उसके साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है तो वह उसकी अपील ले सकता है। इससे बहुत बड़ी सुविधा ऐसे अपढ़ और अनजान किसानों को मिली है जो पहले नहीं थी।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से जरूर कहना चाहता हूं कि चकबन्दी कमेटियां जो गांवों में संगठित होती हैं उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होगा। वैसे तो खेतों की ही चकबन्दी होगी लेकिन वहां पर किसानों के साथ भूमिहीन, और हरिजन भी हैं, उन पर भी असर पड़ेगा क्योंकि रास्ते के लिये जमीन छोड़ी जायगी, आबादी के लिये जमीन छोड़ी जायगी और दूसरे कार्यों के लिए छोड़ी जायगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम चकबन्दी कमेटी में एक हरिजन या भूमिहीन रहना चाहिए ताकि उनके लिये भी सही प्रतिनिधित्व मिल जाय। इसमें हरिजनों के लिए और भूमहीनों के लिये एक बहुत बड़ी व्यवस्था यह कर दी गयी है कि जिन्हें आबादी की भूमि नहीं रहेगी उन्हें आबादी की जमीन छोड़ी जायगी। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी था। चकबन्दी आज हो रही है और चकबन्दी के बाद हमारी आबादी प्रति वर्ष बड़े जोरों के साथ बढ़ रही है और गांवों में और वह भी ज्यादातर अशिक्षित और हरिजनों में जो ज्यादातर अपढ़ और दरिद्र हैं उनमें आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिये इस समय जब कि चकबन्दी हो रही है, खेतों में, हम उनकी आबादी की व्यवस्था नहीं करते तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती। दो चार साल में फिर उन्हें कहीं घर बनाने के लिये जगह नहीं मिल सकेगी। आज भी जगह नहीं है। उनके बिलकुल घर के आगे या पीछे लोगों के खेत हैं और चक बन रहे हैं। ऐसी दशा में उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जायगा। दो साल बाद तो रहने, उठने और बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो जहां यह व्यवस्था की गयी है कि आबादी के

[श्री माता प्रसाद]

लिए भूमि छोड़ दी जाय, उसके लिये तो वह प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसकी व्यवस्था ग्राम समाज को दे दी है। भूमि प्रबन्धक समितियों के सम्बन्ध में मुझे शंका है कि वास्तव में वे अपने इस कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। बात यह है कि गांवों में जमीन होते हुए भी हरिजनों को वह प्रबन्धक समितियां जमीन नहीं देती हैं।

एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक कार्यों के लिये जो जमीन छोड़ी जाय उसमें हरिजनों के लिये एक और विशेष बात होती है जिसमें उन्हें जमीन की जरूरत होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन एक ऐसा वर्ग है जिसकी गिनती हिंदुओं में है। यह समझा जाता है कि सभी अपनी लाश को जलाते हैं लेकिन हरिजनों में बहुत से शिव-नारायण या कबीर पंथी या अन्य पंथी ऐसे भी हैं जो लाश को जलाते नहीं, बल्कि गाड़ते हैं। इस-लिये ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिये कि उनके कबरिस्तान के लिये जमीन छोड़ी जाय। इसी तरह से बहुत से हरिजन ऐसे होते हैं जो जानवर मरन के बाद उसका चमड़ा दूसरे के खेतों में ले जा कर निकालते हैं। दूसरे किसान उनको मारते पीटते हैं। उनके लिये भी कुछ जमीन सुरक्षित कर दी जाय।

शाहगंज तहसील में मैंने देखा कि चक बहुत टेढ़े मेढ़े हो गये हैं और कहीं कहीं तो एक एक काश्तकार को १८, १८ और २०, २० कोने के चक मिले हैं और ८, ८ व ९, ९ चक मिले हैं। इस संशोधन के द्वारा ऐसी कुछ व्यवस्था की गयी है कि चक चौकोर होंगे।

लहरी जी ने कहा कि उनकी समझ में नहीं आया कि छोटे काश्तकार को यथासंभव कम चक दिये जायंगे, इसके क्या मतलब हुए। इसका यह मतलब है कि छोटे काश्तकार के पास ३ या ४ किस्म की जमीन है तो उस चकबन्दी नियम के मुताबिक उसको ३, ४ छोटे-छोटे चक मिलेंगे। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि उसे थोड़ी दूर पर एक या दो ही चक दिये जायं।

पहले एक नियम यह था कि यथासंभव छोटे काश्तकारों को उनके घर के पास जमीन दी जाय लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण माननीय मंत्री ने इस प्राविजन को इसमें से निकाल दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रेक्टिकल अनुभव है कि छोटे-छोटे काश्तकार जिनके पास ४, ६ या १० बिस्वा जमीन होती है उनके दरवाजे पर अगर दूसरे लोगों को चक मिल जाते हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है और बहुत दब कर रहना पड़ता है। उनके बाल-बच्चे उनके चकों में उठते बैठते हैं, उनके पशु निकल कर उनके खेत खा जाते हैं इस कारण उनको गुलाम बन कर और दब कर रहना पड़ता है। इसलिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जो छोटे छोटे काश्तकार हों उनको चक उनके घर के आगे ही दिये जायं, इससे उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा।

माननीय मंत्री जी ने जो अपील का दोबारा, तिबारा मौका दिया है इससे भी काश्तकारों को बहुत रिलीफ मिल जायगी। शाहगंज तहसील में एक गांव है बदल पट्टी और वहां पर एक हरिजन है राम कुबेर.....

श्री अध्यक्ष--आप किसी का नाम न लीजिये। यह कह सकते हैं कि कोई था।

श्री माता प्रसाद--उसका मकान बना हुआ है। पुख्ता कुआं है लेकिन कुछ चकबन्दी अधिकारियों या छोटे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वह खेत व कुआं एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील को दे दिया गया और बाद में जब उसने अपील की तो यह जवाब मिला कि अब मियाद खत्म हो चुकी है, लिहाजा कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें चूंकि यह व्यवस्था रख दी गयी है उससे जो त्रुटियां इस प्रकार की रह जायंगी वे भलीभांति दूर की जा सकेंगी। इससे काश्तकारों का बहुत भला होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र शाहगंज तहसील की चकबन्दी के सिलसिले में भी कुछ कह देना चाहता हूं। चकबन्दी वहां ३, ४ साल से हो रही है। १५० गांवों में वहां चकबन्दी हो चुकी है लेकिन शुरू में चकबन्दी की हालत वहां बहुत खराब थी और बहुत काफी किसान

परेशान थे और उसका कारण यह था जैसा कि मैंने बताया कि भूमि का मूल्यांकन और शुद्धिकरण का तरीका बहुत खराब था। इससे किसानों में असंतोष रहता है और किसान परेशान दिखाई पड़ते हैं। मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को लाभ हो। छोटे-छोटे कर्मचारी जैसे अमीन और कानूनगोओं से अगर किसान फार्म २० के बंटने पर पूंछते हैं कि हमारा खेत कहां है तो उन्हें ऐसी जगह पर बतला देते थे जिसको वह पसन्द करते थे। इसलिये छोटे-छोटे किसान और हरिजन शान्त रहते थे। लेकिन जब मौका निकल गया और अपील का अवसर न रहा और मौके पर जब चक काटे जाने लगे तो उनको परेशानी हुई और उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। अब इस सुविधा से ऐसी गल्ती नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि ए० सी० ओज० को जो यह मौका दिया गया कि वह मौके पर देख कर कि जो शिकमी है, जिनके संबंध में उन्हें विश्वास हो जाय तो वह उनका नाम चढ़ा सकते हैं तो इसमें बहुत काफी गलती की गयी है और ए० सी० ओज० से मिल कर प्रभावशाली लोगों ने उनका नाम कटवाकर अपना नाम लगवा लिया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सी भूमि भूदान समिति द्वारा लोगों को मिली हुई है। कई साल हो गये लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है और वह चकबन्दी में नहीं ली जा रही है। इसलिये मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी भूमि को भी चकबन्दी में लिये जाने की व्यवस्था की जाय। जैसा कि विभव जी ने कहा है कि जिस जिले में चकबन्दी हो रही है, उस जिले की ऐसी तहसील में जहां चकबन्दी नहीं हो रही है, वहां के लोग यदि मिलकर चकबन्दी कर लें और वहां के अधिकारियों को संतोष हो जाय तो उसको भी मान्यता दे दी जाय और उसके कागजात शुद्ध कर दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और जो लोग अधिकारियों से नाराज होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वह खुद मिलकर चकबन्दी करें। मैं मन्त्री जी को यह सुझाव देता हूं कि ऐसे गांव जो स्वयं चकबन्दी कर लें, जहां वह चकबन्दी का क्षेत्र है या दूसरी तहसील है तो गांवों को सामूहिक तौर पर पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाय जिससे उनको देखकर दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिले कि वह चकबन्दी का काम खुद करें इससे सरकार का खर्चा बच जायगा और गांवों में जो दुश्मनी वगैरह होती है वह भी खत्म हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह होती है कि जहां चकबन्दी का नम्बर आता है वहां पर अधिकारी प्रभावशाली लोगों से मिलकर दो पार्टियां बना देते हैं और उनके चक ठीक कर देते हैं और दूसरे लोगों के खराब कर देते हैं इस संशोधन से अधिकारियों को मौका नहीं रहेगा कि वह उनके चक खराब किया करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें यह नियम रखा गया है कि चकबन्दी कमेटियां यदि अपना कार्य ठीक से नहीं करेंगी तो वह गजेट में प्रकाशित होने पर समाप्त कर दी जायंगी। इसमें मैं यह चाहता हूं कि हो सकता है कि किसी गांव के कर्मचारी उन चकबन्दी के मेम्बरों से नाराज हो कर या और किसी कारण से रिपोर्ट आगे बढ़ा दें और चकबन्दी कमेटी खत्म कर दी जाय। मेरा सुझाव यह है कि चकबन्दी कमेटी समाप्त करने से पूर्व डिप्टी संचालक जरूर कोई नोटिस चकबन्दी मेम्बरों को दें कि वे आ कर अपना स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने उचित किया या अनुचित किया। इस तरह का उन्हें मौका रहना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज और है।

श्री अध्यक्ष--सिद्धांतों पर ही कायम रहिये।

श्री माताप्रसाद--इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि भूमि का वर्गीकरण करने के लिये गांव पर आयेंगे और उसमें सिंचाई की हालत देखेंगे, मिट्टी देखेंगे और सभी लोगों से राय लेंगे। यह वर्गीकरण का ढंग बहुत अच्छा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ में श्री लालबहादुर सिंह जी और लहरी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है कि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जाय मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में उद्देश्य और कारण देखने से यह पता चलता है कि पिछले विधेयक में बहुत सी खामियां ऐसी रह गयी थीं, उन्हीं को दूर करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। जब हम मूलरूप से देखते हैं तो १९५३ में यह विधेयक बना था। उसके बाद ५ साल हुए। ५ सालों में अगले संशोधन पर विचार किया जाय तो यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि हर वर्ष एक न एक संशोधन इसमें अवश्य उपस्थित किया गया है। एक साल पूर्व भी इसमें संशोधन उपस्थित किया गया था और बड़ी चर्चा हुई थी। बहुत सी खामियां बतायी गयी थीं। कुछ सुधार हुए थे और कुछ रह गये थे। इस समय भी अगर इस प्रस्तुत विधेयक पर यह कहा जाय कि इस पर पूर्ण रूप से विचार न किया जाय और यों ही पारित कर दिया जाय तो यह एक प्रकार से ठीक नहीं होगा। इसमें त्रुटियां रह जायंगी और जैसा कि हर माननीय सदस्य जिन्होंने इस पर विचार किया है वह कुछ न कुछ संशोधन अवश्य उपस्थित करने के लिये तैयार हुए हैं। वास्तव में यह देखा जाय कि उद्देश्य और कारणों में माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वयं मंजूर किया है और यह कहा भी है कि कुछ इसमें सुधार हुए हैं। इसमें भी यह है कि इन तमाम ऐसी छोटी-छोटी कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। छोटी-छोटी तमाम कठिनाइयां, जो हो सकती हैं, उनमें सुधार हुआ है ये उनके अपने विचार हो सकते हैं लेकिन जनहित में सभी इसमें वे बातें हो सकती हैं यह कहने की शायद वह सामर्थ्य नहीं रखते क्योंकि जनहित की सभी बातें, जिनका सम्पर्क जनता से रहता है, वह हर एक सदस्य अपना अपना दृष्टिकोण रख सकता है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ सितम्बर, १९५८।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२९ पर)

नाम थाना	हत्यायें		डकैती		बलवे	
	१९५७	१९५८ जुलाई तक	१९५७	१९५८ जुलाई तक	१९५७	१९५८ जुलाई तक
ढेवरूवा ..	..	..	..	..	..	३	१
इटवा ..	..	१	१	..	..	..	२
त्रिलोकपुर ..	..	३	..	१	..	..	२

अध्यक्ष प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३२ पर।)

टोंस के किनारे पूर्णतया ऊंचे ग्रामों की सूची

संख्या	ग्रामों के नाम	संख्या	ग्रामों के नाम
१	मुस्तफाबाद	३४	इटौरा
२	जोगापुर	३५	सिहोरेदार
३	सराय भारती	३६	खालिसपुर
४	अमघाट	३७	मखना
५	सखुआपुर	३८	मझवा
६	सवंरपुर	३९	पिनदहरी
७	पीपरसाथ	४०	गोबरिया
८	नगवा	४१	मुस्तफाबाद
९	बीबीपुर	४२	परधानपुर
१०	दुल्लापाह	४३	लखवा
११	चांदपुर	४४	सुल्तानपुर
१२	सतनापुर	४५	बाजजालपुर
१३	अतरसुआ	४६	नागपुरा
१४	धनईपुर	४७	बलवा
१५	लासरा	४८	पुरसुपुर
१६	सिलहाता	४९	कथारिया
१७	चिरकुटहा	५०	करोन
१८	चमरही चाक	५१	इटाही
१९	पियारिया	५२	रामपुर
२०	चित बरागांव	५३	शाबुद्दीनपुर
२१	धर्मपुर	५४	लदुपुर
२२	एकौनी	५५	बनकटवा
२३	जगदीशपुर	५६	बहोदीनपुर
२४	टीखा	५७	बसन्तपुर
२५	कोपवा	५८	चौरा
२६	टिकारी	५९	बदोरा
२७	बेरीगढ़	६०	कैंथोली
२८	अहीरोली	६१	फिरोजपुर
२९	उपाधियापुर	६२	सलेमपुर
३०	मजूदपुर	६३	नासिरपुर
३१	नगवा	६४	टेंचा
३२	अउघीं	६५	रेनचा
३३	कुन्दराहा	६६	परसादपुर

सिंचाई मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

घाघरा के किनारे पूर्णतया ऊंचे किये गये ग्रामों की सूची

सं०	ग्रामों के नाम	सं०	ग्रामों के नाम
१	महुतार (चैनपुर गुन्नौरा)	३४	अलासगढ़
२	खैरिया दियारा	३५	बिक्रमपुर दियारा
३	सोनपुर	३६	दताहा
४	गायघाट	३७	झरकटहा
५	दरौंधा	३८	शिवपुर
६	लटरहा	३९	सोंनपुरवा
७	पुरषोत्तम पट्टी	४०	कुशाह
८	जिनापुर	४१	बहादुरा
९	हरनातार	४२	नौका गांव
१०	नदुआ	४३	चांद दियारा
११	मलदाह	४४	मंझा
१२	कुन्दडीह	४५	जजीरा
१३	बिजलीपुर	४६	बंधवान
१४	लिलकर	४७	फतेहपुर दियारा
१५	दियारा दरौली	४८	चीत बिसांव
१६	सिसोतार टोला	४९	महाराजपुर
१७	जमई	५०	देवपुर मठिया
१८	मोहम्मदपुर	५१	दियारा घोरा छपरा
१९	लक्ष्मीपुर	५२	पिलई
२०	नरहनी	५३	कमालपुर
२१	मझोलिया	५४	रामपुर मगरिब
२२	ढोरीडीह	५५	अलख दियारी (अस्मानपुर)
२३	भिम्बर	५६	जनापा
२४	दुबौली	५७	बन्धु का टोला
२५	बाल बघर	५८	चक्की दियारा (सुल्तानपुर)
२६	तिवारीपुर	५९	रामपुर नौबरार
२७	नारायनपुर	६०	मरवतिया
२८	दियारा महाजी (काशीदत्त)	६१	रामपुर नम्बारी
२९	दियारा हरनाता	६२	पटखौली
३०	रतसरह	६३	सारंगपुर
३१	मनियर	६४	दियारा आदमपुर
३२	महाजी गुदौली	६५	सुपारह
३३	धनौटी	६६	बकुलाह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्रामों के नाम जो रिंग बांध द्वारा बचाये गये हैं

संख्या	गांव का नाम	संख्या	गांव का नाम
६७	मझोलिया	८०	ताजपुर
६८	करीमगंज	८१	खादीपुर
६९	बिलथरा बाजार	८२	सुल्तानपुर
७०	सोनबरसा	८३	ताहिरपुर
७१	मठिया	८४	दुहा बेहरा
७२	हल्दीरामपुर	८५	कथौडा
७३	नरला	८६	पुरा
७४	मानिकपुर पिन्दारो	८७	बिसारिकपुर
७५	किश्नोपुर	८८	गोशालपुर
७६	बिजलीपुर	८९	पथरा
७७	गोपालपुर	९०	आदमपुर
७८	कोटवा	९१	असना
७९	मंडियारी		

अवर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३३ पर)

जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील में ऊंचे किये गये ग्रामों की सूची तथा उन पर हुआ व्यय

क्रम-संख्या	गांव का नाम				व्यय किया गया धन	विवरण
१	बाला मठ	..	..	..	२,०७३	प्रगति पर।
२	सेमराहा	..	..	..		
३	केवताली	..	..	..	८,९२५	,,
४	बरवां	..	..	..	३,६६३	,,
५	तुरकौली	..	..	..	६,१७७	पूर्ण हो गया।
६	तेलाहुअन	..	..	..	३,४७९	प्रगति पर।
७	बेररा	..	..	..		
८	मनदहा	..	..	..	४,९११	पूर्ण हो गया।
९	हिसमुद्दीनपुर	..	..	..	९,१८९	,,
१०	गोथवा	..	..	..	४,६६३	प्रगति पर।
११	मोलनापुर	..	..	..	४,७९१	,,
१२	जनौर	..	..	..	१,१६७	,,
१३	करछुली	..	..	..	६,५००	,,
१४	जीरिकपुर	..	..	..	२,२०५	,,
१५	घनौरा	..	..	..		
१६	बेसर	..	..	..	३७५	,,
१७	पोखारा	..	..	..	१०,६०१	पूर्ण हो गया।
१८	बखुपुर	..	..	..	५,१७८	प्रगति पर
१९	हरापुर	..	..	..		
२०	कटोरा	..	..	..	१,०५१	,,
२१	फतेहना	..	..	..	२,२९९	,,
२२	बौराय	..	..	..	३,०४८	,,
२३	असरूपुर	..	..	..	१,२८६	,,
२४	सकरा	..	..	..	४,०५६	,,
२५	कथार	..	..	..	६,३१७	,,
२६	रामपुर	..	..	..	३,४१७	,,
२७	नरसवपुर	..	..	..	३,५९५	पूर्ण हो गया।
२८	कनवी	..	..	..	७,७३५	प्रगति पर।
२९	सजय कलां	..	..	..	४,८६६	प्रगति पर।
३०	सजय खुर्द					
३१	देवकीपुर	..	..	..	९,१८७	पूर्ण हो गया।
३२	ऊंचडीह					प्रगति पर।
३३	अदारी	..	..	..	१,३२९	पूर्ण हो गया।
३४	डोवपुर	..	..	..	१,१९४	प्रगति पर।

सिंचाई मन्त्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३६ पर)

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ पर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट

हम, संयुक्त प्रवर समिति के निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सदस्यों को कुमायूं जमींदारी बिनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७, विचारार्थ निर्दिष्ट किया गया था। हमने अपनी बिभिन्न बैठकों में इस विधेयक पर विचार कर लिया है और अब हम संलग्न विधेयक के साथ, जिस रूप में हमने इसे संशोधित किया है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

२—समिति की बैठकें विधान भवन, लखनऊ में राजस्व तथा वित्त मन्त्री श्री चरणसिंह के सभापतित्व में ५ तथा २० मई और १४, १५, १७, १८ और २० सितम्बर, १९५८ को हुईं :

यह निर्णय किया गया कि इस विधयक के बारे में कुमायूं डिवीजन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संस्थाओं की राय प्राप्त की जाय और इस निर्णय के अनुसार अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं को जिनके नाम समिति के सदस्यों ने प्रस्तावित किये थे, एक प्रश्नावली जारी की गई। प्रश्नावली के उत्तर में २५० से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं के मत प्राप्त हुये। इन मतों के प्रकाश में तथा विधेयक की परिधि के अन्दर आने वाले भूमि क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सेटिलमेंट कमिश्नर द्वारा प्रदत्त अद्यतन आंकड़ों की सूचना के प्रकाश में समिति ने विधेयक के उपबन्धों की सम्यक् रूप से परीक्षा की। समिति की कार्यवाही तथा विधेयक पर खण्डशः विचार के फलस्वरूप इस विधेयक में कुछ संशोधनों का समावेश कर दिया गया है जिनमें से महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित हैं—

(१) खण्ड २ को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है ताकि सरकार इस अधिनियम को अपवादों और अनुकूलनों के साथ उन नागरिक क्षेत्रों में लागू कर सके जिनकी परिभाषा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १५ में दी गई है, तथा नैनीताल जिले की तराई भाबर तहसील में भाबर के उन ग्रामों में से किसी में भी लागू कर सके जहां पर जमींदारी की व्यवस्था है।

(२) शब्द 'हिस्सेदार' की परिभाषा में इस प्रकार का सुधार कर दिया गया है जिससे टेहरी के महाराजा भी, उस भूमि के विषय में जो टेहरी-गढ़वाल के विलय के दिनांक पर उनके अधिकार में खुदकाश्त के रूप में थी, विधेयक की परिधि के अन्दर आ जावें तथा टेहरी-गढ़वाल के सकलाना माफीदार, पद्यारगांव (टेहरी-गढ़वाल) के माफीदार, टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार और हलबन्दी माफीदार, सैनिक उपनिवेश आस्थानों के जागीरदार तथा अल्मोड़ा जिले के दूनागिरी उपनिवेश क्षेत्र वाले भूमि के बंटनी भी उसकी परिधि के अन्दर आ जावें।

(३) खंड ५ को ऐसा उपबन्ध करने के लिये संशोधित कर दिया गया है, जिससे खायकरी या गैर खायकरी भूमि की मालगुजारी सम्बन्धी माफियों से भिन्न गूंठ या सदावर्त माफ़ियां समाप्त हो जायंगी—

इस खंड में यह भी उपबन्ध कर दिया गया है कि जहां पर कोई भूमि नियत दिनांक के तुरन्त पूर्व किसी ठेकेदार की व्यक्तिगत जोत में थी वह नियत दिनांक से उसका सीरतान बन जायेगा।

(४) विधेयक का खंड ८ इस बात का उपबन्ध करने के लिये संशोधित कर दिया गया कि कोई भी हिस्सेदार गांव संजायत भूमि के, उस भाग का भूमिधर बन जायगा जो उसमें उसके हिस्से से अधिक न हो और जो १३६४ फसली में उसकी व्यक्तिगत जोत अथवा बागभूमि रही हो।

नया खंड ८—क जोड़कर यह उपबन्ध कर दिया गया है कि गांव संजायत का वह भाग खाली भूमि समझा जायगा जो कि हिस्सेदार के पास नियत दिनांक पर उस भूमि से अधिक हो जिसका वह धारा ८ के खंड (ख) के अन्तर्गत भूमिधर बन गया है अथवा

जिसका वह धारा ७ के अन्तर्गत अधिकारी हो, और हिस्सेदार निर्धारित रीति से उस भूमि से बेदखल किया जा सकेगा।

(५) खंड ९ को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया कि उस व्यक्ति को असामी का अधिकार मिल जाय जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अन्तर्गत पिछले अभिलेख पुनरीक्षण में किसी हिस्सेदार अथवा खायकर के अधिकार में भूमि होने के कारण असामी अभिलिखित था।

नया खंड ४४-क जोड़ दिया गया है ताकि ऐसा असामी यदि निरधिकार कर दिया गया हो तो वह निर्धारित दिनांक से १८ महीने के अन्दर भूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सके।

(६) खंड १७ में यह उपबन्ध जोड़कर एक बड़े दोष को दूर कर दिया गया कि खायकरी भूमि से हिस्सेदार को होने वाली वार्षिक लगानी आमदनी में हिस्सेदार के गांव संजायत में भाग का लगानी मूल्य भी सम्मिलित होगा, जिसका हिस्सा गांव के खायकर द्वारा देय लगान का ध्यान रखते हुये लगाया जायगा।

(७) खंड १८, २७ तथा ३५ संशोधित कर दिये गये हैं तथा नये खंड ३४-क और ३५-क जोड़ दिये गये हैं ताकि भूमिधरी भूमि तथा खायकरी भूमि की अभ्याप्ति के लिए प्रतिकर के भुगतान के विषय में मैदानी क्षेत्रों से समता प्राप्त हो सके। अब जो प्रतिकर खायकरी भूमि के लिये लिया जायगा वह उस रकम से तीस गुना होगा जो वार्षिक लगानी आमदनी से अपनी खायकरी भूमि के बारे में हिस्सेदार द्वारा देय मालगुजारी को घटाकर बचता है। अब असामी अपने भूमिधर को, यदि वह सहमत हो, अपने द्वारा देय लगान का २५ गुना देकर भूमिधरी अधिकार खरीद सकेगा। जब नियत दिनांक से १ वर्ष बाद, सीरतान के अधिकार की भूमि से सम्बद्ध भूमिधरी अधिकारों को अनिवार्य रूप से हस्तगत कर ले, तो भूमिधर को असामी द्वारा उसे देय लगान का तीस गुना मिलेगा।

(८) खंड २५ को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया कि भूमि को वापस लेने के उपबन्ध और अधिक समतापूर्ण तथा न्यायपूर्ण हो जायं।

(९) खंड ४१ को यह उपबन्ध करने के लिये संशोधित कर दिया गया कि सीरदारी-अधिकार उस भूमि में उत्पन्न न होंगे जो सार्वजनिक उद्देश्य अथवा सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिये अधिकृत तथा अध्यासित हों और राज्य सरकार ने उसे ऐसक भूमि घोषित किया हो अथवा सार्वजनिक उद्देश्य के लिये भूमि अध्याप्ति विषय किसी विधि के अन्तर्गत अध्याप्त कर लिया हो।

(१०) नया खंड ४९-क जोड़ दिया गया है ताकि सरकार के पास यह शक्ति हो कि वर्तमान विधि से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण में कठिनाई निवारण सम्बन्धी आदेश जारी कर सके।

३—हमने महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये हैं अतः हम गजट में इसका पुनःप्रकाशन आवश्यक समझते हैं।

चरण सिंह	रामप्रसाद नौटियाल
हरदयाल सिंह	लक्ष्मणदत्त भट्ट
नरेन्द्रसिंह विष्ट*	बन्शीधर शुक्ल
चन्द्रसिंह रावत	हरिदत्त काण्डपाल
बलदेवसिंह आर्य	रामजीलाल सहायक
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार	कृष्णचन्द्र जोशी
खुशीराम	प्रतापचन्द्र आजाद
कन्हैयालाल गुप्त	रामनन्दन सिंह
	रामलखन मिश्र

*विमति टिप्पणी के अधीन, जो कि संलग्न है।

विमति टिप्पणी

प्रस्तावित शीर्षक में से "जमींदारी विनाश" शब्द हटा दिये जायं और उसका नाम केवल "कुमायूं भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७" रहना चाहिये क्योंकि कुमायूं में रैयतवाड़ी पद्धति विद्यमान है न कि जमींदारी। इसलिये उपरोक्त शीर्षक भ्रमोत्पादक है।

मैं इस समस्त विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के संशोधनों सहित कुमायूं में लागू करने के अनुपयुक्त समझता हूं क्योंकि इससे वहां की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा प्रस्तुत विधेयक से मौलिक मतभेद है।

मेरे विचार से इसकी धाराओं के अन्तर्गत जो दो प्रकार के (खायकर व सीरतान) मुख्य काश्तकार होते हैं उनके द्वारा उचित मुआविजा देने के पश्चात् उन्हें हिस्सेदार बनना चाहिए और हिस्सेदारी प्रथा पूर्ववत् बनी रहनी चाहिए। खायकरों की सूची तो कागजातों में बनी हुई है और सीरतानों की भी कुछ जिलों में बनी हुई है, जहां पर नहीं है, वहां के लिये सीरतान की परिभाषा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है—

"सीरतान" वह काश्तकार होगा जो कि वर्तमान बन्दोबस्ती कागजातों में दर्ज है और जो इस विधेयक के लागू होने से ५ वर्ष पूर्व से निरन्तर उस हैसियत से उस भूमि पर काबिज है और काश्त करता आया है।

इस प्रकार खायकर और सीरतानों को हिस्सेदार बना देने के बाद कोई मध्यवर्ती नहीं रहेगा और हिस्सेदार का सीधा सम्बन्ध सरकार से हो जावेगा। ऐसा हो जाने पर यह वर्तमान विधेयक रैयतवाड़ी प्रथा को और भी बल देगा।

तत्पश्चात् जब सब खायकर सीरतान हिस्सेदार बन जावेंगे तब उन्हें जब वे रोजगार के लिये बाहर जावें उस काल के लिये उन्हें किसी को अपनी खेती साझेदारी में देने में या सुपुर्दगी में देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको कृषि के अलाभकारी धंधा होने के कारण बाहर जाकर रोजगार ढूंढना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। कारण यह कि वहां उनके पास जो खेती है उसकी पैदावार इतनी कम होती है कि साल भर में ३ महीने के लिये भी खाने को पूरी नहीं होती। अतएव उनका स्वामित्व अपनी भूमि पर बराबर बना रहना चाहिए। यदि इसके विपरीत होता है तो वहां के लोग रोजगार के लिये बाहर जा नहीं सकेंगे जिससे वे खेती का कार्य भी धनाभाव के कारण उचित रूप से संचालन नहीं कर पावेंगे और न अपनी भावी संतान की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध ही कर पावेंगे। वे न अपने लिये कपड़ा, नमक, गुड़ आदि जीवन की आवश्यक सामग्री ही जुटा पावेंगे। सरकारी मालगुजारी देने में भी असमर्थ रहेंगे। सारे समाज के आर्थिक ढांचे में भी उलट-फेर हो जावेगी जिसके फलस्वरूप पर्वतीय प्रदेश में एक क्रान्ति पैदा होगी। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और अशान्ति का साम्राज्य फैल जावेगा और जितनी खेती आज हो रही है वह भी चौपट हो जावेगी।

यह प्लानिंग कमीशन की नीति के भी विरुद्ध है कि इस प्रकार की भूमि-व्यवस्था में छेड़-छाड़ की जाय जिससे अन्न उत्पादन में कमी हो। इस विधेयक से अन्न का उत्पादन निस्संदेह कम होगा।

कुमायूं की मालगुजारी लगभग १० लाख के होगी और जब यह विधेयक अधिनियम बन जावेगा और "जिसकी जोत उसका खेत" के आधार पर विधेयक बनाया गया तो उसका हानिकारक कुप्रभाव तथा दुखद जो परिणाम होगा वह ऊपर दिखाया जा चुका है परन्तु इसके लिये सरकार को भी पूरी फौज सरकारी कर्मचारियों की रखनी पड़ेगी जिन पर लाखों रुपया सरकार को खर्च वहन करना पड़ेगा, जब कि आमदनी इतनी थोड़ी हो। यह सरकारी खर्चे का केवल अपव्यय मात्र होगा क्योंकि काश्तकारों को इसका कोई लाभ नहीं है। अन्नोत्पादन भी बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा और चूंकि हर साल पहाड़ों के खिसकने से, नदियों में बाढ़ आने से खेत बनते तथा बिगड़ते रहते हैं अतः हर एक कब्जा

बिखाने वाले कर्मचारी, लेखपाल आदि के अलावा सर्वेयर और नक्शे बनाने वाले कर्मचारी भी स्थायी रूप से रखने पड़ेंगे। यह कुल निरर्थक व्यय होगा जिससे न जनता को लाभ न सरकार को।

इसलिये सीधा-साधा विधेयक कुछ ही धाराओं वाला लाया जाना चाहिय जिससे खायकर और सीरतानों को भी हिस्सेदार बनाकर शतप्रतिशत रैयतवाड़ी भूमि-व्यवस्था जो सब के लिये लाभकारी सिद्ध हो बन जाय और जो वहां के बड़े हिस्सेदार हैं उनके हिस्से की भूमि को भी कम करके उनमें तथा अन्य हिस्सेदारों में यथासम्भव समानता लायी जाय।

इस विधेयक में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि पर्वतीय जिलों में प्रति काश्तकार के लिये कितनी उच्चतम सीमा निर्धारित की जाय। मैदानी हिस्सों में अभी तक उच्चतम सीमा की जो व्यवस्था है वह सम्भवतः ३० एकड़ प्रति किसान है। अब उसे घटा कर साढ़े बारह एकड़ किये जाने का प्रस्ताव है, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में जहां कि जमीन पथरीली है, उसकी उत्पादन शक्ति बहुत कम है और जहां सिंचाई आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है और किसानों को केवल वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है वहां मैदानी क्षेत्रों से कहीं अधिक उच्चतम सीमा निर्धारित करना नितान्त आवश्यक है। यह उच्चतम सीमा कमसे कम प्रति किसान मैदान के किसान से ड्योढ़ी अवश्य होनी चाहिये। काश्मीर व हिमांचल प्रदेश में जहां कि परिस्थिति हमारे पर्वतीय जिलों-सी है यह उच्चतम सीमा इससे भी कहीं अधिक है। इस विधेयक में इस बात की बड़ी भारी कमी है। मैंने इस सुझाव को संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा था परन्तु मुझे खेद है कि यह सुझाव इतना लाभदायक तथा वहां की जनता के लिये हित में होते हुये भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः मैं इस बारे में पुनः जोर देना चाहता हूं।

नोट—मेरे उपरोक्त मत का समर्थन लगभग सारी पर्वतीय जनता तथा वहां के मेम्बर पार्लियामेंट व विधान मंडल के सदस्यों द्वारा जैसा कि प्रश्नों के उत्तर में अधिकांश सुझावों में आया है उनसे प्रतीत होता है। यदि इस वक्त सभी संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य उपस्थित होते तो संभव था कि मेरे उपरोक्त विचारों के अनुसार संशोधन मान लिये जाते।

२० सितम्बर, १९५८ नरेन्द्रसिंह बिष्ट

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है, तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

कुमायूं डिवीजन के कुछ क्षेत्रों में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों (rights, title and interests) की अध्याप्ति (acquisition) तथा वहां भूमि सम्बन्धी सुधारों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

कुमायूं डिवीजन के कुछ क्षेत्रों में राज्य तथा कृषक के बीच व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति तथा वहां भूमि सम्बन्धी सुधारों की व्यवस्था करना इष्टकर है।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार नैनीताल जिले के उन क्षेत्रों को छोड़ कर जहां १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू है, समस्त कुमायूं डिवीजन में होगा।

[(३) यह अध्याय तुरन्त प्रवृत्त होगा। शेष अध्याय ऐसे दिनांक या दिनांकों पर प्रवृत्त होंगे जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे तथा विभिन्न अध्यायों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।]

(३) यह धारा तथा धारा २ तुरन्त प्रवृत्त होंगी, और शेष धारायें धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़ कर, जहां वे उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रवृत्त होंगी, ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगी जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

सरकारी आस्थानों पर अधिनियम को लागू करने के संबंध में उसका संशोधन।

२—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस सम्पूर्ण अधिनियम को अथवा उसके किसी उपबन्ध को, ऐसे अपवादों तथा [संशोधनों] परिष्कारों के अधीन रहते हुये, जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तथा जिन्हें वह आवश्यक समझे, [ऐसे किसी भी आस्थान (estate) अथवा उसके किसी भाग पर लागू कर सकती है जिस पर केन्द्र सरकार राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी का स्वामित्व हो]

(क) किसी ऐसे आस्थान या उसके किसी भाग पर जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या छावनी बोर्ड के स्वामित्व में हो,

(ख) किसी नागर क्षेत्र में जैसी कि उसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में की गयी है, और

(ग) नैनीताल जिले के तराई भावर परगने के किसी भावर गांव में जो अभी तक जमींदारों के पास है, लागू कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह अधिनियम अथवा उसके उपबन्ध ऐसे अपवादों अथवा संशोधनों सहित या रहित उक्त आस्थानों पर इस प्रकार लागू किये जायं तो किसी भी वर्तमान विधि का [अधिनियम या विनियम का, जो वहां प्रवृत्त हो] उतना अंश जितना कि इस प्रकार लागू किये गये इस अधिनियम या उपबन्धों अथवा उसमें किये गये किन्हीं [सुधारों] परिष्कारों से असंगत हो, निरसित किया गया समझा जायगा।

परिभाषायें

३—विषय अथवा संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(१) "कलेक्टर" के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का वह असिस्टेंट कलेक्टर भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार ने, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत किया हो।

(२) "प्रतिकर आयुक्त" (Compensation Commissioner) से तात्पर्य है धारा ३९ में अभिदिष्ट प्रतिकर आयुक्त।

(३) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) से तात्पर्य है धारा ३९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी।

(४) "वर्तमान विधि" (existing law) से तात्पर्य है वह विधि जो इस [अध्याय] धारा के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त रही हो और इसके अन्तर्गत कोई अध्यादेश, आज्ञा, उपविधि (bye-law), नियम, विनियम, विज्ञप्ति, आचार अथवा प्रथा (custom or usage) जो विधि के समान प्रभावकारी हो, भी हैं।

(५) "गांव सभा" से तात्पर्य है यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन संगठित अथवा स्थापित गांव सभा।

(६) गूंठ या सदावर्त माफी के अन्तर्गत किसी मंदिर, देवी-देवता (deity) या धार्मिक अथवा पूर्व (charitable) संस्था के पक्ष में राज्य सरकार अथवा उसकी किसी पूर्वाधिकारिणी (predecessor) सरकार द्वारा मालगुजारी की माफी अथवा उसकी इसी प्रकार का कोई अन्य अभिहस्तांकन (assignment) है, जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत रहा हो।

(७) "हिस्सेदार" का वही अर्थ होगा जो उसे कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में दिया गया है और उसके अन्तर्गत [असकोट परगने के गुजारेदार तथा अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थानों के काबिज (holders of fee-simple estates) भी है।] निम्नलिखित है :—

(१) असकोट परगने के गुजारेदार,

(२) अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थानों के काबिज,

(३) टेहरी के महाराजा (उस भूमि के सम्बन्ध में जो टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई

परिभाषा के अनुसार टेहरी गढ़वाल के उत्तर प्रदेश में विलयन के दिनांक पर खुदकाश्त के रूप में उनके अधिकार में थी)

(४) टेहरी-गढ़वाल के सकलाना माफ़ीदार (उस भूमि के सम्बन्ध में जो १९४८ में अपने स्वामित्व सम्बन्धी और माफ़ीदारी अधिकारों के समर्पण के दिनांक पर उनकी खुदकाश्त के रूप में उनके अधिकार में थी),

(५) टेहरी-गढ़वाल में पदचार गांव के माफ़ीदार,

(६) टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी माफीदार, अपनी भूमि के उस भाग के सम्बन्ध में जो किसी खायकर के पास हो,

(७) किसी सैनिक बन्दोबस्त के आस्थान (Soldiers Settlement Estate) का जागीरदार,

(८) अलमोड़ा जिले के दूनागिरि उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का ऐसा पाने वाला (allottee) जिसने निश्चित दिनांक के पूर्व हिस्सेदारी अधिकार क्रय कर लिये हों।

(८) ["खैकार"] "खायकर" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी, माफीदार, उसकी भूमि के उस भाग के सम्बन्ध में जो किसी खायकर के पास न हो, भी हैं।

(९) ["खैकारी" भूमि] "खायकारी भूमि" से तात्पर्य है वह भूमि जो किसी [खैकार] खायकर के पास हो और उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है।

(१०) "कुमायूं डिवीजन" से तात्पर्य है नैनीताल, [जिले का वह भाग जहां १९५० का जमींदारी बिनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं होता तथा] अल्मोड़ा-गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिले।

(११) "भूमि" (land) से तात्पर्य है वह भूमि जो कृषि या उद्यानकारी अथवा पशुपालन से, [सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये रक्खी गयी हो अथवा] जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा मुर्ग पालन भी है, सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये अधिकृत या अध्यासित (held or occupied) हो किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं है।

(१२) "खान" (mine) का वही अर्थ होगा जो उसे १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है।

(१३) "नियत" (prescribed) से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों द्वारा नियत।

(१४) "पिछले कृषि वर्ष" से तात्पर्य है वह कृषि वर्ष जो उस वर्ष के ठीक पहले हो जिसमें निश्चित दिनांक पड़ता है।

(१५) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार।

(१६) "ठेकेदार" से तात्पर्य है किसी हिस्सेदार के खायकरी भूमि में अधिकारों का पट्टेदार (lessee)।

(१७) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली "अबवाब" (cess) और अप्रतिबन्ध दाय वाल आस्थान (fee-simple estate), गांव, संजायत, घर, पधान, बाग, बाग भूमि, बागदार, मालगुजारी, पधान, पधानचारी, भूमि, लगान, सीरतान, थोकदार व थोकदारी भूमि के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उन्हें दिये गये हैं।

(१८) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पद "असिस्टेंट कलेक्टर" परगने का अवधायक असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector in-charge of a sub-division) ["मालगुजारी"] तथा "महाल" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में, जैसा कि वह कुमायूं [डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों] के लिये लागू है, उन्हें दिये गये हैं।

अध्याय २

भूमि में वर्तमान अधिकारों की अध्याप्ति तथा परिष्कार

भूमि में वर्तमान अधिकारों की अध्याप्ति तथा परिष्कार।

४--(१) इस अध्याय के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर सकती है कि उसमें उल्लिखित दिनांक से जिसे इस अधिनियम में निश्चित दिनांक के नाम से अभिदिष्ट किया गया है :

(क) खायकरी भूमि में हिस्सेदार के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और, एतत्पश्चात् की गई व्यवस्था को छोड़ कर, समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे।

(ख) खंड (क) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, कुमायूं में किसी भी खातेदार के उस भूमि में जो उसके पास इस नाते हो, अधिकार, आगम तथा स्वत्व ऐसे परिष्कार तथा दायित्वों के अधीन रहते हुये होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये जायें।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति समय-समय पर कुमायूं डिवीजन में केवल ऐसे जिले अथवा जिले के भाग के सम्बन्ध में, जो निर्दिष्ट किया जाय जारी करे और उपधारा (१) के सभी उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके सम्बन्ध में लागू होंगे।

धारा ४ के अधीन अध्याप्ति अथवा परिष्कारों के परिणाम

५—यदि धारा ४ के अधीन कोई विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है तो किसी भी संविदा अथवा लेख्य में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी तथा ऐसी अवस्था को छोड़कर जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था की गई हो, निश्चित दिनांक के आरम्भ से, उस क्षेत्र पर (जिसे इस अधिनियम में विज्ञापित क्षेत्र के नाम से अभिदिष्ट किया गया है।) जिसका सम्बन्ध उक्त विज्ञप्ति से हो, पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित होंगे :—

(क) विज्ञापित क्षेत्रों की खायकरी भूमि और उसकी अधोभूमि म हिस्सेदारों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व जिसमें खान और खनिज पदार्थ के अधिकार भी सम्मिलित हैं, यदि कोई हों, समाप्त हो जायेंगे तथा वे समस्त भारों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो जायेंगे;

(ख) [गूंठ या सदावर्त माफियों से भिन्न] समस्त माफियां (grants) तथा विज्ञापित क्षेत्र की खायकरी भूमि के, या में अथवा ऐसी भूमि अथवा उसकी मालगुजारी के संबंध में किसी अधिकार या विशेषाधिकार के, या में, आगम के पुष्टिकरण (confirmations) चाहे वे प्रत्यावर्तनीय (liable to resumption) हों या न हों, समाप्त हो जायेंगे;

(खख) खायकरी या गैर-खायकरी भूमि की मालगुजारी सम्बन्धी माफियों से भिन्न, विज्ञापित क्षेत्रों की खायकरी भूमि के सम्बन्ध में सभी गूंठ या सदावर्त माफियां समाप्त हो जायंगी;

(ग) (१) निश्चित दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये खायकरी भूमि के संबंध में देय (payable) समस्त लगान, अबवाब (cess) और स्थानिक दरें (local rates) [तथा सयार]जो, उसमें हिस्सेदारों के अधिकारों, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति न होने की दशा में हिस्सेदार को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायंगे तथा राज्य सरकार को देय होंगे न कि हिस्सेदार को, तथा इस खंड का उल्लंघन करके, की हुई कोई भी अदायगी उसके देनदार व्यक्तियों द्वारा अदायगी का वैध उत्सर्जन (valid discharge) न होंगी;

(२) जब निश्चित दिनांक से पूर्व किये गय किसी अनुबन्ध या संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात किसी भी अवधि के निमित्त कोई लगान, अबवाब या स्थानिक दर (local rate) [या सयार] हिस्सेदार को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित या अभित्यक्त कर दिया गया हो (compounded or released) तो, अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुये भी राज्य सरकार उसे हिस्सेदार से वसूल कर सकती है तथा, वसूली की अन्य किसी रीति पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, धारा २४ के अधीन ऐसे हिस्सेदार को देय (payable) प्रतिकर की राशि में से काटी जा सकती है।

(घ) इस प्रकार अध्याप्त खायकरी भूमि से संबद्ध मालगुजारी, अबवाब या अन्य आदेयों का समस्त बकाया, जो निश्चित दिनांक के पूर्व किसी भी अवधि के निमित्त हिस्सेदार द्वारा देय हो, उस हिस्सेदार से वसूल की जाती रहेगी तथा, वसूली की अन्य किसी रीति पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, धारा २४ के अधीन ऐसे हिस्सेदार को देय प्रतिकर की राशि में से काटी जा सकेगी।

(ङ) इस प्रकार अध्याप्त खायकरी भूमि में हिस्सेदार के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व दीवानी या माल के किसी भी न्यायालय की डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन में न कुर्क हो सकेंगे, और न बेंचे जा सकेंगे, तथा निश्चित दिनांक पर वर्तमान कोई कुर्की या ऐसे दिनांक के पूर्व कुर्की की कोई आज्ञा, ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रभावी न रहेगी।

(च) ऐसे किसी भी धन के लिये, जो खायकरी भूमि पर भारित अथवा उसके बन्धक (mortgage) द्वारा सुरक्षित हो, कोई भी दावा या दायित्व, जो हिस्सेदार द्वारा अथवा उसके विरुद्ध, निश्चित दिनांक से पूर्व प्रवर्तनीय या उपगत हुआ हो (enforceable or incurred) ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में की हुई व्यवस्था को छोड़ कर, ऐसी भूमि क विरुद्ध प्रभावी न किया जा सकेगा।

(छ) (१) खायकर द्वारा किये गये बन्धक से भिन्न प्रत्येक भोग-बन्धक (mortgage with possession) जो निश्चित दिनांक क ठीक पहले के दिनांक पर खायकरी भूमि के संबंध में वर्तमान हो, धारा ४ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, ऐसी भूमि पर सुरक्षित धनराशि की मात्रा तक दृष्टिबन्धक (simple mortgage) द्वारा अनुवर्तित (substituted) हुआ समझा जायगा।

(२) बन्धक-पत्र (mortgage deed) या अन्य किसी अनुबन्ध (agreement) में किसी बात के होते हुए भी, उपखंड (१) के अधीन अनुवर्तित दृष्टिबन्धक पर देय घोषित धनराशि पर ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से ब्याज लगेगा, जो नियत किये जाएं,

(ज) नियत किये जाने वाले प्रकार के समस्त वाद तथा कार्यवाहियां, जो निश्चित दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन हों, तथा निश्चित दिनांक से पूर्व किसी ऐसे वाद में दी गई डिक्री या आज्ञा पर आधारित समस्त कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायेंगी।

(झ) खायकरी भूमि में किसी भी ठेकेदार का कोई अधिकार, आगम तथा स्वत्व न रह जायेगा, किन्तु यदि कोई ऐसी भूमि निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक पर उसकी निजी जोत

में थी तो वह निश्चित दिनांक से उसका सीरतान हो जायगा और क्षेत्रपति को लगान देगा।

(ञ) उस व्यवस्था के अतिरिक्त जो इसमें आगे चलकर की गयी है, निश्चित दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर किसी विज्ञापित क्षेत्र में वर्तमान समस्त महाल तथा उनके उपविभाग (sub-division) तथा [धारा ६ की उपधारा (२) में की हुई व्यवस्था को छोड़कर] हिस्सेदार या अन्य किसी खातेदार द्वारा मालगुजारी या लगान की अदायगी के समस्त संकेत (engagement) समाप्त हो जायेंगे तथा वे प्रवर्तन में न रहेंगे।

६--(१) इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न डालेगी:--

(१) विज्ञापित क्षेत्र में स्थित किसी भी खान में, जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रशासित हो, काम करते रहने के अधिकार पर ;

(२) किसी भी भूमिधर, सीरदार या असामी होने की दशा में, भूमि के अधिक लाभप्रद भोग (have beneficial enjoyment) के निमित्त ऐसे सुखाधिकार (easements) अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे अधिकार के उपभोग करते रहने के अधिकार पर, जिसका कि वह निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक पर उपभोग करता रहा हो;

(३) निश्चित दिनांक के पूर्व उपगत हुये (incurred) लगान या अन्य आदेयों (dues) की बकाया को वसूल करने के अधिकार पर--जो बकाया, अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, पहले की भांति एतदर्थ अधिकारी व्यक्ति द्वारा वसूल की जा सकेगी;

(४) किसी क्षेत्र में जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक पर निजी जंगल रहा हो, किसी भी अधिकार पर और वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे में वर्तमान शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार बना रहेगा; तथा

(५) किसी गूंठ या सदावर्त माफी के अनुसार अपने को अथवा किसी संस्था को देय धनराशि को पहले के अनुसार प्राप्त करते रहने के अधिकार पर :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बकाया लगान की कोई डिक्री या बकाया लगान न अदा करने पर बेदखली की कोई आज्ञा वादऋणी (judgment-debtor) को उसके खाते से बेदखल कर के निष्पादित न की जायेगी।

(२) किसी निजी जंगल के सम्बन्ध में मालगुजारी की अदायगी का संकेत (engagement), जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे जंगल से है, प्रवृत्त बना रहेगा।

निजी कुओं, आबादी के पेड़ों और इमारतों का बन्दोबस्त वर्तमान स्वामियों के साथ होना

७—एतत्पूर्व अध्याप्त किसी विज्ञापित क्षेत्र में किसी खायकरी भूमि पर स्थित सभी निजी कुयें, आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी हिस्सेदार खायकर या दूसरे व्यक्ति, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, की हों या उसके कब्जे में हों उसी हिस्सेदार, खायकर या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी स्थिति हो, बने रहेंगे या उसके कब्जे में रहेंगे और सम्बद्ध (appurtenant) क्षेत्र सहित उन कुंओं या इमारतों के स्थल (sites) के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किये जायं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "बाउली", "छाल", "नौला", "नौली" तथा और तत्सदृश पदों के सम्बन्ध में वही व्यवस्था होगी जो शब्द "कुयें" के लिये विहित की गयी है।

कुछ भूमियों का हिस्सेदार और खायकरों के साथ भूमिधर के नाते बन्दोबस्त किया जाना

[८—उस समस्त भूमि के बारे में—

(क) जो किसी खैकार के पास उसी नाते हो, और

(ख) जो उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट भूमि से भिन्न हो तथा किसी हिस्सेदार के पास या कब्जे में उसी नाते हो, यह समझा जायगा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे खैकार या हिस्सेदार, जैसी भी स्थिति हो, के साथ उसका बन्दोबस्त कर दिया गया है और एसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले ले या रखे।]

८—कोई खायकर खायकरी भूमि के सम्बन्ध में जो उसके पास इसी नाते हो और कोई हिस्सेदार —

(क) अपनी उस भूमि के सम्बन्ध में जो खायकरी भूमि स भिन्न हो, तथा

(ख) गांव संजायत भूमि के ऐसे भाग (portion) के सम्बन्ध में, जो उसके तत्सम्बन्धी अंश (share) से अधिक न हो और जो १३६४ फ़सली में उसकी निजी जोत में अथवा बाग़-भूमि के रूप में उसके पास रही हो,

निश्चित दिनांक से उक्त भूमि का भूमिधर कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए उसको उक्त भूमि पर कब्जा करने और रखने का अधिकार होगा।

८-क—गांव संजायत का उतना भाग जो निश्चित दिनांक पर किसी हिस्सेदार के पास उस भूमि से अधिक हो जिसका वह धारा ८ के खंड (ख) के अधीन भूमिधर बन गया हो अथवा जिसका वह धारा ७ के अधीन अधिकारी हो, खाली भूमि माना जायेगा और हिस्सेदार नियत रीति से उससे बेदखल किया जा सकेगा।

सीरतानों का असामी होना

९—प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर—

(क) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी हिस्सेदार से कब्जा मिला हो;

(ख) ऐसा सीरतान रहा हो जिसे किसी खायकर से कब्जा मिला हो, या

[(ग) पधाचारी या थोकदारी भूमि का सीरतान रहा हो, जब तक वह धारा ३१ के अधीन भूमि का भूमिधर नहीं बनता, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उस पर कब्जा करने या बनाये रखने का अधिकारी होगा।]

(ग) धारा ८ में उल्लिखित भूमि के वास्तविक कब्जे का कोई बन्धकी, या

(घ) गैर-खायकरी भूमि के किसी हिस्सेदार के अधिकारों वाला कोई पट्टेदार और टेहरी-गढ़वाल भूमि सम्बन्धी अधिकार नियम, १९४१ की धारा ३४ में उल्लिखित कोई पट्टेदार या शिकमी पट्टेदार (sub-lessor) जिसे गैर-खायकरी भूमि में खायकर या मौरूसीदार के अधिकार हों, और कोई ऐसी भूमि जो उसकी निजी जोत में हो, या

(ङ) यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अधीन किये गये अभिलेखों के अन्तिम पुनरीक्षण में ऐसी भूमि का जो किसी हिस्सेदार या खायकर के अधिकार में इसी नाते हो, अध्यासी (occupant) दर्ज किया गया हो, उक्त भूमि का असामी कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए, उसे अपने कब्जे में ले लेने अथवा रखने का अधिकार होगा।

राज्य में निहित भूमि तथा स्वत्वों को कलेक्टर अपने अधिकार में लेगा

१०—धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) कोई खायकरी भूमि तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों, और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अध्याप्त किसी खायकरी भूमि में प्रवेश और उसका सर्वेक्षण (survey) या पैमाइश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो;

(ग) किसी व्यक्ति को किसी भूमि या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books), लेखे (accounts) या

अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, लेखे और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, लेखे तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले ।

हिस्सेदार का प्रतिकर पाने का अधिकार

११—प्रत्येक हिस्सेदार जिसका अधिकार, आगम या स्वत्व धारा ४ के अधीन अध्याप्त कर लिया जाय प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर दिया जायगा ।

अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों के विषय में परिकल्पना (presumption)

१२—धारा १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये या पुनरीक्षित (revised) और पिछले कृषि वर्ष में प्रवृत्त अधिकार अभिलेखों (record of right) में पिछले कृषि वर्ष की प्रत्येक प्रविष्टि के विषय में इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये, यह समझा जायगा कि वह धारा ४ के अधीन अधिप्राप्त भूमि में हिस्सेदारों के अधिकार, आगम और स्वत्व (right, title or interest) को ठीक-ठीक व्यक्त करती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है के उपबन्धों के अधीन या किसी न्यायालय की डिगरी या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार अभिलेखों (record of rights) में किय गये किसी परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा संशोधन (correction) का, चाहे वह निश्चित दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, प्रतिकर अधिकारी ध्यान रखेगा ।

अधिकार अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना

१३—यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन की पर्वतीय पट्टियों के लिये लागू है, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी, यदि प्रतिकर अधिकारी का समाधान हो जाय कि पिछले कृषि वर्ष के अधिकार अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical mistakes) या ऐसी कोई भूल है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है (error apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उसको शुद्ध कर सकता है ।

दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार

१४—धारा १२ और १३ में उल्लिखित किसी भी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय में किसी वाद या अन्य कार्यवाही द्वारा धारा ४ के अधीन अध्याप्त खायकरी भूमि के सम्बन्ध में अपना दावा स्थापित के अधिकार पर नहीं पड़ेगा ।

अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से संबंध रखने वाले विचाराधीन वाद और व्यवहार

१५—यदि किसी दीवानी या माल के न्यायालय में, निश्चित दिनांक पर, ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो या उक्त दिनांक पर या उसके बाद संस्थित किया जाय (instituted) जिसमें धारा १२ में उल्लिखित अधिकार अभिलेख की किसी प्रविष्टि की शुद्धता पर आक्षेप किया गया हो या जिसमें उसकी शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से विवादग्रस्त हो (directly or indirectly in dispute) तो उस वाद या व्यवहार का कोई भी पक्ष (party) वाद-पत्र (plaint) या आपत्ति-पत्र (objection) की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार में पक्ष (party) हो गया है ।

वाद-पत्र या आपत्ति-पत्र का प्रतिकर संबंधी व्यवहार (Compensation proceedings) के अभिलेख का अंग होना

१६--धारा १५ के अधीन प्रस्तुत की गई वाद-पत्र या आपत्ति-पत्र की प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार के अभिलेख का अंग हो जायगी और प्रतिकर अधिकारी धारा १७ के अधीन तैयार की गई प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) में तत्संबंधी विवाद का विषय ऐसे विवरणों के साथ दर्ज करायेगा, जो नियत किये जायं ।

प्रतिकर विवरण

१७--(१) हिस्सेदार के अधिकार, आगम और स्वत्व की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर के अवधारण तथा भुगतान के प्रयोजनों के लिये प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायंगी --

(क) हिस्सेदार अथवा हिस्सेदारों के नाम;

(ख) धारा ४ के अधीन अध्याप्त खायकरी भूमि का क्षत्रफल;

(ग) खायकरी भूमि से हिस्सेदार की वार्षिक लगानी आय (annual rental income) ; तथा

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(२) वार्षिक लगानी आय निम्नलिखित होंगे :

(क) खायकर द्वारा देय लगान--

(१) नकदी में, या

(२) [जब] यदि लगान नकदी में देय न हो तो नियत रीति से [कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ की धारा ७ के अधीन] नकदी में परिवर्तित तथा अवधारित (commuted and determined) [देय] लगान [के बराबर] का नकद मूल्य, या

(३) [जब] यदि लगान देय न हो तो नियत रीति से अवधारित [कुमायूं कृषि-भूमि (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, १९५४ की धारा ९ के उपबंधों के अनुसार आकलित] लगान ।

(ख) गांव के खायकरों द्वारा देय लगानों के अनुसार नियत रीति से आकलित गांव संजायत में हिस्सेदार के अंश का लगानी मूल्य ।

हिस्सेदार को प्रतिकर

[१८--(१) धारा ११ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर की धनराशि धारा १७ में अभिदिष्ट (referred) लगानी आय की १२ गुना होगी ।]

१८--(१) धारा ११ के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर उस धनराशि का तीस गुना होगा जो धारा १७ में अभिदिष्ट लगानी आय में से हिस्सेदार की खायकरी भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय मालगुजारी को घटाकर निकले।

(२) जब हिस्सेदार का स्वत्व ठेकेदार के कब्जे में हो तो धारा ४ के अधीन हिस्सेदार तथा ठेकेदार के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के सम्बन्ध में उन दोनों को देय प्रतिकर की कुल धनराशि हिस्सेदार के प्रतिकर विवरण में उल्लिखित लगानी आय के आधार पर उपधारा (१) में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार आकलित धनराशि के बराबर होगी।

(३) प्रतिकर अधिकारी उपधारा (२) के अधीन आकलित धनराशि को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुये हिस्सेदार और ठेकेदार के बीच विभक्त करेगा--

(क) ठेके या पट्टे के आरम्भ के समय दिया हुआ नजराना (premium), यदि कोई हो,

(ख) ठेके की शर्तें और प्रतिबन्ध,

(ग) ठेके की समाप्ति के फलस्वरूप ठेकेदार को हुयी क्षति, यदि कोई हो,

(घ) ठेके के अधीन खायकरी भूमि की लगानी आय,

(ङ) ठेकेदार द्वारा देय वार्षिक धनराशि,

(च) यह तथ्य कि हिस्सेदार के वे अधिकार जो अध्याप्त किये जा रहे हैं उसके पास सतत अनुक्रम में थे (held in perpetuity) जब कि ठेकेदार के अधिकार सीमित प्रकार के हैं, तथा

(छ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन

१९--धारा १७ के अधीन निर्मित प्रतिकर विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को भी भेजी जायगी।

आपत्तियों को प्रस्तुत करना

२०--स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार नियत रीति से ऐसे विवरण के सम्बन्ध में, उसके प्रकाशन से [एक] तीन महीने के भीतर प्रतिकर अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है।

आपत्तियों का निस्तारण

२१--(१) उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर प्रतिकर अधिकारी यदि आवश्यक हो तो, धारा २० के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा ;

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत आपत्ति--

(क) यह हो कि भूमि खायकरी भूमि नहीं है तो प्रतिकर अधिकारी इस आशय का वाद प्रश्न (issue) तैयार करेगा और तत्पश्चात् उसे परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास निस्तारण के निमित्त भेज देगा;

(ख) आगम का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो तथा किसी समक्ष न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय न दिया हो तो प्रतिकर अधिकारी उसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के निमित्त भेज देगा ।

स्पष्टीकरण—किसी दिनांक विशेष पर कोई व्यक्ति खायकर था या नहीं, इस बात से यह न समझा जायगा कि उससे इस खंड के अर्थ में आगम का कोई प्रश्न उठता है ।

(३) उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन अभिदिष्ट प्रश्न पर डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से निर्णय करेगा तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा ।

कलेक्टर को अपील

२२—किसी भी विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति-पत्र के सम्बन्ध में धारा २१ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा से, जहां तक उसका सम्बन्ध प्रतिकर की धनराशि से हो , क्षुब्ध हो कलेक्टर के सामने अपील कर सकता है, जो नियत रीति से अपील का निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा ।

विवरण का अंतिम प्रकाशन

२३—(१) यदि धारा १९ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उसका अंतिम निस्तारण (disposal) हो गया हो तो विवरण (statement) में, जहां आवश्यकता होगी, संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया जायगा और प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा तथा अपनी मुहर लगा देगा ।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर करने और मुहर लगाये जाने के पश्चात् विवरण (statement) अंतिम हो जायगा ।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध हिस्सेदार को निःशुल्क दी जायगी ।

प्रतिकर का भुगतान

२४—(१) उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर , धारा २३ में अभिदिष्ट प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर एकमुठ (one lump sum) नगदी में या दस से अनधिक वार्षिक किस्तों में, जैसा भी नियत किया जाये, दिया जायगा ।

(१-क) उपधारा (१) में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार २ १/२ प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देगी ।

(२) प्रतिकर उस हिस्सेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो तथा जब अदायगी से पहले हिस्सेदार मर जाये तो वह प्रतिकर अधिकारी द्वारा नियत रीति से अवधारित उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा ।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ६९ तथा ७० के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पर लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त " हिस्सेदार" के अन्तर्गत ठेकेदार भी है ।

असामी या भूमिधर के कब्जे की भूमि की अध्याप्ति

[२५—(१) यदि कोई भूमि जिस पर धारा ८ का खंड (ख) लागू होता हो अपने मकान से संलग्न (adjoining) भूमि पर जो किसी असामी के कब्जे में हो पुनः अधिकार करना चाहे तो वह धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से एक वर्ष से भीतर नियत रीति से उस भूमि को, जो २·५ नालियों से अधिक न होगी, अध्याप्ति करने के निमित्त परगने के अवधायक (in charge) असिस्टेन्ट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र देगा।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र विधिवत् (in order) हो तो असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रार्थित भूमि अथवा उसके किसी भाग को अध्याप्ति की तथा उस पर से असामी की बेदखली की नियत रीति से आज्ञा देगा और असामी को ऐसा प्रतिकर प्रदान करेगा जिसका कि वह उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन अधिकारी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर—

(क) यदि भूमिधर के कब्जे में उसके मकान से संलग्न २·५ नाली भूमि हो तो उसका प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर देगा ; अथवा

(ख) यदि भूमिधर के पास २·५ नाली से कम भूमि हो तो वह उतनी ही भूमि की अध्याप्ति की आज्ञा देगा जिसे मिलाकर कुल उपलब्ध भूमि २.५ नाली हो जाये।

(३) असामी को दिया जाने वाला प्रतिकर इस धारा के अधीन अध्याप्त भूमि के सम्बन्ध में देय लगान का तिगुना होगा जो असामी द्वारा और की गयी उन्नतियों (improvements) के निमित्त, यदि कोई हो, प्रतिकर और उस प्रतिकर के अतिरिक्त (in addition to) हो जिसे असिस्टेन्ट कलेक्टर वृक्षों के निमित्त दिलाये।

(४) यदि कोई असामी इस धारा के उपबन्धों के अधीन केवल अपने खाते के किसी भाग से बेदखल किया जाये तो असिस्टेन्ट कलेक्टर अवशिष्ट भाग (remainder) के निमित्त देय लगान अवधारित करेगा।]

२५—(१) कोई हिस्सदार जो धारा ८ के अधीन भूमिधर हो गया हो, निश्चित दिनांक से एक वर्ष के भीतर नियत रीति से परगने के अवधायक असिस्टेंट कलेक्टर को अपने रहने के मकान के पास की ऐसी भूमि के जो उसके असामी के कब्जे में हो, पुनर्ग्रहण के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन भूमि के पुनर्ग्रहण के किसी प्रार्थना-पत्र में, उक्त भूमि के सभी हिस्सेदार, जिनके घर उसके समीप हों, और जो धारा ८ के अधीन उसके भूमिधर हो गये हों, फरीक (पक्षी) बनाये जायेंगे।

(३) (क) ऐसा भूमिधर को जो उप-धारा (२) के अधीन अपने असामी की भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही में फरीक बनाया गया हो, अपने रहने के मकान के लिये भूमि के पुनर्ग्रहण के निमित्त भी दावा कर सकता है।

(ख) ऐसे भूमिधर को जो पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन पुनर्ग्रहण के लिये कार्यवाही न करे, भविष्य की किसी कार्यवाही में ऐसा करने का अधिकार न होगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र का निर्णय करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का ध्यान रखा जायगा :—

(क) केवल उतनी ही भूमि के, जो २.५ नाली से अधिक हो, पुनर्ग्रहण की अनुमति दी जायगी जो पुनर्ग्रहण चाहने वाले भूमिधर के रहने के मकान के हितकारी उपभोग के लिये परमावश्यक समझी जाय;

(ख) ऐसे भूमिधर को भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति नहीं दी जायगी जिसके पास उसके रहने के मकान के समीप पहले से ही २.५ नाली या इससे अधिक क्षेत्र हो अथवा यदि उस असामी के पास जिसकी भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव हो, २.५ नाली या इससे कम क्षेत्र हो;

(ग) किसी भूमिधर को उतनी भूमि से अधिक भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति नहीं दी जायगी, जो उस क्षेत्र को जो पहले ही उसके पास उसके रहने के मकान के समीप हो, मिलाने के पश्चात् २.५ नाली के क्षेत्र से अधिक हो जाय;

(घ) यदि असामी के रहने का मकान उस भूमि में या उसके समीप हो जिसके पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव हो तो भूमिधर को केवल अपनी उतनी भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति दी जायगी जो असामी के लिये २.५ नाली क्षेत्र नियत करने के बाद बच रहे;

(ङ) पुनर्ग्रहण चाहने वाले किसी एक या अधिक भूमिधर के पक्ष में किसी भी दशा में २.५ नाली के कुल क्षेत्र से अधिक भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति नहीं दी जायगी; और

(च) ऐसे अन्य सिद्धान्त जो नियत किये जायं।

(५) यदि परगने का अवधायक असिस्टेन्ट कलेक्टर, भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति दे तो वह प्रतिकर देने की भी आज्ञा देगा जो भूमि का पुनर्ग्रहण का दावा करने वाले भूमिधर द्वारा असामी को उस लगान के तीन गुने की दर से दिया जायगा जो असामी द्वारा पुनर्ग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में देय हों, ऐसी अन्य धन-राशि सहित जो उन पेड़ों के सम्बन्ध में जो असामी के हों या उन्नतियों के सम्बन्ध में जो उसने की हो; यदि कोई हों, नियत रीति से अवधारित की जाय।

(६) यदि इस धारा के उपबन्धों के अधीन किसी असामी की जोत के किसी भाग का पुनर्ग्रहण किया जाय तो परगने का अवधायक असिस्टेन्ट कलेक्टर उस की जोत के शेष भाग का उसके द्वारा देय लगान उस रीति से जो नियत की जाय अवधारित करेगा।

२५-क—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ६ के निदेश और तदधीन बनी नियमावली, आवश्यक

परिवर्तनों के साथ, उस क्षेत्र में लागू होंगे जिसके विषय में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसके मत में आवश्यक प्रतीत हों और जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के आरम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी।

२५-ख—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य द्वारा किसी भूमि का बन्दोबस्त किसी वर्ग के खातेदारों के साथ किया गया है तो उक्त बन्दोबस्त भू-तल के अधिकारों के सम्बन्ध में किया गया समझा जायगा जैसा कि अब तक किया जाता रहा है।

अध्याय ३

असामियों द्वारा भूमिधरी अधिकारों की अध्याप्ति

असामी भूमिधरी अधिकार खरीदने के अधिकारी होंगे

२६—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा ९ के खंड (क) या (ख) में उल्लिखित वर्ग का कोई भी असामी निश्चित दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार उस भूमि में, जो उक्त असामी के पास उसी नाते रही हो, भूमिधरी अधिकारों को खरीदने और अध्याप्त करने का अधिकारी होगा,

(१-क) उपधारा (१) में अभिदिष्ट असामी धारा ३२ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट दिनांक तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा,

(२) उपधारा (१) की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी—

(क) जब कोई भूमिधर, या उनके एक से अधिक होने की दशा में समस्त भूमिधर, उस दिनांक पर जब धारा २२ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया जाय, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू किये जाने के संबंध में परिष्कृत किया गया है, की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या एकाधिक वर्गों में से हों, अथवा

(ख) जब भूमि धारा ४१ में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की हो।

(ग) यदि भूमि बाग भूमि हो, या

(घ) यदि वह धारा ९ के खंड (घ) या (ङ) में उल्लिखित वर्ग का हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में भूमि के अन्तर्गत भूमि का कोई भाग अथवा गाटा (plot) या गाटे भी हैं ।

भूमिधरी अधिकारों के खरीद की दरें

[२७—वह मूल्य, जिस पर सीरदार को अपने कब्जे की भूमि में भूमिधरी अधिकार खरीदने का अधिकार होगा उस लगान का १५ गुना होगा जो उस भूमि के लिये उसके द्वारा देय हो और जो असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा नियत रीति से अवधारित किया जायगा ।]

२७—वह मूल्य जिस पर असामी को अपने कब्जे की भूमि में भूमिधरी अधिकार खरीदने का अधिकार होगा उस लगान का २५ गुना होगा, जो—

(क) नकदी में देय हो, या

(ख) यदि लगान नकदी में देय न हो तो नियत रीति से परिवर्तित और अवधारित लगान का नकद मूल्य, या

(ग) यदि लगान देय न हो या अवधारित न किया गया हो, तो नियत रीति से अवधारित लगान ।

भूमिधरी अधिकार खरीदने का प्रार्थना-पत्र

२८—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भूमिधरी अधिकार खरीदने का प्रार्थना-पत्र नियत प्रपत्र (form) में लेखबद्ध करके असामी द्वारा [परगने के अवधायक (in-charge)] असिस्टेन्ट कलेक्टर को दिया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र के साथ खतौनी (मुन्तखिब) का उद्धरण (extract) भी होगा जिसमें वह गाटा या वे गाटे जिनका प्रार्थना-पत्र से संबंध है तथा उनके निमित्त देय लगान प्रदर्शित होंगे तथा उस प्रार्थना-पत्र में वे ब्योरे भी होंगे जो नियत किये जायं ।

प्रार्थना-पत्र की जांच

२९—(१) जब प्रार्थना-पत्र उपयुक्त आकार में हो तथा यथोचित रूप से प्रस्तुत किया गया हो तो असिस्टेन्ट कलेक्टर उसके संबंध में ऐसी जांच करवायेगा जो नियत की जाय ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जांच करने पर असिस्टेन्ट कलेक्टर का समाधान हो जाये कि प्रार्थी भूमिधरी अधिकारों को खरीदने का प्रत्यक्षतः (*prima facie*) अधिकारी है तो वह भूमिधरी अधिकारों को खरीदने के निमित्त प्रार्थी द्वारा देय धनराशि अवधारित करेगा तथा उसे प्रार्थी को सूचित करेगा ।

भूमिधर की नोटिस

३०—जब प्रार्थी धनराशि देने का प्रस्ताव करे तब असिस्टेन्ट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधर पर एक नोटिस तामील करवायेगा जिसमें वह उससे

यह पूछेगा कि उसे उक्त प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं और वह धारा २९ की उपधारा (२) के अधीन अवधारित मूल्य लेकर प्रार्थी के हाथ भूमिधरी अधिकार बेचने के लिये राजी है या नहीं।

भूमिधरी अधिकारों का खरीदा और बेचा जाना

३१—(१) यदि भूमिधर प्रस्ताव स्वीकार करे और भूमिधरी अधिकार बेचना चाहे तो असिस्टेन्ट कलेक्टर तुरन्त वह दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा जहां बिक्री कार्यान्वित होगी तथा तदनुसार नोटिस जारी करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन निश्चित दिनांक पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि भूमिधर को देगा तथा असिस्टेन्ट कलेक्टर नियत रीति से भूमिधरी अधिकारों का विक्रय सम्पन्न करायेगा तथा तदनुसार नियत प्रपत्र में विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(३) यदि नोटिस के उत्तर में भूमिधर उपस्थित न हो या उपस्थित तो हो किन्तु बिक्री के लिये राजी न हो अथवा असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा कहे जाने पर प्रार्थी धारा २९ के अधीन अवधारित धनराशि न दे तो असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रार्थना-पत्र खारिज कर देगा।

(४) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (२) के अधीन प्रदत्त विक्रय प्रमाण-पत्र पर कोई भी मुद्रांक शुल्क (stamp duty) देय न होगा।

असामी के कब्जे की भूमियों में भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति

३२—(१) निश्चित दिनांक से एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी समय राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, यह घोषित कर सकती है कि उसमें निर्दिष्ट दिनांक से उस भूमि में भूमिधरों के अधिकार, आगम और स्वत्व, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर, धारा २६ की उपधारा (२) के खंड (क) में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी के थे, इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक (जिसे एतत्पश्चात् निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा) के आरम्भ से समाप्त हो जायेंगे तथा, एतत्-पश्चात् की गयी व्यवस्था को छोड़कर, सब भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि यदि वह ऐसा आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में अभिदिष्ट विज्ञप्ति केवल उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के संबंध में, जो निर्दिष्ट किये जायं, समय-समय पर जारी करे तथा उपधारा (१) के समस्त उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर, और उसके संबंध में लागू होंगे।

धारा २६ के अधीन अधिकार आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति के परिणाम

३३—जब धारा ३२ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाये तब, इस अधिनियम के अध्याय २ में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, उस क्षेत्र में (जिसे एतत्पश्चात् विज्ञापित क्षेत्र कहा गया है), जिससे विज्ञप्ति का संबंध हो, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्

(क) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) [के खंड (ख)] में अभिदिष्ट असामी से भिन्न असामी रहा हो, निर्दिष्ट दिनांक से धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि का (जिसे एतत्पश्चात् विज्ञापित भूमि कहा गया है), जो उसी नाते उसके कब्जे में रही हो, सीरदार हो जायगा तथा उसे वे समस्त अधिकार

प्राप्त होंगे तथा वह उन समस्त उत्तरदायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सीरदारों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो निर्दिष्ट दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २६ की उपधारा (२) [के खंड (ख)] में अभिदिष्ट भूमि का स्वामी रहा हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस भूमि पर उसी नाते कब्जा बनाये रखने का अधिकारी रहेगा ।

(ग) धारा ५ के खंड (क), (ख), (खख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा (ज) और धारा ६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस प्रकार लागू होंगे मानों पद "हिस्सेदार", "खायकरी भूमि" तथा "निश्चित दिनांक" के स्थान पर क्रमशः पद "भूमिधर", "विज्ञापित भूमि" तथा "निर्दिष्ट दिनांक" रख दिये गये हों ।

प्रतिकर पाने का भूमिधर का अधिकार

३४—प्रत्येक भूमिधर जिसके अधिकार, आगम अथवा स्वत्व धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि में उक्त धारा के अधीन अध्याप्त किये जायें, एतत्पश्चात् की गयी व्याख्या के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा तथा उसे प्रतिकर दिया जायेगा ।

भूमिधरी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर विवरण-पत्र

३४-क—(१) किसी भूमिधरी के अधिकार, आगम तथा स्वत्व की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

(क) भूमिधर का नाम या भूमिधरों के नाम,

(ख) धारा ३२ के अधीन अध्याप्त भूमि का क्षेत्रफल,

(ग) धारा ३२ के अधीन अध्याप्त भूमि से भूमिधर की वार्षिक लगानी आय, और

(घ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं,

(२) वार्षिक लगानी आय में ऐसा लगान सम्मिलित होगा जो असामी द्वारा—

(१) नकदी में देय हो, या

(२) यदि लगान नकदी में देय न हो, तो नियत रीति से आकलित तथा अवधारित लगान का नकद मूल्य , या

(३) यदि लगान देय न हो या अवधारित न किया गया हो तो नियत रीति से अवधारित लगान ।

तिकर का अवधारण तथा भुगतान

[३५—धारा ३२ में अभिदिष्ट भूमि के भूमिधर के अधिकार, आगम तथा स्वत्वों की अध्याप्ति के निमित्त प्रतिकर के अवधारण तथा भुगतान के प्रयोजनों के लिये प्रतिकर अधिकारी धारा १७ के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर विरण तैयार करेगा तथा तत्पश्चात् उस पर धारा १८ से २४ तक के उपबन्ध आवव परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।]

३५—धारा ३४ के अधीन किसी भूमिधर को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि धारा २७ में अभिदिष्ट लगान की बीस गुनी होगी ।

३५-क—धारा ३४-क के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार हो जाने के पश्चात् धारा १९ से २४ तक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे और धारा २४ में की गयी व्यवस्था के अनुसार भूमिधर को प्रतिकर दिया जायगा ।

अध्याय ४

भूमि-प्रबन्ध

भूमि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण

३६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी भी गांव सभा को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निर्दिष्ट दिनांक से राज्य सरकार के निमित्त तथा उसकी ओर से ऐसी भूमियों तथा वस्तुओं, (जिसके अन्तर्गत ऐसे वन और अकृषित (uncultivated) भूमि है जो किसी खातेदार की न हो), जिन्हें नियत किया जाय, के सामान्य अधिक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११८ से १२८ तक का लागू किया जाना

३७—जब धारा ३० के अधीन कोई गांव सभा किसी क्षेत्र की भूमियों तथा वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबंध, संरक्षण तथा नियंत्रण से भारित की जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से १२८ तक के, और उक्त अधिनियम की धारा १२८ के अधीन निर्मित तत्संबंधी नियमों के उपबन्ध सम्बद्ध क्षेत्र पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी भी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी ।

खातेदारों के वर्ग

३८—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों (tenure-holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे:—

(१) भूमिधर,
(२) सीरदार, और
(३) असामी ।

भूमिधर

३९—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन भूमिधरों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों, अर्थात्

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ८ के अधीन भूमिधर हो जायेंगे;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसने धारा ३१ के अधीन भूमिधर के अधिकार खरीद लिये हों;

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या अधीन किसी अन्य प्रकार से भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर लें ।

सीरदार

४०--ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को--

(क) जो भूमिधर के अधिकार, आगम और स्वत्वों की अध्याप्ति के फलस्वरूप धारा ३३ के अधीन सीरदार हो जाए ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी जाय ;

(ग) जो इस अधिनियम तथा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर लें;

वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों ।

वह भूमि जिसमें सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे

४१---धारा ४० में किसी बात के रहते हुये भी निम्नलिखित भूमि में सीरदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे--

(क) पशुचर भूमि (pasture lands) या ऐसी भूमि, जो जलमग्न हो और [जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज] जल में उत्पन्न होने वाली चीजें पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि, जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो;

(ख) अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) खेती के ऐसे भूखंड (tracts) जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे; [और]

(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गई है, और

(घ) ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के किसी काम के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में हो , और जिसके विषय में राज्य सरकार ने इस बात का प्रख्यापन भी कर दिया हो अथवा जो लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४, संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई० या १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट,

या इस अधिनियम से भिन्न सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि हस्तगत करने (acquisition) से सम्बद्ध किसी दूसरे विधायन (enactment) के अधीन हस्तगत की गयी हो।

स्पष्टीकरण—पद 'टौंगिया रीति से वन लगाने' का तात्पर्य वन लगाने की उस रीति से है जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ लगाने के साथ साथ खेती की फसलें भी बोई जाती हैं और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जायं जिससे खेती की फसलों को बोना असंभव हो जाय।

असामी

४२—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों, अर्थात्

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ९ अथवा धारा ३३ के खंड (ख) के अधीन असामी बन जाता हो;

(कक) (१)—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा ४१ के खंड (घ) में अभिदिष्ट भूमि पर काश्तकाराना कब्जा हो, और,

(२) ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में बाग भूमि हो, किन्तु जो स्वयं बागदार न हो,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते (holdings) के अन्तर्गत भूमि पट्टे पर उठा दी हो,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे गांव सभा ने या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा ४१ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो, और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी और रीति से अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५० के अध्याय ८ व १० के उपबन्धों का लागू होना

४३—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं १३४ से १३९, १४२, १४६, १५२–१९५, १९७ से २११, २१२-ख, २१२-ग, २१३ से २३०, २३२ और २४१ से २९४ और उक्त अधिनियम की धारा २३० और धारा २९४ के अधीन बनाये गये नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उस क्षेत्र पर लागू होंगे, जिससे धारा ४ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति का सम्बन्ध हो, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और जिनसे मूल तत्वों पर प्रभाव न पड़ता हो तथा एसे किसी भी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी ।

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ का लागू होना

४४--(१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू है, निश्चित दिनांक से निरस्त हो जायगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९५१

[४४--(१)] (२) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध जैसे कि वे १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा संशोधित हुए हैं, और तदन्तर्गत निर्मित नियम या विनियम या दी गयी आज्ञायें आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस क्षेत्र पर लागू होंगी जिससे धारा ४ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति का सम्बन्ध है, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

[(२)] (३) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी हो जायगी ।

४४-क--ऐसा असामी जिस पर धारा ९ का खंड (ङ) लागू होता हो, निर्दिष्ट दिनांक (specified date) से अठारह महीने के भीतर परगने के अवधायक (in-charge) असिस्टेंट कलेक्टर को उस भूमि का जिसका वह असामी हो, कब्जा दिलाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है ।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

अधिकारियों की नियुक्ति

४५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है :--

(क) सहायक प्रतिकर आयुक्त (Assistant Compensation Commissioner) तथा

(ख) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officer) ।

(२) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त कुमायूं डिवीजन का प्रतिकर आयुक्त होगा ।

अधिकार और कर्तव्य

४६--(१) प्रतिकर आयुक्त और सहायक प्रतिकर आयुक्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों के कार्य की देखरेख तथा अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं ।

(२) प्रतिकर अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अथवा तदन्तर्गत बने नियमों द्वारा या उनके अधीन उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों ।

४७—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धाराओं ३२१ से ३३६, ३३८ तथा ३४१ से ३४४ के और उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, कुमायूं डिवीजन पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और ऐसे प्रत्येक अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ के अध्याय १२ की कुछ धाराओं के उपबन्धों का कुमायूं में लागू होना

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

४८—धारा ४३, ४४ अथवा ४७ के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा इस प्रकार दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम से कम १४ दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी तथा उसमें ऐसे परिष्कार किये जा सकेंगे जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें कि वह इस प्रकार रक्खी जाय।

धारा ३४, ३५ या ३८ के अधीन दी गयी आज्ञाएं राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायेंगी

४९—(१) जब इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ के ठीक पहले कुमायूं डिवीजन में भौमिक अधिकारों (land tenures) से सम्बद्ध कोई विधि प्रवृत्त हो तो ऐसी विधि का उतना अंश जितना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, उक्त दिनांक से तथा उस सीमा तक जिस तक धारा १ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन यह अधिनियम प्रवृत्त हो, निरसित हो जायेंगे, तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस प्रकार निरसित विधि पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियम हों।

निरसन (repeals)

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त खंडों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये निम्नलिखित विधायन (enactments) जहां तक कि वे ऐसे क्षेत्रों में लागू होते हैं जिनमें यह अधिनियम लागू होगा या है, निश्चित दिनांक से निर्वतित हो जायेंगे और एतद्द्वारा निर्वतित किये जा रहे हैं:

(१) यू० पी० एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट, १९३४,

(२) यू० पी० रेगुलेशन आफ रेमिशन्स ऐक्ट, १९३८,

(३) यू० पी० लैण्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट, १९४७,

(४) टेहरी-गढ़वाल भूमि संबंधी अधिकार नियम, १९४१,

(५) शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट आफ १८७४ के अधीन बने कुमायूं टेनेन्सी रूल्स,

(६) कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस अधिनियम के अधीन किसी व्याख्या, कार्यवाही या कार्य के लिये यह आवश्यक हो कि वह कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५४ अथवा टेहरी-गढ़वाल भूमि संबंधी अधिकार नियम, १९४१ के उपबन्धों के अनुसार किया जाय तो उक्त व्याख्या, कार्यवाही अथवा कार्य उसी प्रकार किया जा सकेगा मानो उक्त अधिनियम इस अधिनियम द्वारा निवर्तित न हुआ हो।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार।

४९—क—(१) यह सम्भव है कि वर्तमान विधि के निदेशों के स्थान पर इस अधिनियम के निदेशों को ग्रहण करने में कठिनाइयां उत्पन्न हों;

इसलिये राज्य सरकार इस संक्रान्ति (transition) को सुकर बनाने की दृष्टि से आज्ञा द्वारा :

(क) निदेश कर सकती है कि यह अधिनियम अथवा यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ जैसा कि वह कुमायूं डिवीजन में लागू है अथवा भौमिक अधिकारों के संबंध में रखने वाली किसी अन्य विधि (any other law relating to land tenure) के कोई निदेश आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट निश्चित अवधि के लिये और उसमें दिये हुए क्षेत्रों में एतद्-द्वारा निर्दिष्ट अनुकूलन और परिष्कार के साथ सप्रभाव होंगे,

(ख) उपर्युक्त किसी कठिनाई को दूर करने के लिये आज्ञा में निर्दिष्ट अन्य अस्थायी निदेश बना सकती है।

(२) इस धारा के अधीन कोई आज्ञा निश्चित दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति पर किसी क्षेत्र के संबंध में न दी जायगी।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों (both Chambers of the State Legislature) के सामने रखी जायगी।

नियम बनाने के अधिकार।

५०—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) धारा ४ के अधीन भूमि तथा स्वत्वों के निहित होने के पूर्व की कार्यवाहियां,

(ख) धारा ५ के अधीन स्थगित वादों (suit) और कार्यवाहियों का निस्तारण,

(ग) धारा १० के अधीन, भूमि तथा स्वत्वों पर अधिकार करने से संबद्ध विषय,

(घ) वह रीति तथा प्रपत्र जिसमें धारा १७ के अधीन प्रतिकर विवरण (compensation statement) तैयार किया जायगा,

(ङ) विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं ।

(३) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने के अधिकारों के विषय में यह समझा जायगा कि उनके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने के अधिकार भी हैं ---

(१) ऐसी कालावधि निर्धारित करना जिसमें नियमों के प्रयोजनार्थ की जाने वाली बातें कर ली जायं; चाहे निर्धारित कालावधि बढ़ाने के लिये नियमों में उल्लिखित किसी अधिकारी को अधिकार देकर अथवा न दे कर,

(२) ऐसे मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों, वादों अथवा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(३) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी (officer) या प्राधिकारी (authority) के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया (procedures),

(४) उन मामलों (cases) में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, ऐसी अवधि निर्धारित करना जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जा सकें,

(५) उन मामलों में जिनके लिये अधिनियम में तदर्थ कोई विशेष व्यवस्था न की गई हो इस अधिनियम के अधीन वादों, अपीलों और प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अदा किये जाने वाले शुल्क,

(६) इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों, अपीलों और कार्यवाहियों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्ध लागू करना,

(७) राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation),

(८) कार्यवाहियों का एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे के यहां स्थानान्तरण ।

(४) नियम बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार इस शर्त के अधीन हैं कि नियम पूर्व प्रकाशन के उपरान्त ही बनाये जायेंगे ।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम गजट में प्रकाशित होंगे और यदि कोई वाद का दिनांक निश्चित न कर दिया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बन जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिनों तक रखे जायेंगे और उनमें ऐसे समस्त परिष्कार किये जा सकेंगे, जिन्हें विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हों।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे परिष्कार सहित, जो आवश्यक समझे जायं तथा जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, कुमायूं में लागू करने की व्यवस्था है। किन्तु ऐसा अनुभव हुआ है कि उस अधिनियम को बिना उसमें सारवान परिवर्तन किये हुये कुमायूं में लागू करना सम्भव नहीं है। अतएव सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का निश्चय किया है।

२—इस विधेयक में निम्नलिखित विशेषताएं हैं :—

(१) प्रतिकर अदा करने पर हिस्सेदारों के अधिकारों की अध्याप्ति,

(२) कुमायूं में ऐसे भौमिक अधिकारों को पुरःस्थापित करना जो १९५० ई० के जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, राज्य के शेष भागों में पुरःस्थापित भौमिक अधिकारों के यथासम्भव अनुरूप हों, और

(३) अन्ततः सबसे कमजोर श्रेणी के कृषकों को स्थायी अधिकारों का प्रदान।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

विधान भवन

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७३६ 'घ')

उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत-चकबंदी, अधिनियम, १९५३, को संशोधित करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात प्रतीति होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३, को जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, संशोधित किया जाय ;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ ।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है---

१---यह अधिनियम 'उत्तर प्रदेश जोत-चकबंदी (संशोधन) अधिनियम, १९५८,' कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम ।

२---मूल अधिनियम की धारा ३ में---

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४, की धारा ३ का संशोधन ।

(१) खण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(१) 'सहायक चकबंदी अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थित में नियुक्त करे ।"

(२) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(२) 'चकबंदी' का तात्पर्य एक कटक की जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने-अपने खाते अधिक संहत हो जायं ।

स्पष्टीकरण---इस खंड के प्रयोजनों के लिये, जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :

[१] वह भूमि जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पहले के कृषि-वर्ष में बाग थी ;

[२] वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो ;

[३] १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १३२ में उल्लिखित भूमि ।

उ०प्र० अधिनियम १,१९५१।

[४] ऐसे संहत क्षेत्र जो सामान्यतः दीर्घकाल तक जल-प्लावित रहते हों ;

[५] ऊसर, खल्लर तथा रिहला के गाटों से बना कोई संहत क्षेत्र, जिसमें उस क्षेत्र के अन्दर की कृषि-भूमि भी है :

[६] पान, गुलाब, बेला, चमेली-वर्ग (Jasmine) तथा केवड़ा उपजाने के लिये प्रयुक्त भूमि ; तथा

[७] ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबंदी संचालक चकबंदी के प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त प्रख्यापित करे।"

(३) खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (२—१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाये—

"(२—१-क) 'चकबंदी-क्षेत्र' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिये धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो, किन्तु इसमें उसके वे भाग सम्मिलित न होंगे जिन पर १९५० ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्ध लागू न हों।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(४) खंड (२—क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२-क) 'चकबंदी समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियत रीति से संघटित की जाय।"

(५) खंड (२-क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (२-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२-ख) 'चकबंदी-लेखपाल' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे, तथा चकबंदी क्रियाओं के अधीन-क्षेत्रों में यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अन्तर्गत हैं।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९०१।

(६) खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) 'चकबंदी अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे।"

(७) खण्ड (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३-क) 'चकबंदी-कर्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी-कर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे।"

(८) खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(४) 'चकबंदी संचालक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी संचालक के अधिकारों का

प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे और अतिरिक्त चकबंदी संचालक तथा संयुक्त चकबंदी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं ।"

(९) खण्ड (४) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (४–क) (४–ख) तथा (४–ग) के रूप में बढ़ा दिये जायं––

"(४–क) 'उप–संचालक चकबंदी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार चकबंदी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे, जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायं तथा जिला उप–संचालक चकबंदी और सहायक चकबंदी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं ।"

"(४–ख) 'जिला उप–संचालक चकबंदी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो ।"

"(४–ग) 'जोत' का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हों ।"

(१०) खंड (५) में शब्द "और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है" तथा उनके पश्चात् आने वाले "कोलन डैश" के स्थान पर "पूर्ण विराम" रख दिया जाय और उसके बाद के उप–खंड (क) तथा (ख) निकाल दिये जायं ।

(११) खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(८) किसी लेख्य के सम्बन्ध में 'कटक में प्रकाशन' या 'कटक प्रकाशित करना' का तात्पर्य डुग्गी पीटकर पूर्वसूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़कर सुनाने तथा कटक में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी रूढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिये चकबंदी–समिति संघटित हो गई हो तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकाशन के तथ्य की अलग–अलग सूचना भी दी जायगी ।"

(१२) खण्ड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(९) 'बन्दोबस्त अधिकारी–चकबंदी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे तथा अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी–चकबंदी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी–चकबंदी भी इसके अन्तर्गत हैं ।"

(१३) खण्ड (११) में शब्द "यदि प्रसंग से कोई अन्य तात्पर्य न निकलता हो तो" तथा "उसका अधिवासी, और" निकाल दिये जायं।

(१४) खंड (११) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (११–क) के रूप में बढ़ा दिया जाय––

"(११–क) 'कटक' का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग से है और, यदि चकबंदी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञापित करे तो, ऐसे दो या अधिक गांव अथवा उनके भागों से है, जिसके या जिनके लिये चकबंदी की एक ही योजना बननी है।"

(१५) खंड (१२) में––

(१) उप–खंड (क) में आने वाले अंक तथा शब्द "१९०१ में" तथा "पारिभाषित" के बीच में शब्द "प्रयुक्त अथवा" बढ़ा दिये जायें ;

(२) उप–खंड (ख) में आने वाले शब्द "किन्तु जिनकी पारिभाषा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में की गयी है" के स्थान पर शब्द "किन्तु जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त अथवा पारिभाषित हैं" रख दिये जायं ; तथा

(३) अन्तिम पंक्ति में आने वाले शब्द "जिनमें वे" तथा "पारिभाषित हैं" के बीच में शब्द "इस प्रकार प्रयुक्त या" बढ़ा दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४ का संशोधन।

३––मूल अधिनियम की धारा ४ में––

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) राज्य सरकार जब कभी किसी जिले अथवा इसके किसी भाग में चकबंदी-क्रिया आरम्भ करने का निश्चय करे तो वह इस आशय का प्रख्यापन जारी कर सकती है।"

(२) उपधारा (२) में शब्द "या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव" के स्थान पर शब्द "के प्रत्येक कटक" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ५ का संशोधन।

४––मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"५––सरकारी गजट में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा ५२ के अधीन अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन, जैसी भी दशा हो, विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, प्रख्यापन से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे––

प्रख्यापन का प्रभाव।

(क) जिला अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, निर्दिष्ट दिनांक से चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और अधिकार अभिलेख (record of rights) का रख-रखाव तथा प्रत्येक गांव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी

का कार्य जिला उप-संचालक—चकबंदी करेगा, जो कि उनका रखरखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो नियत रीति से करेगा ;

(ख) (१) अभिलेखों के संशोधन की सभी कार्यवाहियां तथा भूमि में अधिकारों तथा स्वत्वों के प्रख्यापन अथवा भूमि के कब्जे या विभाजन के लिये सभी वाद जो प्रारंभिक अथवा अपील अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, स्थगित हो जायेंगे किन्तु उक्त कार्यवाहियों अथवा वादों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को उस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार चकबंदी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के प्रभावित व्यक्तियों क अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(२) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में भूमि में ऐसे अधिकार अथवा स्वत्व के सम्बन्ध में चकबंदी प्राधिकारियों की उपपत्तियां उस प्राधिकारी अथवा न्यायालय को मान्य होंगे जिसके समक्ष कार्यवाही अथवा वाद विचाराधीन था और वह सम्बद्ध पक्षों से उनकी सूचना मिलने पर कार्यवाही अथवा वाद में, जैसी भी दशा हो, आगे कार्यवाही करेगा ; तथा

(ग) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी—विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त अधिकारी की लिखित पूर्व-प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार :—

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ ।

(१) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य-संवर्धन तथा कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित हैं, से असंबद्ध प्रयोजन क लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा; और

(२) न चकबंदी क्षेत्र में सम्मिलित अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग को विक्रय, दान अथवा विनिमय द्वारा हस्तान्तरित करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये करता रह सकता है जिसके लिये कि धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था ।"

५—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ६ का संशोधन ।

"(२) जब उपधारा (१) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध में प्रख्यापन रद्द कर दिया गया हो तो वह क्षेत्र, यदि उक्त रद्द करने के दिनांक से पहले पारित तथा भूमि-अभिलेखों में संशोधन से संबद्ध कोई अन्तिम आज्ञा हो तो उसके अधीन रहते हुये, रद्द करने के दिनांक से चकबंदी क्रियाओं के अधीन न रह जायगा ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ७ से १२ तक का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारायें ८,७,९,१०,१०-क, १०-ख, ११ तथा १२ निकाल दी जायं।

७—मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा ७, ८,९,१०,११,११-क, ११-ख, १२, १२-क, १२-ख, १२-ग तथा १२-घ के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

गांव के नक्शे का पुनरीक्षण।

"७—कटक के प्रत्येक गांव अथवा उसके भाग के अभिलेखों के पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से तथा यहां आगे दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जिला उप-संचालक चकबंदी कटक की चकबंदी योजना की तैयारी प्रारम्भ करने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा।"

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण।

"८—धारा ७ के अधीन गांव के नक्शों के पुनरीक्षण के पश्चात् जिला उप-संचालक चकबंदी यहां आगे दिये हुये उपबंधों के अधीन रहते हुये खेतवार पड़ताल, तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण एवं उसकी जांच के पश्चात् कटक के खसरे तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण करवायेगा। वह कटक में आने वाले गाटों से सम्बद्ध एक विवरण भी तैयार करवायेगा जिसमें खेतवार पड़ताल, तथा चालू वार्षिक रजिस्टर के निरीक्षण एवं उसकी जांच के दौरान में मिली अशुद्धियां तथा विवाद दिखलाये जायेंगे।"

अभिलेखों का परिशोधन।

"९—(१) धारा ८ में उल्लिखित विवरण के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी लिपिक अशुद्धियों को, यदि कोई हों तो, सही करने के पश्चात् संबद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को चालू वार्षिक रजिस्टरों के सम्बद्ध उद्धरणों सहित नोटिस भेजेगा, जिसमें धारा ८ के अन्तर्गत पाई गई अशुद्धियां और विवाद प्रदर्शित होंगे और उनसे यह कहा जायगा कि नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी आपत्तियां, यदि कोई हों, तो उसके समक्ष प्रस्तुत करें जिनमें उद्धरणों के इन्दराजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में विवाद हो तथा यदि कोई लुप्ति रह गई हो तो वह भी बतलाई गई हो।

(२) सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध फरीकों की सुनवाई करने के पश्चात् अथवा जब कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो तो ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने समक्ष उपस्थित होने वाले फरीकों में यथाशक्ति समझौता करा कर विवाद-ग्रस्त इन्दराजों और शुद्धियों को ठीक करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार किये गये समझौते के आधार पर आज्ञा पारित करेगा। इस प्रकार कार्य करता हुआ सहायक चकबंदी अधिकारी, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, समर्थ न्यायालय माना जायगा।

(३) सहायक चकबंदी अधिकारी शेष विवाद-ग्रस्त मामलों को, प्रत्येक पर अपनी रिपोर्ट देते हुये, चकबंदी अधिकारी के पास एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से निस्तारण के लिये भेज देगा।"

विवाद-ग्रस्त मामलों का निस्तारण।

"१०—(१) धारा ९ की उपधारा (३) के अधीन विवाद-ग्रस्त मामलों की प्राप्ति पर, चकबंदी अधिकारी :

(क) सम्बद्ध फरीकों को नोटिस भेजेगा जिसमें कि उनसे उसमें निश्चित दिनांक और स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये कहेगा ;

(ख) सम्बद्ध फरीकों की सुनवाई करेगा और जहां साक्ष्य दिया जाय वहां उसे लिखेगा तथा आपत्तियों का निर्णय करेगा, मानो कि वह समर्थ न्यायालय हो, भले ही तत्समय प्रचलित किसी विधि में कोई विपरीत बात हो।

(२) वार्षिक रजिस्टर धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी की तथा उपधारा (१) के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किये जायेंगे।"

अपीलें

"११—(१) सहायक चकबंदी अधिकारी की धारा ९ के अधीन अथवा चकबंदी अधिकारी की धारा १० के अधीन, जैसी भी दशा हो, आज्ञा से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक के ३० दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो निर्णय, उपधारा (२) में की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, अंतिम होगा और जिस पर किसी भी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला उपसंचालक-चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और जिला उप-संचालक चकबंदी अथवा अन्य कोई ऐसा उप-संचालक चकबंदी जिसे चकबंदी संचालक इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करें, सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो निर्णय, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़ कर अंतिम होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(३) तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, उपधारा (१) के अधीन अपील को सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी तथा उपधारा (२) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला कोई उप-संचालक चकबंदी समर्थ न्यायालय समझा जायगा।"

"११—(क) किसी चकबंदी क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के सम्बन्ध में आपत्तियों पर कोई प्रश्न जो धारा ९ के अधीन उठाया जा सकता था तथा उठाया जाना चाहिये था, परन्तु नहीं उठाया गया, भविष्य में चकबंदी कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर नहीं उठाया जायगा न सुना जायगा।"

आपत्तियों पर रोक।

"११—(ख) इस प्रकार से पुनरीक्षित अभिलेख कटक में प्रकाशित किये जायेंगे।"

पुनरीक्षित अभिलेखों का प्रकाशन।

"१२—(१) धारा ११—ख के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा संक्रमणों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिये तब वाद—कारण विद्यमान नहीं था जब धारा ७ से १० तक की कार्यवाहियां प्रारम्भ हुई थीं अथवा चल रही थीं, जब वह उत्पन्न हो तो सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किन्तु धारा ५२ अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तन तथा संक्रामणों से संबंद्ध मामलों का निर्णय।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई मामला उठाया जाय तो धारा ७ से ११ तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

"१२—(क) (१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुये—

नयी जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भागों पर मालगुजारी, का वितरण।

(१) इस अधिनियम की धारा ७ से ११ तक और १२ के अधीन पारित आज्ञाओं के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि में अधिकारों के निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है, तथा

(२) जहां आवश्यक हो वहां खातेदार की जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।" उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

"१२-ख—(१) चकबंदी अधिकारी—

संयुक्त खाते का विभाजन—

(१) स्वमेव, धारा ११-ख के अधीन पुनरीक्षित अभिलेखों के प्रकाशन के पश्चात् किसी समय, किन्तु अध्याय ३ के अधीन कटक की चकबंदी की योजना तैयार होने से पहले ; और

(२) संयुक्त खातेदारों में से किसी के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा ऐसे निरोधों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायं, धारा ११-ख के अधीन पुनरीक्षित अभिलेखों के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के भीतर, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १७८ में अथवा किसी बात के अथवा तत्समय प्रचलित किसी विपरीत विधि के होते हुये भी, दो या दो से अधिक खातेदारों के नाम अभिलिखित जोत का विभाजन कर सकता है। उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(२) चकबंदी अधिकारी लिखित आज्ञा देकर उपधारा (१) के अधीन अपने अधिकारों को प्रतिवाद-हीन मामलों अन्यथा व्यवस्था के विषय में सहायक चकबंदी अधिकारी को सौंप सकता है।"

"१२-ग—यथास्थिति विभाजन सम्बन्धी आपत्तियां। चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी की धारा १२-ख के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक के ३० दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय, इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

"१२-घ—धारा ११-ख के अधीन अधिलेख प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर दो या अधिक खातेदार चकबन्दी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाले अपने खातों को ऐसी शर्तों पर जो उनमें आपस में तय हों संयोजित करने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। दो या अधिक खातेदारों के गाटों का संयोजन।

यदि प्रस्तावित संयोजन कटकों की चकबन्दी की सामान्य योजना के विपरीत न हो तो चकबन्दी अधिकारी उस कार्यान्वित करेगा।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १३ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १३ के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ख-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(ख-१) धारा १३—ग में अभिदिष्ट गाटों के मूल्यांकन का विवरण।"

नई धारा १३-क, १३-ख, १३-ग, तथा १३-घ का बढ़ाया जाना।

९—धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १३—ग, १३—ख, १३-ग तथा १३-घ के रुप में बढ़ा दिया जाय :

जोतों की चकबन्दी का आधार।

"१३-क—(१) जोतों की चकबन्दी गाटों के मूल्यांकन के आधार पर की जायगी।

(२) चकबन्दी समिति के परामर्श से तथा उत्पादन शक्ति, सिंचाई सुविधाओं की उपलभ्यता यदि कोई हो, तो और स्थिति पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसे अन्य सिद्धान्तों के अनुसार और ऐसी रीति से जो इस संबंध में नियत की जाय प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन अवधारित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट किये जानेवाली जोत या जोतों का क्षेत्रफल किसी भी दशा में, चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा के बिना उसकी मूल जोत अथवा जोतों के, जैसी भी दशा हो, क्षेत्रफल से २५ प्रतिशत से अधिक अन्तर वाला नहीं होगा।"

किसी कटक के क्षेत्रफल का विभाजन तथा वृक्षों आदि के निमित्त प्रतिकर का अवधारण।

"१३-ख—चकबन्दी के प्रयोजनों के लिये, चकबन्दी-समिति के परामर्श से, सहायक चकबन्दी अधिकारी—

(क) उगने वाली फसलों की किस्म और संख्या तथा यथा-नियत अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक कटक के क्षेत्र को तीन से अनधिक समांग हारों में (Homogenious blocks) विभक्त करेगा ; तथा

(ख) खातेदार की जोत के वृक्षों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर नियत रीति से अवधारित करेगा।"

गाटों के मूल्यांकन का विवरण।

"१३-ग—(१) चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत कटक के प्रत्येक गाटे के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत आकार में एक विवरण (जिसे एतत्पश्चात गाटों के मूल्यांकन का विवरण कहा जायगा), तैयार करवायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन ;

(ख) वृक्षों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन ;

(ग) हारों का विवरण ; और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया गाटों के मूल्यांकन का विवरण कटक में प्रकाशित किया जायगा और उनका संबद्ध उद्धरण प्रत्येक खातेदार के पास उद्धरण के इन्दराजों के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करने वाले नोटिस के सहित भेजा जायगा ।

(३) प्रत्येक खातेदार जिसे उपधारा (२) के अधीन उद्धरण भेजा गया हो तथा उससे संभवतया प्रभावित होने वाला अन्य कोई व्यक्ति गाटों के मूल्यांकन के विवरण के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, उसके विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है ।

(४) सहायक चकबन्दी अधिकारी इन अपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी को भेजेगा, जो कि चकबन्दी समिति के परामर्श से, और जहां आवश्यक हो वहो गाटों का स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात्, आपत्तियां निर्णीत करेगा ।

(५) उपधारा (४) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और उसका इस संबंध में निर्णय, इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, अंतिम होगा ।"

"१३-घ--सहायक चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक खातेदार की समस्त जोतों का एक विवरण तैयार करवायेगा जिसमें एक ही स्थान पर निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे--

जोतों का विवरण

(१) चकबन्दी से वर्जित क्षेत्र ;

(२) प्रत्येक हार में चकबन्दी के अधीन क्षेत्र, धारा १३-क के अनुसार अवधारित मूल्यांकन सहित ;

(३) प्रत्येक का लगान या मालगुजारी ;

(४) उसके खाते या खातों का कुल क्षत्रफल और कुल मूल्यांकन ; और

(५) ऐस अन्य व्योरे जो नियत किये जायं ।"

१०--मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १४ का संशोधन ।

"१४--(१) चकबन्दी-क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति के परामर्श से एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे 'सिद्धान्तों का विवरण' कहा गया है) जिसमें वे सिद्धान्त लिखित होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी-क्रियाओं के करने में किया जायगा ।

सिद्धान्तों का विवरण ।

(२) सिद्धान्तों के विवरण में निम्नलिखित भी होंगे--

(क) क्षत्रों के व्योरे, जहां तक वे इस स्तर पर निश्चित किये जा सक, जो आबादी के प्रसार के लिये, जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों और भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आबादी के स्थल भी हैं, तथा अन्य ऐसे सार्वजनिक प्रयोजनों क लिये, जो नियत किये जायं, विनिर्दिष्ट हो,

(ख) आधार जिन पर खातेदार आबादी के विस्तार और सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि देंगे, और

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(ग) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की या ११७ या ११७-क के अधीन यथा स्थिति गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली भूमि।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १५ का निकाला जाना।

११--मूल अधिनियम की धारा १५ निकाल दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १६ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) में शब्द "विवरण" तथा " में प्रकाशित" के बीच में आने वाले शब्द "गांव" के स्थान पर शब्द "कटक" रख दिया जाय तथा शब्द " और इसकी एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायगी" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १६-क तथा १६-ख का निकाला जाना।

१३--मूल अधिनियम की धाराएं १६-क तथा १६-ख निकाल दी जायं।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १७ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (३) में शब्द "कर सकते हैं" के स्थान पर शब्द "करेंगे" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १८ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१८--बस्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी:

(१) जब सिद्धान्तों के विवरण पर धारा १६ के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय तो संबद्ध कटक का स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् और ऐसे परिष्कार अथवा परिवर्तन करने के पश्चात् जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप आवश्यक समझे जायं ;

(२) जब आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तब धारा १७ के अधीन पारित अंतिम आज्ञाओं के आधार पर सिद्धान्तों के विवरण को पुष्ट करेगा जो तत्पश्चात् कटक में प्रकाशित किया जायगा।"

१६—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १९ का संशोधन।

"१९—(१) धारा १८ के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के पुष्टीकरण के पश्चात् यथाशीघ्र सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से तथा धारा १३-घ के अधीन निर्मित विवरण के तथा सिद्धान्तों के विवरण के आधार पर तथा उपधारा (२) में उल्लिखित सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुये एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा।

प्रस्तावों का विवरण।

(२) प्रस्तावों का विवरण तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों का ध्यान रक्खेगा :

(क) संचालक, चकबन्दी की मंजूरी के बिना किसी खातेदार को प्रदिष्ट किये जाने वाले चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक न होगी ;

स्पष्टीकरण—कोई भी चकबन्दी चाहे वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या पश्चात् केवल इसलिये अवैध न मानी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक है ;

(ख) छोटे खातेदार को यथासंभव कम चक दिये जायंगे ;

(ग) प्रत्येक खातेदार को प्रत्येक हार में उस स्थान पर जहां उसकी जोत का सबसे बड़ा भाग हो यथासंभव संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जायगा तथा उसका मूल्यांकन लगभग उतना ही होगा जितना कि उसके द्वारा अधिकृत उस हार के गाटे का था;

(घ) एक ही परिवार के खातेदारों को यथासंभव पास-पास चक दिये जायंगे;

(ङ) प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव वह गाटा दिया जायगा जिसमें उसका निजी सिंचाई का साधन अथवा अन्य कोई समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके पास के अन्य ऐसे गाटे भी रहेंगे जो उसके अधिकार में हों।

(३) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत आकार में प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:

(क) कटक में खातेदार के अधिकार के पहिले के गाटों तथा उसको प्रदिष्ट करने के लिये प्रस्तावित गाटों के व्योरे;

(ख) वृक्षों, कुओं तथा अन्य सुधारों के लिये नियत रीति से अवधारित प्रतिकर ;

(ग) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र ; और

(घ) ऐसे अन्य व्योरे जो नियत किये जायं।

(४) प्रस्तावों के विवरण के साथ-साथ कटक का एक नक्शा भी होगा जिसमें गाटों की प्रस्तावित प्रदेशना भी प्रदर्शित रहगी।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(५) इस अधिनियम, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिये, जहां उसे ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह मूल्यांकन अवधारित करने के पश्चात् कृषि योग्य बंजर भूमि या कोई अन्य भूमि जो १९५० ई० क उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ तथा ११७-क के अधीन विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव समाज या किसी स्थानिक आधिकारिकी (Local Authority) में निहित हो, अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त कोई भूमि किसी खातेदार को उसकी जोत का भाग बनाने के लिये प्रदिष्ट करे।

(६) जब किसी गांव समाज अथवा स्थानिक आधिकारिकी में निहित भूमि उपधारा (४) के अधीन किसी खातदार को प्रदिष्ट की जाय तो यह समझा जायगा कि :

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१।

(१) राज्य सरकार ने वह भूमि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की, यथा स्थिति, धारा ११७ या ११७-क के उपबन्धों के अधीन वापस ले ली है, और राज्य सरकार द्वारा, यथा-स्थिति गांव समाज या स्थानिक आधिकारिकी को उसके द्वारा की गई समुन्नति के, यदि कोई हो तो, जो उस भूमि में या उस पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो, के उपलक्ष में प्रतिकर दिया जायगा ;

(२) उस भूमि का उन खातेदारों के साथ बन्दोबस्त किया गया समझा जायगा जिनको वह उस भूमि में या पर की गयी समुन्नति के लिये प्रतिकर, जिसका अवधारण नियत रीति से किया जायगा, देने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रदिष्ट की गयी हों।

(७) जब कभी प्रस्तावों का विवरण तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी को यह आवश्यक प्रतीत हो कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये प्रयुक्त भूमि को जोत में सम्मिलित करना आवश्यक है तो वह इस आशय का प्रख्यापन करेगा जिसमें यह भी कहा जायगा कि जनता तथा अन्य समस्त व्यक्तियों के उस भूमि में अधिकारों को विवरण में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट भूमि में संक्रामित करने का प्रस्ताव है तथा जब कभी इस प्रकार से अधिकार संक्रामित किये जायं तब वे उस भूमि में समाप्त हो जायंगे जिससे वे संक्रामित किये जायं तथा उस भूमि में उत्पन्न हो जायंगे जिसको वे इस प्रकार संक्रामित किये जायं।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २० का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा २० में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "गांव" के स्थान पर शब्द "कटक" रख दिया जाय;

(२) उपधारा (२) में शब्द "सहायक चकबन्दी अधिकारी" तथा "के समक्ष" के बीच में शब्द "अथवा चकबन्दी अधिकारी" रख दिये जायं ; तथा

(३) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "उपधारा (१) के खंड (ङ) और उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (६) और उपधारा (७)" रख दिये जायं।

१८—मूल अधिनियम की धारा २१ में—

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियां तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायंगी, जो कि एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से संबद्ध फरीकों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ ही साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निस्तारित करेगा;"

(२) उपधारा (२) में अंक "१५" के स्थान पर अंक "३०" रख दिया जाय।

(३) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) आपत्तियां निर्णीत करने से पहले चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध फरीकों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस दन क पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा अपीलें निर्णीत करने से पहले बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी भी, जहां वह आवश्यक समझ, एसा कर सकता ह।"

(४) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (४), (५) तथा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(४) यदि उपधारा (१) के अधीन आपत्तियां अथवा उपधारा (२) के अधीन अपील की सुनवाई या निस्तारण के दौरान में यथास्थिति चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी की यह राय हो कि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा बनाये गये या तत्पश्चात् चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत किये गये, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तावों के कार्यान्वय से बहुत से खातेदारों के साथ सारवान अन्याय होने की संभावना है और कटक के खातेदारों में भूमि की ठीक और उचित प्रदेशना, बिना उन्हें पुनरीक्षित किये या नये प्रस्तावों का विवरण तैयार किये संभव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, यह वैध होगा कि—

(१) चकबन्दी अधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों के विवरण को खातेदारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनरीक्षित करे या उन्हें सहायक चकबन्दी अधिकारी क पास ऐसे निर्देशों के सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे वापस कर दें ;

(२) बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी अपने समक्ष अपील के रूप में विचाराधीन प्रस्तावों के विवरण को सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनरीक्षित करे अथवा उन्हें ऐसे निर्देशों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे—

(क) चकबन्दी अधिकारी के पास आपत्तियों की फिर से सुनवाई करने के पश्चात् निर्णयार्थ वापस करे, अथवा

(ख) सहायक चकबन्दी अधिकारी के पास धारा १९ के उप-बन्धों के अनुसार नये प्रस्तावों का विवरण तैयार करने के लिये वापस करे।"

"(५) उपधारा (२) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी-चकबन्दी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर जिला उप-संचालक चकबंदी के पास तथ्य के प्रश्न पर अथवा विधि के प्रश्न पर, अथवा दोनों प्रश्नों पर अपील प्रस्तुत कर सकता है, और जिला उप-संचालक चकबन्दी या कोई दूसरा उप-संचालक चकबन्दी जिसे चकबन्दी संचालक ने इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया हो, सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था को छोड़ कर, अंतिम होगा और जिस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

"(६) जब उप-संचालक चकबंदी की उपधारा (५) के अधीन अपील की सुनवाई के दौरान में अथवा अन्य प्रकार से, किन्तु धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् नहीं, यह राय हो कि धारा २३ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पुष्ट प्रस्तावों के विवरण के कार्यान्वय से किसी खातेदार के साथ सारवान् अन्याय होने की संभावना है, तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस मामले में ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा मानों कि वह उपधारा (५) के अधीन प्रस्तुत अपील हो और वह उसे तदनुसार निर्णित करेगा।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २२ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"२२—(१) इस अधिनियम के अधीन तदर्थ नियत कालावधि बीत जाने के पश्चात् भी चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा, जैसी भी दशा हो, धारा २० के अधीन कोई आपत्ति अथवा धारा २१ की उपधारा (२) तथा (४) के अधीन कोई अपील, इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में विपरीत बात के होते हुये भी, ग्रहीत हो सकती है यदि आपत्तिकर्त्ता या अपीलकर्त्ता सम्बद्ध अधिकारी को संतुष्ट कर दे कि यदि आपत्ति या अपील ग्रहीत न होगी तो उसके साथ सारवान् अन्याय होने की संभावना है।

(२) उपधारा (१) के अधीन ग्रहीत न होने पर आपत्ति या अपील की सुनवाई धारा २१ में व्यवस्थित रीति से की जायगी।

(३) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी उपधारा (१) के अधीन कोई भी आपत्ति या अपील --

(i) निम्नलिखित अवस्थाओं में चकबंदी अधिकारी द्वारा नहीं ग्रहण की जायगी :

(क) जब आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तो उनके धारा २१ के अधीन निर्णय के उपरान्त ;

(ख) जब कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो, धारा ३० के अधीन प्रस्तावों के विवरण के प्रकाशन के तीस दिन बाद ;

(ii) बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा धारा २३ के अधीन प्रस्तावों के विवरण के पुष्टीकरण के पश्चात् न ग्रहीत की जायगी ।

२०--मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा २३ का संशोधन।

प्रस्तावों के विवरण की पुष्टि।

"२३--(१) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी प्रस्तावों के विवरण को पुष्ट कर देगा--

(क) यदि धारा २० के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय, या जब उसके द्वारा धारा २२ के अधीन कोई कार्यवाही न की गयी हो, या

(ख) जब ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायं या जब उसके द्वारा धारा २२ के अधीन कार्यवाही की गई हो तो धारा २१ की उपधारा (१) से (५) तक तथा धारा २२ के अधीन पारित आज्ञाओं को देखते हुये आवश्यक परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात्।

(२) इस प्रकार पुष्ट प्रस्तावों का विवरण कटक में प्रकाशित किया जायगा तथा इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़ कर अन्तिम होगी ।

(३) तत्पश्चात् सहायक चकबंदी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा यथापुष्ट प्रस्तावों के विवरण के आधार पर नियत आकार में प्रदेशना की आज्ञायें जारी करेगा ।"

२१--(१) मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २४ का संशोधन।

कब्जा और पेड़ों आदि के लिये प्रतिकर का दायित्व।

"२४--(१) बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी वह दिनांक निश्चित करेगा, जो कटक में विज्ञापित होगा, तथा जिस दिनांक से चकबंदी योजना प्रचलित होगी । उक्त दिनांक को अथवा उसके पश्चात् खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा ।

(२) चकबंदी की योजना के कार्यान्वय के अनुसरण में उसको प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार को पेड़ों, कुओं, तथा अन्य समुन्नतियों के लिये जो उसे प्रदिष्ट की गई हों, यहां पूर्व व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारायें २५,२६ और २६-क का निकाला जाना।

२२--मूल अधिनियम की धारायें २५,२६ और २६-क निकाल दी जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

२३--मूल अधिनियम की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"२७--(१) चकबंदी योजना के प्रवर्तन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जिला उपसंचालक--चकबंदी धारा ११-ख के अधीन प्रकाशित नक्शा, खसरा और वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अंतिम रूप से दी तथा जारी की गई प्रदेशन--आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिये चकबंदी-क्षेत्र का नया नकशा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा। उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, के उपबन्धों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन, जो नियत किये जायं, अनुसरण किया जायगा।

नये माल अभिलेख (New revenue records)।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये नक्शा, खसरा और अधिकार--अभिलेख की सभी प्रविष्टियां अन्तिम एवं निश्चायक होंगी।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

(३) लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन पहले रखे जाने वाले अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख रखेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २९-क संशोधन।

२४--मूल अधिनियम की धारा २९--क की उपधारा (२) में शब्द "उस दिनांक से" के स्थान पर शब्द, "धारा २४ अथवा धारा २८ के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, कब्जा पाने के दिनांक से" रख दिये जायं, और शब्द "जिस पर वह खातेदार, जिससे प्रतिकर की वसूली होनी हो, धारा २६ के अधीन कब्जा पाने का अधिकारी हो," निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २९-ख का संशोधन।

२५--मूल अधिनियम की धारा २९--ख में--

(१) उपधारा (१) में शब्द "नियत रीति से तथा नकदी" निकाल दिये जायं और खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खंड (ग) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(ग) पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों की दशा में, धारा १९ के उपबन्धों के अनुसार अवधारित धनराशि,"

(२) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नई उपधारा (१–क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(१–क) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान, यदि कोई चकबंदी–व्यय हो तो उसके समायोजन के पश्चात्, उसे नकदी में किया जायेगा ।"

२६––मूल अधिनियम की धारा २९–ख के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा २९–ग के रूप में बढ़ा दिया जाय :

नई धारा २९-ग का बढ़ाया जाना ।

"२९–ग––(१) सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि धारा २४ के अधीन विज्ञापित दिनांक से गांव समाज में निहित होगी और ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी जिनके लिये वह चकबंदी योजना में रक्खी गई थी, अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं प्रयुक्त होगी ।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, गांव समाज अपने में इस प्रकार निहित भूमि के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग और ऐसे सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसमें निहित भूमि के सम्बन्ध में उसे दिये गये हों और उस पर आरोपित हों ।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ ।

२७––मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३० का संशोधन ।

"३०––उस दिनांक से जब कोई खातेदार उन गाटों पर जो उसे प्रदिष्ट किये गये हों, धारा २४ अथवा २८ के उपबन्धों के अनुसरण में कब्जा करें, पूर्ववर्ती खातेदार के उक्त गाटों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व तथा उसके (नये खातेदार के) मूल गाटों में उसके अधिकार, आगम, स्वत्व तथा दायित्व समाप्त हो जायेंगे और ऐसे परिष्कारों के, यदि कोई हों तो, अधीन रहते हुये, जो चकबंदी-योजना में निर्दिष्ट किये गये हों, उन गाटों में जो उसे प्रदिष्ट किये गये हों, उसके वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो अपने मूल गाटों में उसके थे और उसे ऐसे वैयक्तिक स्रोत से, जब तक कि वह स्रोत विद्यमान रहे, उन गाटों में सिंचाई की ऐसी अन्य सुविधा भी प्राप्त होगी जिसका उक्त गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार कब्जा बदलने के दिनांक के पहले उपभोग करता रहा था ।"

चकबंदी के पश्चात् अधिकार ।

२८––मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (१) में आये हुये शब्द तथा कामा "ऐसी रीति को छोड़कर जिसके विषय में धारा ३६ में कोई व्यवस्था की गई हो" निकाल दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३६, ३६-क तथा ३७ का निकाला जाना ।

२९--मूल अधिनियम की धारा ३६, ३६-क तथा ३७ निकाल दी जायं ।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४। की धारा ३८ का संशोधन ।

३०--मूल अधिनियम की धारा ३८ में--

(१) उपधारा (१) में शब्द "के सम्बन्ध में" और "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी)" के बीच में आये हुये शब्द "किसी भी" के स्थान पर शब्द और कामा "चकबंदी संचालक, जिला उपसंचालक-चकबंदी" रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३९ का संशोधन ।

३१--मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (१) में अर्ध विराम और शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी)" के बीच में शब्द तथा कामा "चकबंदी संचालक, उपसंचालक-चकबंदी," बढ़ा दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४० का संशोधन ।

३२--मूल अधिनियम की धारा ४० में शब्द "किसी" और शब्द "बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी)" के बीच में शब्द तथा कामा "चकबंदी संचालक, उपसंचालक-चकबंदी" बढ़ा दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन ।

३३--(१) मूल अधिनियम की धारा ४२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४२--चकबंदी क्षेत्र में चकबंदी के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार ऐसी संख्या में अधिकारियों और प्राधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जो अपेक्षित हो ।"

अधिकारी और प्राधिकारी ।

(२) जिला उपसंचालक-चकबंदी, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये जो समय-समय पर चकबंदी संचालक द्वारा जारी किये जायं, चकबंदी लेखपालों, चकबंदी-कर्ताओं तथा उपधारा (१) के अधीन जिले के लिये नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के हल्कों का परिच्छेद कर सकता है ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा ४२-क का बढ़ाया जाना ।

३४--मूल अधिनियम की धारा ४२ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ४२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"४२-क--तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, यदि चकबंदी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी-चकबंदी को सन्तोष हो जाय कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य में कोई लिपिक या गणना-सम्बन्धी भूल प्रत्यक्ष है तो वह या तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, उसको शुद्ध कर देगा ।"

३५—मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४३ का संशोधन।

"४३—जब किसी समय राज्य सरकार इस विषय में सन्तुष्ट हो जाय कि चकबंदी-समिति बिना किसी उचित कारण अथवा निमित्त के इस अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा आरोपित अथवा अभ्यर्पित कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के संपादन में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करने से इन्कार कर दिया है अथवा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गयी है, अथवा अन्य किसी हेतु से ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, या तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक नई चकबंदी-समिति का संघटन कर सकती है, या किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन चकबंदी-समिति के कृत्यों अथवा कर्त्तव्यों का सम्पादन करने के लिये नियुक्त कर सकती है और तब इस अधिनियम के अधीन चकबंदी-समिति के प्रति सभी अभिदेश इस प्रकार पुनःसंघटित चकबंदी-समिति अथवा नियुक्त प्राधिकारी के प्रति, जैसी भी दशा हो, समझे जायेंगे।"

३६—मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४४ का संशोधन।

"४४—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन—

(१) इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है,

(२) इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबंदी संचालक, उप संचालक-चकबंदी, बन्दोबस्त अधिकारी-चकबंदी और चकबंदी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है।"

३७—मूल अधिनियम की धारा ४४ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ४४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा ४४-क की वृद्धि।

"४४-क—जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का पालन करना हो तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्त्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।"

उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निम्नतर प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग।

३८—मूल अधिनियम की धारा ४५ में शब्द तथा संख्या "धारा ४२ की उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४५ का संशोधन।

उ० प्र० अधिनियम ५,१९५४ में नई धारा ४५-क की वृद्धि ।

३९—मूल अधिनियम की धारा ४५ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ४५—क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

धारा ५ का उल्लंघन करने का दंड ।

"४५-क—(१) जो व्यक्ति धारा ५ (ग) (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा सिद्ध-दोष पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो १,००० रु० से अधिक न हो ।

(२) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात होते हुये भी, धारा ५ (ग) (२) के उपबन्धों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य न होगा ।

उ० प्र० अधिनियम ५,१९५४ की धारा ४८ का संशोधन ।

४०—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया:

"४८—चकबंदी संचालक किसी निर्णीत मामले या की गई कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकता है—

(क) स्वयंमेव, जब उसकी राय हो कि उपसंचालक-चकबंदी ने—

(१) ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसमें विधितः निहित नहीं था, अथवा

(२) अपने में निहित अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(३) अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या सारवान् अनियमितता पूर्वक कार्य किया है, तथा जिसके परिणामस्वरूप खातेदार के साथ सारवान् अन्याय हुआ प्रतीत होता हो, अथवा

(ख) खातेदार द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, जब जिला उपसंचालक—चकबंदी प्रमाणित कर दे कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने मामले के निर्णय में अथवा कार्यवाही करने में खंड (क) के उपखंड (१) से (३) तक में उल्लिखित प्रकार की त्रुटि की है और जिसके परिणामस्वरूप खातेदार के साथ सारवान् अन्याय हुआ प्रतीत होता है,

और वह सम्बद्ध फरीकों की सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञायें दे सकता है जो वह उचित समझे ।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ में नई धारा ४८-ख का बढ़ाया जाना ।

४१—मूल अधिनियम की धारा ४८-क के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ४८—ख के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"४८—ख—जब खातेदारों के बीच में, जिनके अन्तर्गत मंडल की भूमि—प्रबंधक समिति भी है, धारा २१ की उपधारा (६) के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणामस्वरूप करने का परिवर्तन आवश्यक हो जाय तो ऐसी आज्ञाओं के अनुसार उनके द्वारा आपस में कब्जे का विनिमय विधि—पूर्ण होगा ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

(२) जब पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे का परिवर्तन न हो सके तब सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसे खातेदारों तथा भमि प्रबंधक समिति को धारा २८ के उपबन्धों के अनुसार कर्जा दिलायेगा।"

४२—मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४९ का संशोधन।

"४९—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उस क्षेत्र में पड़ती हो जिसके लिये धारा ४ के अधीन प्रख्यापन जारी कर दिया गया हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय, अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय, जो चकबंदी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय, उक्त भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, किसी वाद अथवा कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा।"

दीवानी न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक।

४३—मूल अधिनियम की धारा ४९ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ४९-क के रूप में बढ़ा दिया जाय : उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा, ४९-क का बढ़ाना।

"४९-क—कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उक्त अधिनियम में या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसने सद्भावना से किया हो, या उसको करना अभिप्रेत हो।"

इस अधिनियम और तद्धीन बनी नियमावली के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के लिये सुरक्षा।

४४—मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ५० का संशोधन।

"५०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर या वकालतनामे के अतिरिक्त किसी लेख्य पर जो दाखिल किया जाय कोई न्याय-शुल्क देय न होगा।"

न्याय-शुल्क से मुक्ति।

४५—मूल अधिनियम की धारा ५२ में आये हुये शब्द, "गांव में चकबंदी क्रियायें समाप्त कर दी गई हैं, और तदुपरान्त उक्त गांव," के स्थान पर शब्द "कटक में चकबंदी क्रियायें समाप्त कर दी गई हैं और तदुपरान्त उक्त कटक का/के गांव चकबंदी क्रियाओं के अधीन नहीं रहेगा/रहेंगे" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ५२ का संशोधन।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४ में नई धारा ५३,५३-क और ५३-ख का बढ़ाया जाना ।

४६—मूल अधिनियम की धारा ५२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ५३,५३-क और ५३-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :

खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनिमय ।

"५३—बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के लिये यह वैध होगा कि वह चकबंदी-क्रियाओं के किसी स्तर पर, किन्तु धारा २७ के अधीन अन्तिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व, खातेदारों के मध्य चकों या उनके किसी भाग के पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त विनिमय से चकों के आकार में सुधार हो जायेगा अथवा उनकी संख्या में कमी हो जायगी और उन लोगों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक सन्तोष उत्पन्न होगा ।"

खातेदारों द्वारा तैयार की गई चकबंदी योजना की मान्यता ।

"५३-क—(१) उपसंचालक-चकबंदी, किसी गांव के सम्बन्ध में चाहे वह चकबंदी-क्षेत्र में भीतर हो या बाहर गांव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई किसी चकबंदी—योजना को मान्यता दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त योजना सन्तोषजनक है और वह इस अधिनियम के अधीन चकबंदी के सामान्य सिद्धांतों के अनुकूल है तथा उसे संबद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन मान्यता-प्राप्त चकबंदी योजना, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार तथा पुष्ट की गई समझी जायेगी, और उसके अधीन लागू की जायेगी ।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५४ का संशोधन ।

४७—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) धारा ४ के अधीन प्रख्यापन का आकार ;

(ख) धारा ३ के खंड (२—क) के अधीन चकबन्दी समिति का संघटन, चकबंदी समिति के सदस्यों के कार्यकाल का अवधारण तथा उसमें रिक्ति होने पर की जाने वाली कार्यवाही ;

(ग) धारा ५ के अधीन स्थगित वादों और कार्यवाहियों के निस्तारण की प्रक्रिया ;

(घ) नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण से, जिसके अन्तर्गत धारा ७ से ११ और १२ के अधीन अधिकारों का प्रख्यापन भी है, संबद्ध प्रक्रिया तथा धारा १२-ख और १२-घ के अधीन खातों का विभाजन और संयोजन ;

(ङ) नये खातों पर मालगुजारी का अवधारण तथा धारा १२—क के अधीन उसका पुरानी जोतों के भागों पर वितरण ;

(च) धारा १३–क और १३–ख के अधीन गाटों के मूल्यांकन के अवधारण, हारों के निर्माण तथा वृक्षों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के निमित्त प्रतिकर के अवधारण की रीति और प्रक्रिया ;

(छ) धारा १८ और २३ के अधीन सिद्धांतों के विवरण तथा प्रस्तावों के विवरण के निर्माण तथा उनके पुष्टीकरण की प्रक्रिया और रीति ;

(ज) प्रदेशन आज्ञा का आकार तथा धारा २३ के अधीन इसके जारी होने की प्रक्रिया और रीति ;

(झ) एतदर्थ निर्दिष्ट प्रयोजनों पर चकबंदी समिति के विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया और रीति ;

(ञ) उस सार्वजनिक प्रयोजन का अवधारण जिसके निमित्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जायं, और रीति जिसमें यह किया जाय ;

(ट) सार्वजनिक भूमि से उस भूमि में जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो, अधिकारों के संक्रमण से संबद्ध विषय ;

(ठ) धारा २४ और २८ के अधीन कब्जा लेने की प्रक्रिया;

(ड) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले या उससे वसूल किये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की प्रक्रिया और रीति ;

(ढ) चकबंदी व्यय के जिसके अन्तर्गत वह अनुपात भी है जिसके अनुसार उसका वितरण किया जा सकता है, वितरण करने के सम्बन्ध में विचार की जाने वाली परिस्थितियां और विषय ;

(ण) इस अधिनियम के अधीन किसी नोटिस या किसी लेख्य के तामील की जाने की रीति से संबद्ध विषय ;

(त) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र और अपीलें भी हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(थ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(द) उन मामलों में जिनमें यहां पर तत्सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना–पत्रों और अपीलों के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि ;

(ध) किसी प्राधिकारी को निश्चित काल सीमाओं के बढ़ाने का अधिकार देते हुये अथवा न देते हुये काल सम्बन्धी सीमाओं का निश्चय जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के निमित्त कार्य अवश्य किये जाने चाहिये ;

(न) किसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास से दूसरे को कार्यवाहियों का संक्रमण ; और

(प) अन्य कोई विषय जो नियत हो या नियत किया जाय ।"

४८—मूल अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी)" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी–चकबंदी" रख दिये जायं ।

संक्रमणनीय उपबंध ।

४९—(१) इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन हो जाने पर भी, ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर आरब्ध तथा विचाराधीन हों, और

(१) जिनका सम्बन्ध मूल अधिनियम की धारा ७ तथा ८ के अधीन अभिलेखों के शोधन से अथवा मूल अधिनियम की धारा १२,२० तथा ३४ के अधीन अधिकारों, आगम, स्वत्व, दायित्व तथा आभार के प्रख्यापन से हो, या

(२) जिनका सम्बन्ध मूल अधिनियम की धारा ११ और १२ तथा अध्याय ३ के अधीन चकबंदी–योजना की तैयारी से हो,

उनकी सुनवाई और उनका निर्णय मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होता रहेगा, मानों यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो ।

(२) अन्य सभी कार्यवाहियों का संचालन तथा परिसमायन इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ के कार्यान्वय से कुछ कमियों का पता लगा है । चकबंदी क्रियाओं में अनिवार्य विलम्ब न होने देने के उद्देश्य से तत्सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल करना आवश्यक है । कुछ क्षेत्रों में जनता की यह मांग है कि खातेदारों द्वारा पहले ही स्वेच्छा से की गयी चकबंदी को मान्यता प्रदान की जाय । क्योंकि भूमिधरी वादों का क्षेत्राधिकार माल अदालतों को संक्रामित किया जा रहा है । अतएव यह आवश्यक हो गया है कि मध्यस्थ–निर्णय–सम्बन्धी उपबन्धों को, जिनके कारण बहुत विलम्ब होता था, निकाल दिया जाय । चकबंदी प्राधिकारियों द्वारा खातेदारों के अधिकारों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों के प्रति लोगों में अपेक्षाकृत अधिक विश्वास उत्पन्न करने के लिये चकबंदी अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । मिट्टी के वर्गीकरण और लगान की दरों के आधार पर गाटों के मूल्यांकन करने की वर्तमान रीति सन्तोषजनक नहीं पाई गई है । अतएव अब यह प्रस्ताव है कि उत्पादकता, सिंचाई की सुविधाओं की प्राप्यता, और स्थिति इत्यादि के आधार पर चकबंदी–समिति के परामर्श से गाटों का मूल्यांकन किया जाय । अब तक सार्वजनिक प्रयोजन के लिये दी गई भूमि के प्रबंध के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी । विशेष मूल्य के गाटों को भी, जिनमें पान, गुलाब, बेला, चमेली और केवड़ा इत्यादि की खेती होती हो, चकबंदी–क्रियाओं से अलग कर देना आवश्यक प्रतीत हुआ है । इन तथा अन्य छोटी–छोटी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से यह विधेयक पुरः स्थापित किया जा रहा है ।

चरण सिंह,
राजस्व मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१८६ एल० ए०—१९५८—८४० ।